खण्ड-266, अंक-3
बुधवार, 23 चैत्र, शक संवत् 1888
(13 अप्रैल, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 266 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १३ अप्रैल, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल वशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री,
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द , श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री

गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथराव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसराम सिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनरायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्या नन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री

पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथ सरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल वधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल बिप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री

रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहयक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपालत्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबलीमिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखोसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
ललबहदुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शरफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री

श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यानारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपाल सिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमाद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश तथा गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

बुधवार, १३ अप्रैल, १९६६

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

पंचायत मंत्रियों को समय पर वेतन न मिलना

*१—श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत मंत्रियों के वेतन प्रतिमास समय पर वितरित न हो सकने के क्या कारण हैं और सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री वंशीधर पाण्डेय)—

१—पंचायत मंत्रियों का प्रतिमास समय पर वेतन वितरित किये जाने के आदेश हैं और इस बात का प्रयास किया जाता है कि वेतन समय पर दिया जाय। कभी-कभी विकास कार्यालयों से वेतन बिल समय से न आने पर या इन बिलों पर जिला मैजिस्ट्रेट की स्वीकृत होने में समय लग जाने पर वेतन वितरण में कुछ देर हो जाती है। इस स्थिति में सुधार करने के लिये आवश्यक आदेश जिलों को जारी किये जा चुके हैं तथा जिला मैजिस्ट्रेट के बजाय जिला पंचायत अधिकारी को वेतन बिलों पर स्वीकृति देने का अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

श्री सहदेव सिंह---

उत्तर में आपने कहा है कि इस सम्बन्ध में आदेश दिये जा चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तारीख को और क्या आदेश दिये जा चुके हैं?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

अभी यह पंचायत अधिकारियों का जो प्रस्ताव देने का है वह तो विचाराधीन है लेकिन जिला मैजिस्ट्रेटों को तो बहुत पहले ही आदेश दिये जा चुके हैं। पहले पर्सनल लेजर एकाउन्ट में रुपया रहता था लेकिन बाद में पी० ए० सी० ने एतराज किया और कहा कि जो रुपया बचे हर साल उसका सरेन्डर कर दिया जाय। अब वह परिपाटी हो गयी है लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां दस्तखत में देरी होती है। तो शासन इस पर विचार कर रहा है कि वह अधिकार पंचायत अधिकारी को दे दिया जाय।

श्री सहदेव सिंह---

यह तो आपने बताया नहीं कि किस तारीख को और क्या आदेश दिये जा चुके हैं लेकिन जैसा आपने स्वीकार किया है कि इसमें देर हो जाया करती है, तो क्या ६-६ और ८-८ महीने की देर हो जाती है? अगर हां, तो क्यों?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

इसमें तो ८ जून, १९६५ तथा ६ सितम्बर, १९६५ को यह आदेश गये हैं कि इस सम्बन्ध में शीघ्रता की जाया करे ताकि उनको समय से वेतन मिल जाया करे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

अब तक कितने कितने महीने तक रुक कर के उनका वेतन मिला है और उसका क्या कारण था?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

यह पुरानी बात कह रहे हैं। अब तो जो नये आदेश हो गये हैं उनके अनुसार जल्दी मिलता है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

एक-एक विकास खंड से आने में और जिला मैजिस्ट्रेट से दस्तखत होने की जो वेतन बिल की व्यवस्था है यह पंचायत मंत्रियों के ही लिये है या सभी के लिये हैं। यदि सभी के लिये है तो केवल पंचायत मंत्रियों के ही बिलों में क्यों गड़बड़ी होती है?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

ये पंचायत मंत्री सरकार के नौकर नहीं हैं, ये पंचायतों के नौकर हैं। वह तो सरकार ने अपनी तरफ से इनको तनख्वाह देने का प्राविधान कर दिया है और गवर्नमेंट इस तरफ सोच रही है, अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है कि पंचायतें अपने रिसोर्सेज से इनको रखें। लेकिन चूंकि पंचायत राज इकाइयों के जरिये तनख्वाहें बंटती हैं और बी० डी० ओ० के यहां से बिल पास होकर डी० एम० के यहां दस्तखत के लिये आता है उसमें कभी-कभी देर हो जाया करती है। टीचर्स वगैरह को भी देर हो जाती है। लेकिन कानून के तरीके ऐसे हैं कि इसमें कभी-कभी देर हो जाती है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि पंचायत मंत्री ऐसे अभागे लोगों में हैं जिनको नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता, और १९६२ के चुनाव का जो विशेष काम किया था सरकार के आदेशानुसार उसका भी भत्ता नहीं मिला, उसके बाद जो उप चुनाव हुए उसका भी भत्ता नहीं मिला, इस बात को देखते हुए क्या सरकार उनको अपने संरक्षण में लेने की कृपा करेगी या विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति---

मैंने अध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत बात कही। संरक्षण में लेने का सवाल नहीं। सरकार सोच रही है कि पंचायतों को दे दें। अपने यहां से किस्सा खत्म कर दें लेकिन निश्चित राय नहीं हुई इसलिए ठीक बात नहीं बता सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या इस बात को देखते हुए कि सरकार का काम सुचारु रूप से हो और इनके वेतन का भुगतान देर में न हो, पंचायत मंत्रियों के प्रदेशीय सम्मेलन ने मांग की है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे? यदि हां, तो सरकार ने क्या किया?

श्री राममूर्ति---

मांगें तो होती ही रहती हैं। लेकिन सरकार कहां तक सब मांगों को माने।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय मंत्री, जिस वेतन देने की जिम्मेदारी में महंगाई का भत्ता भी शामिल है, उसको देने की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं?

श्री राममूर्ति---

इस वक्त जो स्थिति है उस पर और ज्यादा पैसा बढ़ाने का सवाल नहीं है।

*२---श्री रक्षपालसिंह तथा श्री हरीश कुमार गंगवार---

(पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

विकास अधिकारी, कल्यानपुर द्वारा पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत व्यय

*१---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड अधिकारी, कल्यानपुर, जिला कानपुर ने पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत ग्राम लाल स्कूल में बगैर कुएं बनवाये हुये अनुदान प्राप्तकर्ताओं को फर्जी बिल तथा बाउचरों के माध्यम से ७,५०० रुपये अनुदान की धनराशि का भुगतान कर दिया है और इस आरोप की जांच कृषि एवं ग्राम विकास आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के टेक्निकल असिस्टेंट ने माह अगस्त, १९६५ के पश्चात् की है? यदि हां, तो क्या सरकार टेक्निकल असिस्टेंट की रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति---

पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत ग्राम लालसाह का पुरवा मजरा बिनोर ग्राम सिंहपुर तथा मन्थना जुनियर हाई स्कुल के सम्बन्ध में यह कहना ठीक न होगा कि रुपये का भुगतान फर्जी बिल तथा बाउचरों के माध्यम से हुआ है किन्तु यह अवश्य सही है कि कार्य पूर्ण न होने के बावजूद भी पूर्ण भुगतान निकाला गया जो कि सर्वथा अवैधानिक एवं शासकीय आदेशों के विरुद्ध है। कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय के टेक्निकल असिस्टेंट द्वारा जांच की गई थी। रिपोर्ट का प्रस्तुत करना जनहित में न होगा।

*२—श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख, कल्यानपुर के विरुद्ध उक्त आरोप से सम्बन्धित दिनांक २ नवम्बर, १९६५ का प्रार्थना-पत्र विकास मंत्री तथा जिलाधीश महोदय, कानपुर को प्राप्त हुआ है? और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

दिनांक २-११-१९६५ का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। जिलाधीश के कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण दूसरी प्रतिलिपि भेजी गयी है जिस पर जांच हो रही है।

गौरी कलां ग्राम में लगाए गए पम्पिग सेट में खराबी

*३—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक जसपुरा, जिला बांदा के अन्तर्गत ग्राम गौरी कलां में सन् १९६५ में कोई पम्पिग सेट सिंचाई हेतु सरकार की सहायता से लगा है? यदि हां, तो उसके द्वारा सिंचाई हो रही है या नहीं?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी नहीं। ब्लाक जसपुरा जिला बांदा के अन्तर्गत ग्राम गौरी कलां में नवम्बर, १९६४ में पम्पिग सेट सिंचाई हेतु सरकार की सहायता से लगा है। इस पम्पिग सेट द्वारा सिंचाई नहीं हो रही है।

*४—श्री उग्रसेन—

क्या यह सह है कि उक्त पम्पिग सेट जिस कुएं में लगा है उसकी बोरिंग करने में सरकार असफल रह है और उसके परिणामस्वरूप उक्त कुआं भी बेकार हो गया है और उसके सम्बन्ध में कृषि मंत्री जी को ८ नवम्बर, १९६५, विकास मंत्री जी को ६ नवम्बर, १९६५, डी० पी० ओ० को १३ अगस्त, १९६५ व १८ नवम्बर, १९६५ तथा कृषि मंत्री जी को दुबारा १८ नवम्बर, १९६५ को प्रार्थना-पत्र भेजे जा चुके हैं परन्तु अभी तक कोई हल नहीं निकला? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी हां, परन्तु कुएं के बेकार होने का सम्बन्ध इस बोरिंग से लेशमात्र भी नहीं है क्योंकि प्रार्थी ने बोरिंग के पहले ही इस कूप में पानी कम होते हुये भी पम्पिग सेट से पानी खींचा था जिससे कूप में बालू भर आई और उसकी नींव कमजोर हो गयी। यह ठीक है कि इस सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री को ८-११-६५, माननीय नियोजन मंत्री को ६-११-६५, जिला नियोजन अधिकारी, बांदा को १३-८-६५ व १८-११-६५ तथा माननीय कृषि मंत्री जी को दुबारा १८-११-६५ को प्रार्थना-पत्र दिये गये थे जिनके प्राप्त होने पर १० फीट लम्बी जाली डालने योग्य स्ट्रेटा प्राप्त होने पर जाली डाल कर बोरिंग का कार्य २४-१-६६ को सम्पन्न कर दिया गया परन्तु टैस्टिग करने पर फिर भी पानी कम रहा जिस से कृषक संतुष्ट नहीं रहा और उनके आग्रह करने पर जाली और पाइप निकाल कर वापस ले लिया गया है तथा प्रार्थी का धन वापस किया जा रहा है।

*५—श्री उग्रसेन—

क्या विकास मंत्री को उपरोक्त सभी प्रार्थना-पत्रों की एक-एक प्रतियां प्रश्नकर्ता के द्वारा माह सितम्बर, सन् १९६५ के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वंशीधर पाण्डेय—

जी हां। उपरोक्त लिखित कार्यवाही की गई है।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह जो कहा गया है कि धन वापस किया जा रहा है तो कौन धन वापस किया जा रहा है, जब कि बोरिंग नहीं हो पायी और पानी नहीं निकला और कुआं बिलकुल बेकार हो गया, और सरकार की सहायता प्राप्त करके बनाया गया था तो कौन सा धन वापस किया जा रहा है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह जो उन्होंने बोरिंग करने के लिए तीन सौ या कितना रुपया जमा किया था, बोरिंग फेल हो गयी उसकी।

श्री उग्रसेन—

इस बात को देखते हुए कि किसान परेशान रहा, बोरिंग भी नहीं हुई, सिंचाई न हो पाने से उसकी खेती भी बरबाद हुई, क्या माननीय मंत्री जी जो सहायता मे तकाबी दी गयी है उसको माफ करने की कृपा करेंगे?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

वह तकाबी कैसे माफ हो सकती है। उसकी शर्तें हैं, उसमें उनको देना होगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

यह जो उत्तर मंत्री जी ने दिया उस पर जरा गौर करें। मंत्री जी ने कहा है कि बोरिंग इसलिये फेल हुई कि कुएं खराब थे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें कि डिपार्टमेंट ने जब बोरिंग की होगी, तो उसके पहले टेस्ट किया होगा तब जाली डाली होगी, यदि वह खराब था तो बोरिंग डिपार्टमेंट ने क्यों की? कृषि को सरकार इतनी महत्ता दे रही है, लेकिन अधिकारीगण इस महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता बरत रहे हैं। खेती को फेल करने वाले कार्य और यह लोग देशद्रोही हैं और इसमें माननीय मंत्री जी भी भागीदार हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो नियम ५० की तरह की बहस हो रही है।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देशद्रोहिता का काम है और आप इस पर गौर करें।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी ने कहा कि "यह कैसे माफ हो सकता है", तो माननीय रामरतन गुप्त का ३२ लाख रुपया कैसे माफ हो गया?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

सिंचाई कूप

*६—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रबी अभियान को प्रोत्साहन देने के लिये इस वर्ष ग्रामों में कितने नये कुएं सरकार द्वारा खुदवाये गये?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

सरकार द्वारा कोई कुआं नहीं खुदवाया गया है । कुएं खोदने के लिये कृषकों को ऋण दिया जाता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इस अभियान में कुल कितने कुएं बनाने के लिये आपने ऋण दिया और उसमें से कितने कुएं बन सके ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

सितम्बर, १९६५ से दिसम्बर, १९६५ तक २० हजार ९४१ पक्के कुएं बने । रबी अभियान को सफल बनाने के लिये कच्चे कुएं निर्माण का विशेष आन्दोलन भी चलाया गया, जिसके फलस्वरूप सितम्बर, ६५ से दिसम्बर, ६५ की अवधि में ११८२२६ कच्चे कुएं खोदे गये । इस प्रकार कुल १३९१६७ कुएं कृषकों ने बनाये । इसके अतिरिक्त १५७६५ पक्के कुएं तथा १२०४४० कच्चे कुएं रबी अभियान के अन्त में प्रगति में थे ।

श्री झारखंडे राय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आखिर उनकी नीति क्या है ? पहले जोर ट्यूबवेल लगाने पर दिया गया उत्तर प्रदेश में खासकर के जहां जहां ट्यूबवेल्स नहीं लगे थे और अब ज्यादा जोर सरकार लगा रही है पक्के कुओं को बनाने पर । तो यह पक्के कुएं उनके सहायक होंगे या अब ट्यूबवेल के स्थान पर पक्के कुएं ही बनेंगे ? तो सरकार किस नीति पर चलना चाहती है यह मैं जानना चाहता हूं ताकि सिंचाई की व्यवस्था सम्यक रूप से हो सके ।

श्री राममूर्ति---

इस समय प्राथमिकता पक्के कुओं को जिन पर रहट लगाया जा सकता है, दी जा रही है । वैसे सरकार नलकूप को भी बनवाना चाहती है, जहां पर पानी का स्तर बहुत नीचा है तथा जहां पर व्यक्तिगत रूप से लोग अपने कुएं नलकूप नहीं बनवा सकते हैं वहां पर सरकार भी अपने कुएं बनवायेगी । दोनों बातों पर ही जोर दिया जा रहा है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार ने खरीफ अभियान के समय में जिलाधिकारियों को कोई ऐसा आदेश दिया है कि वह कृषकों को कच्चे कुएं खुदवाने और अनुदान देने के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करें ?

श्री अध्यक्ष–

अब तो बहुत विस्तार हो रहा है ।

श्री राममूर्ति---

कच्चे कुओं पर कोई ऋण नहीं दिया जाता है और न अनुदान या तकावी ही दी जाती है ।

बाराबंकी जिले में जनशक्ति उपयोग योजनान्तर्गत सड़कें

*७---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो पत्र ६ मार्च, १९६५ को अधीक्षण अभियन्ता, (अल्प सिंचाई) विभाग, उत्तर प्रदेश को बाराबंकी जिले में जनशक्ति योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के लिये लिखा था उसमें किन-किन ब्लाकों की किन सड़कों को उपयुक्त बताया था और उसमें उल्लिखित सड़कों के उक्त योजना में शामिल करने हेतु क्या कदम अब तक उठाये गये हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

हैदरगढ़ तथा त्रिवेदीगंज विकास क्षेत्रों में स्थित हैदरगढ़—सुबेहा, हैदरगढ़-महाराजगंज तथा मिलवल हसुबांपुर गूढ़ा नामक सड़कों को ग्रामीण जन शक्ति योजनान्तर्गत लिये जाने के लिये उपयुक्त बताया था ।

ऊपर लिखे दोनों ही विकास क्षेत्र ग्राम जनशक्ति योजना में स्वीकृत नहीं है और जब तक भारत सरकार इस योजना में प्रचुर मात्रा में नये ब्लाकों को शामिल करने की अनुमति नहीं देती तब तक उन ब्लाकों एवं उनमें स्थित उक्त सड़कों को इस योजना में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्र समितियों ने क्या निश्चय किया है और उसके अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार को उक्त सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक २१ जुलाई, १९६५ का कोई पत्र सामुदायिक विकास मन्त्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

प्रथम में वर्णित उक्त मार्ग का तात्पर्य बाराबंकी जिले की निम्न तीन सड़कों से है :

१—सुबेहा से हैदरगढ़ सड़क,

२—हैदरगढ़ से महाराजगंज सड़क,

३—मिलवल से गढ़ा खुजरी सड़क ।

इन सड़कों के सम्बन्ध में क्षेत्र समितियों के निश्चय एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दिया गया है ।

उक्त सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक २१-७-६५ को प्राप्त हुआ था जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट "ख" में संलग्न है । चूंकि यह सड़कें ग्राम जनशक्ति योजना में स्वीकृत ब्लाकों में नहीं पड़तीं इसलिये इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ. ३२१-३२२ पर ।)

*९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त सड़कों से सम्बन्धित विकास खंड, हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज जिला बाराबंकी का सरकार द्वारा जनशक्ति योजना के अन्तर्गत ब्लाकों के शामिल करने के सम्बन्ध में गठित प्रदेशीय समिति ने उन ब्लाकों को जन शक्ति योजना में शामिल करने की सिफारिश राज्य सरकार से की है ? यदि हां, तो क्या सरकार हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज विकास खण्ड को जन शक्ति योजना में शामिल कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन सड़कों के निर्माण पर कितना धन-व्यय होने की सम्भावना है ?

श्री बंशधर पाण्डेय—

जी हां, परन्तु भारत सरकार ने फिलहाल इस वर्ष तथा अगले वर्ष योजनान्तर्गत नये ब्लाकों को शामिल करने का मना ही कर दी है, अस्तु इन ब्लाकों को तब तक शामिल नहीं किया जा सकेगा जब तक केन्द्रीय सरकार से यातायात मन्त्रालय विकास क्षेत्र लिए जाने की अनुमति नहीं दी जाती। जबकि इन सड़कों को अभी इस योजना में शामिल नहीं किया जाना है अतः उनके प्लान एवं एस्टीमेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इन सड़कों के निर्माण पर कितना धन व्यय होगा अभी बता ना कठिन है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इन ब्लाकों में जिन सम्बन्धित सड़कों का उल्लेख है उनके सम्बन्ध में अभियन्ता ने भी सिफारिश की है और इस इलाके के पिछड़ेपन को देखते हुये जिला अधिकारियों ने भी इनके सम्बन्ध में सिफारिश की है, इस बात को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जो केन्द्रीय सरकार से मांग करते समय कि कौन-कौन से ब्लाक्स को कौन-कौन सड़कें भविष्य में योजना में शामिल की जायं, हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज ब्लाक को शामिल करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

सरकार की हमदर्दी हर ब्लाक से है। जितना धन आगे आयेगा उसी के हिसाब से उस पर विचार किया जायगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जिला अधिकारियों ने इन सड़कों के बारे में जो हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज ब्लाक्स की है जो एस्टीमेट्स भेजे हैं वह क्या है ?

श्री बंशधर पाण्डेय—

पहले ही कहा गया है कि कृपया मालूम हो जाय कि कितना है तब विकास खंडों की सड़कों पर विचार किया जा सकता है।

श्री सहदेवसिंह—

क्या सरकार ने अपने अधिकारियों को लिखा था और जिला परिषदों को चिट्ठी लिखी थी जिसमें नये ब्लाकों के लिये सिफारिश मांगी गयी थी ?

श्री राममूर्ति—

यह बात सही हो सकती है।

औद्योगिक संस्थानों पर बोनस बकाया

*१०—श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोनस ऐक्ट, १९६५ के अन्तर्गत प्रदेश में स्थित कितने औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान बोनस के देनदार हैं ? कुल प्रतिष्ठानों में से कितने प्रतिष्ठानों ने निर्धारित अवधि के भीतर बोनस अदा कर दिया है और कितने प्रतिष्ठानों ने नहीं अदा किया ! बोनस की अदायगी के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं !

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

अब तक एकत्रित की गई सूचना के अनुसार प्रदेश में ३५७८ प्रतिष्ठानों एवं कारखानों को बोनस वितरण करना है। इनमें से १८४० को ३१-१-६६ तक बोनस वितरण करना था जिनमें से ७४० ने अवधि के भीतर भुगतान कर दिया है तथा ११०० ने निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया है।

बोनस की अदायगी के बारे में श्रम विभाग के अधिकारी आवश्यक जांच कर रहे हैं। कुछ प्रतिष्ठानों को बोनस देने के लिये समय बढ़ा दिया है तथा कुछ को शो काज नोटिस दे दिये गये हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

११ वीं ऐसे प्रतिष्ठान जिन्होंने बोनस नहीं दिया है और अगर इस हिसाब से चलेंगे तो मजदूरों में बोनस टाइम से न मिलने के कारण जो अनरेस्ट है और उससे परेशानी हो रही है और आपको मशीनरी इनएफीशियन्ट है तो क्या सरकार कुछ इस तरह का उपाय करेगी जिससे जल्द से जल्द बोनस का भुगतान हो जाय ?

श्री बनारसीदास—

जैसा मैंने बतलाया नियम के अनुसार ३५ कारखानों को एक्सटेन्शन दिया गया है। जिन्होंने बोनस का भुगतान नहीं किया है उनमें ज्यादातर छोटे छोटे कारखाने हैं। उनको नोटिस दी गयी है और कोशिश की जा रही है कि जल्दी बोनस का भुगतान हो।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

देहरादून में जो टी गार्डेन के मजदूर हैं उनको बोनस नहीं मिला है और वहां सौदेबाजी हो रही है कि एक आने ले लो, दो आना ले लो। तो क्या मंत्री जी इस बात का प्रयास करेंगे कि उनको जल्दी से बोनस का पैसा मिल जाय ?

श्री बनारसीदास—

प्रत्येक रीजन के अन्दर इसके लिये आदेश दे दिये गये हैं और इस बात का प्रयास किया जा रहा है बोनस का पैसा सब को जल्दी से मिले। ७०० कंसर्स ने तो दे दिया है, कुछ-छोटे छोटे कंसर्न्स हैं जो ज्यादातर फिरोजाबाद, और आगरा रीजन के हैं वहां हम कोशिश कर रहे हैं कि बोनस जल्दी मिले। हम आशा करते हैं कि बोनस जल्दी मिलेगा, वरना प्राजीक्यूशन किया जायेगा।

श्री उग्रसेन—

चीनी मिल के मजदूरों को भी बोनस नहीं मिला है, वह मंत्री जी कब तक दिलवायेंगे ?

श्री बनारसीदास—

शुगर मिल के अन्दर तो त्रिदलीय सम्मेलन द्वारा फैसला होता है, वहां कोई विशेष कठिनाई नहीं है।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय—

बहुत से औद्योगिक संस्थानों ने बोनस नहीं दिया है जिसके कारण औद्योगिक अशान्ति बनी हुई है। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी एजेन्सी कायम करेंगे जिसके द्वारा बोनस के मामले में शीघ्र फैसला हो सके और औद्योगिक शान्ति कायम रह सके ?

श्री बनारसीदास—

इसके लिये किसी और एजेन्सी को कायम करने की जरूरत नहीं है, जो मशीनरी मौजूद है वही काफी है। हमारा प्रयास यह बराबर रहता है कि बोनस शीघ्र दिया जाय। जिनको बोनस देने में कठिनाई होती है और जिनकी कठिनाइयां जेन्यून होती हैं उनको एक्सटेन्शन दे दिया जाता है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

मैंने लेबर कमिश्नर से बात की, लेबर विभाग से भी बात की। उनका कहना है कि उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं है कि वे इतना कंसर्न्स से बात करके बोनस का पैसा दिलवा सकें या और कार्यवाही शीघ्रता से कर सकें क्योंकि ऐसे ३,५०० केसेज के करीब हैं जिन्होंने बोनस नहीं दिया है। तो क्या मंत्री जी कोई टेम्पोरेरी ऐसी मशीनरी इवाल्व करेंगे जिससे यह काम जल्दी से हो सके ?

श्री बनारसीदास—

अवश्य विचार करेंगे। अगर जरूरत पड़ी और यह महसूस किया गया कि मशीनरी को स्ट्रेन्थन करने की जरूरत है तो विचार करेंगे ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, चुर्क सीमेन्ट मजदूरों ने हड़ताल की नोटिस दी है । चुर्क में जो सरकारी प्रतिष्ठान है उसमें बोनस दिलाने की कौन सी प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

जो डिपार्टमेन्टल कन्सर्न हैं बोनस ऐक्ट के मातहत वे बोनस देने के लिये बाध्य नहीं हैं । चूंकि यह पब्लिक सैक्टर के कन्सर्न हैं, गवर्नमेन्ट बावजूद इसके कि बाध्य नहीं हैं, विचार कर रही है ।

गोरखपुर जिले में ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजनान्तर्गत व्यय

*११—श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में सन् १९६४–६५ तथा १९६५–६६ सालों में कितना रुपया मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत था तथा उसमें से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक कितना खर्च हुआ और बाकी न खर्चा होने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में ११८.९९ लाख रु० की लागत के विभिन्न कार्य स्वीकृत हैं । इन कामों के निष्पादन के लिये वित्तीय वर्ष १९६३–६४, १९६४–६५ तथा १९६५–६६ में कितना रुपया स्वीकृत (एलाट) किया गया तथा उसमें से जो धन ३१ दिसम्बर, १९६५ तक व्यय हुआ उसका विवरण निम्नलिखित है :

(लाख रु०) में

साल	स्वीकृत (एलाट- किया) धन	खर्चा ६५ तक
१९६३–६४	११.१३	११.०१
१९६४–६५	२१.२६	२१.१०
१९६५–६६	१४.०९	९.७८ (३१-१२-६५) तक
योग ..	४६.४८	४१.८९

वित्तीय वर्ष १९६३–६४ व १९६४–६५ में स्वीकृत लगभग पूरी धनराशि व्यय हो गई थी तथा वर्ष १९६५–६६ में भी ऐसा अनुभव है कि पूरी धनराशि व्यय हो जावेगी अतः बाकी खर्च न होने के कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय—

क्या माननीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया अभी खर्च करने को बाकी है उसके लिये कोई शासकीय आदेश ऐसा गया है कि यह योजना ठप्प कर दी जा रही है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

ऐसी बात नहीं है।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन सालों में जो रुपया खर्च किया गया उसमें मुख्य-मुख्य क्या कार्य हुए और कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, इस वक्त तो सूची नहीं है । उसमें ड्रेन, पक्की सड़कें बनी होंगी आदि-आदि ।

श्री राम अवध (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां का रुपया और स्कीम दोनों को ड्राप करके वहां का स्टाफ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ही उठा लिये जा रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, इसमें यह बात थी कि इस मैनपावर मोबिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत पी० डब्ल्यू० डी० के लोग काम करते थे और सिंचाई विभाग के लोग काम करते थे परन्तु भारत सरकार ने यह कहा कि इसमें नान आफिशियल एजेन्सी जिला परिषदें और क्षेत्र समितियां आदि काम करें। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि भविष्य में ये योजनायें जिला परिषदें और क्षेत्रीय समितियां ही लें। ऐसी परिस्थिति में जो पी० डब्ल्यू० डी० के लोग काम करते थे उनके काम में कमी हो गई । इसलिये वे अपने स्टाफ में रिट्रेंचमेन्ट को बाध्य हो गये।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, माननीय मंत्री ने बताया नहीं ठीक से । हमको इसकी पूरी जानकारी है । उसमें एक काम हो रहा है गांवों को ऊंचा करने का। गांव तो ऊंचा नहीं हुआ पर इंजीनियर और ओवरसियर ऊंचे हो गये हैं । क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बांसगांव को ऊंचा करने में सात, आठ, लाख रुपया ओवरसियर और इंजीनियर खा गये ? क्या इस सम्बन्ध में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, इस प्रकार की हमें तो सूचना ही नहीं है ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

जैसा मंत्री जी ने बतलाया कि केन्द्रीय सरकार का यह आदेश हो गया है कि इस तरह का काम जिला परिषद् तथा क्षेत्रीय समितियां करेंगी तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के जितने भी कार्य जिलों में चल रहे हैं—जिलों में तीन तरह के कार्य चल रहे हैं प्रान्तीय, केन्द्रीय और जिला सरकार के तो क्या माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार को इस बात की सिफारिश करेंगे कि जिले में होने वाले सारे काम जिला सरकार के सुपुर्द कर दिये जायं ?

श्री राममूर्ति—

यह पंचायती राज्य है। प्रदेशीय और केन्द्रीय सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में काम करने दीजिये।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि जिन जिला परिषदों में योग्य अभियन्ता हैं उनको यह काम दिये जायेंगे। तो क्या यह नीति परिवर्तित कर दी है और जहां अयोग्य अभियन्ता हैं वहां भी ये काम सुपुर्द किये जायेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब इन कामों के लिए एक रूरल इन्जीनियरिंग सर्विस बनायी जाय, जिसका संगठन हो रहा है। जहां जिला परिषदों में इन्जीनियर्स नहीं हैं उनकी भी व्यवस्था की जा रही है।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय--

यह देखते हुए कि अभी ७७ लाख रुपये से ऊपर खर्च करना बाकी है, इसे खर्च करने के लिए समय से, इन्जीनियर व ओवरसियर भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

माननीय सदस्य को भ्रम है कि ११८ लाख रुपया स्वीकृत है और उसका रुपया भी रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। ११८ लाख रुपये का काम स्वीकृत है। एलाट ४६ लाख था, जो खर्च हो गया।

श्री जे० पी० मिश्र० (जिला हरदोई)--

हरदोई जिला परिषद् के पास पूरा स्टाफ इन्जीनियरों व ओवरसियरों का है, वर्क-लोड भी कम है, तो शेष रुपया हमको देने पर विचार करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)।

ग्राम दहगवां में गूल निर्माण

*१२--श्री उल्फत सिंह यादव (जिला बदायूं)--

२२ सितम्बर, १९६५ के लिए निर्धारित श्री उल्फत सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर से सम्बन्धित क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गूल निर्माण ५०१ मीटर कराया गया है उसके लिए १ जनवरी, १९६५ से ३१ अगस्त, १९६५ तक किसके-किसके प्रार्थना-पत्र गूल अनुदान हेतु प्राप्त हुये तथा किस किस को कितना-कितना अनुदान दिया गया तथा जिसको नहीं दिया गया, उनको अनुदान न देने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

ग्राम दहगवां में जो गूल निर्माण ५०१ मीटर कराया गया है उसके लिए १ जनवरी, ६५ से ३१-८-१९६५ तक अनुदान देने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र विकास खण्ड कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ और न ही किसी को गूल निर्माण हेतु अनुदान दिया गया। जब कोई प्रार्थना-पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ, तो अनुदान देने या न देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उल्फतसिंह यादव--

मेरी सूचना है कि प्रार्थना-पत्र आये और अनुदान भी दिये गये।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप हमारे पास लिखकर भेज दें, हम देखेंगे।

मथुरा जिले में सिंचाई कार्य

*१३--श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)--

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में कितने सरकारी पम्पिंग सेट लग चुके हैं और जिनसे सिंचाई हो रही है और छाता तहसील में कितने कुएं सन् १९६४-६५ में बन कर सिंचाई योग्य हो गये हैं और कितने अधूरे पड़े हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मथुरा जिले में कोई भी सरकारी पम्पिंग सेट नहीं लगा है अतः उनके द्वारा सिंचाई होने का प्रश्न नहीं उठता।

छाता तहसील में वर्ष १९६४–६५ में २२३ कुएं बन कर सिंचाई योग्य हो गये हैं और १३३ कुएं अभी अधूरे हैं जिनका निर्माण चल रहा है।

श्री लखो सिंह—

उत्तर को रद्दी कापी हमको मिलती है जो पढ़ी भी नहीं जाती, और अच्छी ये मन्त्री जी ले लेते हैं। यह हमारे साथ घोर अन्याय होता है। क्या मन्त्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा में ट्यूबवेल लगवाने के लिए जिला परिषद, क्षेत्रीय समितियों के प्रस्ताव आये और वहां के किसानों के प्रार्थना-पत्र आये? यदि हां, तो क्यों नहीं लगवाये गये?

श्री राममूर्ति—

मथुरा जिले में ३ सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं। लोग व्यक्तिगत रूप से इतने अधिक ट्यूबवेल लगा रहे हैं कि सरकार को लगाने की जरूरत ही नहीं है।

श्री लखो सिंह—

पहले क्यों नहीं बताया गया कि ३ ट्यूबवेल लगे हैं?

श्री अध्यक्ष—

आपने तो पम्पिंग सेट पूछा था।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

छाता तहसील में जितने भी लोगों ने ट्यूबवेल लगाये हैं वे इंजिन से चलते हैं या बिजली से? अगर बिजली से नहीं चलते हैं तो सरकार बिजली के लिए कोई व्यवस्था कर रही है?

श्री राम मूर्ति—

यह तो ठीक नहीं बता सकता कि कितने बिजली से चलते हैं लेकिन हमारा प्रयास है कि बिजली लोगों को अधिक से अधिक और जल्द दें। राया ब्लाक में कुछ बिजली दी भी है। सामान न होने की वजह से विलम्ब हो रहा है।

श्री रामकिशोर तिपाठी (जिला बाराबंकी)—

छाता तहसील में नहर न होने के कारण सरकार वहां ट्यूबवेल लगाने पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जैसा मन्त्री जी ने कहा, प्राइवेट ट्यूबवेल लग रहे हैं और पहली अप्रैल से सरकार ने उसमें चौथाई के बजाय ५० प्रतिशत छूट देने का एलान भी किया है।

श्री लखो सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि १३३ कुएं जो अधूरे पड़े हैं, उनको कब तक पूरा कर दिया जायगा?

श्री राम मूर्ति—

मैं माननीय लखो सिंह जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे कुएं बनाने वालों से कह दें कि वे जरा जल्दी काम कर दें तो जल्दी बन जायेंगे।

जालौन जिले में सिंचाई कूपों के लिए तकावी

*१४—श्री विजय सिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में, जहां पर नहरें नहीं हैं, उन भागों में सिंचाई की व्यवस्था के लिए कितने कुओं को बनाने हेतु १९६५ में कितनी तकावी दी गई और कितने कुएं खेतों पर बने ? उनकी ब्लाकवार सूची दिये जाने की कृपा करेगी ?

श्री राम मूर्ति—

जालौन जिले में जहां नहरें नहीं हैं उन भागों में सिंचाई की व्यवस्था के लिए वर्ष १९६५ (१-१-६५ से ३१-१२-६५) तक ३६२ कुओं के लिए ३,९०,४६० रुपया ऋण के रूप में दिया गया। ४२ कुओं का निर्माण हो चुका है। इसकी ब्लाकवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२३ पर)।

जिला सुल्तानपुर में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर

*१५—श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित) —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर में जिला परिषद् के कितने मानव अस्पताल में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर कब से स्थापित किये गये हैं ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

जिला सुल्तानपुर में जिला परिषद् के निम्नलिखित ३ अस्पतालों में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर उनके सम्मुख लिखी हुई तिथि से स्थापित है।

१—कादीपुर	..	..	..	२४-९-१९५९
२—अमेठी	..	..	..	२८-९-१९५९
३—जगदीशपुर	..	..	..	२८-११-१९६०

*१६—श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि इन अस्पतालों के प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के इन्चार्ज डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस न करने देने के एवज में नान हेल्थ एलाउन्स, प्रैक्टिसिंग एलाउन्स आज तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कादीपुर और जगदीशपुर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के इन्चार्ज नान प्रैक्टिसिंग और पब्लिक हेल्थ एलाउन्स पाते रहे हैं।

अमेठी प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के इन्चार्ज डाक्टर जिला परिषद् के कर्मचारी हैं। इनका वेतन जिला परिषद् फन्ड से मिलता है इनको यह दोनों एलाउन्स नहीं मिलते क्यों कि अभी सरकार से यह निश्चय नहीं हुआ है कि जो जिला बोर्ड के डाक्टर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के इन्चार्ज हैं उन-को यह एलाउन्स दिया जाय या नहीं।

*१७—श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन डाक्टरों की नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स और हेल्थ एलाउन्स की बकाया धनराशि कितनी है तथा इसे दिलाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ? यह एलाउन्स उन्हें कब तक मिल जावेगा तथा अब तक उनको जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी पूर्ति की क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अमेठी के प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के डाक्टर के विषय में यह प्रश्न नहीं उठता।]

कादीपुर और जगदीशपुर के डाक्टरों को कब से यह एलाउन्स नहीं मिला इस की सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

वाराणसी जिले में ग्राम जनशक्ति उपयोग योजना

*१८—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले की जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत कितना रुपया एलाट किया गया है और उसमें दिनांक १ जनवरी, १९६६ तक कितना रुपया किन-किन ब्लाकों में खर्च किया गया है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१९—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन अधिकारी वाराणसी ने अपने पत्र पत्र संख्या ७९४/आर० एम० पी०, दिनांक २५ मार्च, १९६५ को विषय, चेक लिस्ट "ए" तथा "बी" अधीक्षण अभियन्ता, रूरल मैन पावर एवं अल्प सिंचाई के पास भेजा है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी हां।

*२०—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ८ सितम्बर, १९६५ को अधीक्षण अभियन्ता, रूरल मैन पावर एवं अल्प सिंचाई विभाग को कुछ सड़कों को तथा पुलों को स्कीम के अन्तर्गत लेने के विषय का मिला है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी हां, पत्र की प्रतिलिपि अध्यक्ष, जिला परिषद्, वाराणसी को जांच तथा रिपोर्ट हेतु भेजी गई थी। उस पत्र में वर्णित ६ सड़कें व एकपुल, विकास खंड सेवापुरी, पिन्डरा, चौलापुर, बढ़ागांव एवं हरहुआ में पड़ते हैं बड़ा गांव व हरहुआ विकास खंड ग्राम्य विकास योजना में अवीकृत नहीं हैं। अतः इन ब्लाकों में पड़ने वाले कार्य नहीं लिये जा सकेंगे। शेष कार्यों की स्थिति इस प्रकार है:— बड़ा गांव कछवा सड़क के सेवा पुरी विकास खंड में पड़ने वाले भाग की स्वीकृति दी जा चुकी है जिस पर निर्माण कार्य सा० नि० वि० द्वारा किया जा रहा है।

पिण्डरा से कठिरांव सड़क के पिण्डरा विकास खंड में पड़ने वाले भाग की स्वीकृति पिछली फरवरी में दी जा चुकी है, इसका सर्वे हो रहा है। शेष कार्यों के ये भाग जो विकास खंड, पिन्डरा तथा चौलांपुर में पड़ते हैं उनकी प्राविधिक जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने पर यदि संबंधित क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषद् ने इन कार्यों को इस योजनान्तर्गत शामिल करने की संस्तुति की तो उन्हें उसमें लेने के संबंध में विचार किया जायगा।

श्री ऊदल—

नियोजन अधिकारी ने जो पत्र लिखा और अधीक्षण अभियन्ता ने जो उसका उत्तर दिया, उसमें किन-किन सड़कों के बारे में कहा गया है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस पत्र में निम्नलिखित सड़कों को जनशक्ति योजना में लेने का जिक्र है—

१—बाबतपुर से तमाचाबाद द्वारा बड़ागांव अनेई ।

२—बसनी से वरही, नेवादा द्वारा कुआर ताड़ी ।

३—पिन्डरा से कटराव द्वारा रामपुर ।

४—बड़ा गांव से कटराव द्वारा कुआर ।

५—फूलपुर से चोला पुर द्वारा सिधौरा ।

६—मौजुवरीर से कुरौत द्वारा सिधौरा ।

७—मंगारी से चोलापुर ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बड़ागांव ब्लाक को इस स्कीम में लेने पर विचार करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जब तक नये ब्लाक्स की स्वीकृति भारत सरकार से नहीं आती है, तब तक किसी ब्लाक का लिया जाना सरकार के लिये असंभव है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी जब भारत सरकार को नये ब्लाक्स की स्वीकृति के लिये लिखें उस वक्त बड़ा गांव का नाम लिखने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जब भारत सरकार विकास खण्डों की संख्या उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित करेगी, तब इस काम के लिये एक कमेटी बनायी जायगी । अगर उस कमेटी की परिधि में यह गांव आ जाता है, तब विचार किया जायगा ।

श्री जे० पी० मिश्र—

यू० पी० सरकार ने भारत सरकार को जो ब्लाक रूरल मेन पावर स्कीम के अन्तर्गत स्वीकार करने के लिये पिछली बार भेजे थे उन में से लखनऊ डिवीजन के हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, गोंडा और प्रतापगढ़ आदि जिलों के कितने ब्लाक्स हैं ?

श्री राममूर्ति—

मुझे सही इत्तिला तो नहीं है लेकिन उस में हरदोई के जरूर रहे होंगे ।

श्री कृष्णा नन्द राय—

नये ब्लाक की स्वीकृति के लिये आपने किस मास में भारत सरकार को लिखा है और कब तक वहां से निर्णय आने की सम्भावना है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस संबंध में प्रादेशिक सरकार लिखती नहीं है, यह तो हर साल उन की बैठक होती है और उस में तय होता है कि मुल्क में रूरल मेन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम में कितने ब्लाक्स लिये जायेंगे और उसी के अनुसार वह एलाट कर देते हैं ।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न से संबंधित कितनी सूचना एकत्र हो चुकी है और शेष सूचना जो इकट्ठी की जा रही है वह क्या है ?

श्री बंशधर पांडेय—

अभी तो सभी सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ऊदल—

क्या कमेटी की बैठक का अभी उन्होंने निश्चय किया क्या उस कमेटी की बैठक निकट भविष्य में होने जा रही है? यदि होने जा रही है तो इस प्रार्थनापत्र को मैंने मंत्री जी को लिख कर दिया है क्या उसको वह कमेटी के सामने रखने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की दिलचस्पी रूरल मेनपावर स्कीम में बहुत ज्यादा है और भारत सरकार ने इस वर्ष १ करोड़ ४ लाख पयादने का वादा किया है और सारे भारत के लिये ५ करोड़ की योजना बनी थी जो अब बढ़ कर ८ करोड़ की हो गई है, अब हमने उन से इसरार किया है कि हमें १ करोड़ ४ लाख के बजाय ३ करोड़ दिया जाय और यह हमारे ऊपर छोड़ दिया जाय कि हमें किन ब्लाक्स में किन योजनाओं को चलाना जरूरी है या जो बैकवार्ड पाकेट्स हैं उनमें हम उस पैसे का लगा सकें, वैसे हर स्कीम को भारत सरकार से पास कराना कठिन होता है। अभी इसका कोई उत्तर नहीं आया है। हमें इस संबंध में माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करना चाहते हैं।

कानपुर जिले में सिंचाई

*२१—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड घाटमपुर, पतारा तथा भीतरगांव में वित्तीय वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितनी आर्थिक सहायता अनुदान व ऋण के रूप में किस योजना को कार्यान्वित करने हेतु दिया गया?

श्री बंशधर पांडेय—

सूचना इक्कीस पन्नों की सूची में दी गई है जिसे माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

*२२—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत दिये रुपये का उपयोग किन-किन व्यक्तियों ने किया?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जिन लोगों ने उनका उपयोग कर लिया है उनके बारे में उक्त सूची के स्तम्भ ७ में उल्लेख किया गया है।

श्री रघुनाथ सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जिन्होंने धन का उपयोग नहीं किया है?

श्री बंशधर पांडेय—

सन् ६३-६४ में जिन को ऋण दिया गया उन की संख्या १६ थी और ६४-६५ में जो विकास निधि से दिया गया उस में २१ की जगह २१ और २२ की जगह १८ हुआ और कहीं पर ऐसा व्यय कम हुआ है।

श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

मैं श्रीमन्, आप के द्वारा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत अत्यधिक रुपये का दु पयोग हुआ है। मैं चाहता था कि यह जानकारी मंगाई जाय कि कितने लोगों को रुपया दिया गया और कितने रुपये का दुरुपयोग हुआ लेकिन इसकी जानकारी नहीं आई। अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट मांगने पर भी रिपोर्ट नहीं आई और मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि हमारे कार्यालय में आकर सूचना देख सकते हैं। तो क्या मंत्री जी इस लघु सिंचाई योजना में धन का दु पयोग हुआ है उसकी किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा जांच करायेंगे कि कितने पैसे का दुरुपयोग तथा सदुपयोग हुआ है और वह किन-किन लोगों ने किया है ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य कुछ संकेत कर दें कि किन-किन व्यक्तियों ने रुपये का दुरुपयोग किया है तो फिर इसकी दुबारा जांच करवा देंगे और जिस अधिकारी द्वारा चाहेंगे उन्हीं के द्वारा करवा देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह—

श्रीमन्, अगर मुझे सूचना पहले मिली होती तो मैं क्षेत्र से जानकारी करके स्पष्ट कर देता।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिवनाथ सिंह जी, देखिये सूची वहां पर मौजूद है। आपका स्वागत है। आप वहां जाकर उसको देखकर अगर कोई त्रुटि बतलायें, तो माननीय मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि वे तुरन्त दिलवा लेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह—

श्रीमन्, भीतरगांव ब्लाक में ही बता दें कि किन-किन लोगों ने कितना-कितना रुपया इस्तेमाल किया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो सूची में ही है। आप देखलें। मैं तो केवल धन बता सकता हूं कि किस काम के लिये कितना रुपया दिया गया है।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

कानपुर जिले के पम्पिंग सैट्स के लिये इनके टैक्नीकल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसके अन्दर ट्यूबवेल नहीं लग सकते हैं। तो क्या यह रिपोर्ट कल की है कि वे पंपिंग सैट्स कामयाब हुये हैं ? और क्या भीतरगांव में भी टेक्नीकल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट की इसी राय के कारण हुआ है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

हमारे पास तो उनकी सफलता की रिपोर्ट है।

श्री रघुनाथ सिंह—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि रुपये का सदुपयोग और उपयोग को देखने के लिये क्या सरकार की कोई एजेन्सी है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री राममूर्ति—

माननीय डाक्टर साहब तो मनोविज्ञान के पंडित है। जब हम उन्हें रुपया देते हैं तो इसी आशय से देते हैं कि उसका दुरुपयोग न हो। इस काम को देखने के लिये हमारा सुपरावइजरी स्टाफ होता है एक लाख के करीब बनते हैं तो यह एक बहुत बड़ा काम है। यह देखना कि कहां पर कौन आदमी

इसका दु पयोग करता है बहुत मुश्किल है लेकिन हमारी क्षेत्र समितियों के सदस्य तथा जिला परिषदों के सदस्य अगर वे कोई दिलचस्पी लें तो इसकी रोकथाम हो सकती है।

भारत सेवक समाज के आय-व्यय का ब्योरा

*२३—श्री झारखण्डे राय—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश भारत सेवक समाज की वित्तीय वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ में अलग अलग कुल कितनी सहायता सरकार की ओर से दी गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि क्या भारत सेवक समाज ने इन वर्षों का अपना व्यय का ब्योरा सरकार के पास भेजा है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन्, यह जो प्रश्न है वह बड़ा गंभीर है। मैं आपसे एक बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी संस्थायें जिनको मैं कांग्रेस पार्टी का एसाइलम कहता हूं तो ऐसी संस्थाओं के बारे में अगर कोई कोई सवाल किया जाता है तो उसे किसी न किसी रूप में टालने की कोशिश की जाती है। इसमें केवल ३-४ साल की सूचना की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने अपने खर्चे का हिसाब किया या नहीं किया ऐसी किसी सूचना की आवश्यकता नहीं थी। केवल इस सूचना की आवश्यकता थी कि सरकार ने इन संस्थाओं को इन ३-४-वर्षों में कितना-कितना रुपया दिया। इसमें किसी बहुत बड़ी इन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं थी। यह तो स्टेट लेविल का प्रश्न है और इसका जवाब हो सकता था लेकिन टालने के लिये यह सब किया गया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप आग्रह करें और आदेश दें कि सरकार इतने समय के अन्दर वह सूचना दे सके ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, कृपया सदन को बतादें कि इस सूचना को देने में क्या कठिनाई है ? यह प्रश्न १५ फरवरी का है और आज १३ अप्रैल हो रहा है। कृपया बतादें कि इसमें सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अभी सूचना नहीं आयी है। जब आ जायेगी तो उस का उत्तर शीघ्र ही देंगे।

श्री झारखण्डे राय—

इस में दिक्कत यह है कि अखबारों में जनरल कमेंट्स आ चुके हैं कि लाखों रुपया सरकार ने दिया है और जब से दिया गया तब से किसी साल का बैलेंस शीट सरकार को नहीं भेजा। सारे रुपये का बंगलिंग होता है। ऐसा बदनाम करने वाली चीजों के बारे में सरकार की उपेक्षा होगी तो उनका ही अहित होगा। जब स्टेट गवर्नमेंट से रुपया दिया गया तो सब रेकार्ड जिलों से मंगाने की जरूरत ही नहीं है यहीं पर सूचना एकत्र हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैं गौर कर लूंगा।

नर्सों का बकाया वेतन व भत्ता

*२४—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि डफरिन अस्पताल, कानपुर, जिला अस्पताल, रायबरेली, जिला अस्पताल, बरेली व सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा में ऐसी बहुत सी स्टाफ नर्सें हैं जिनको सन् १९६४ तथा १९६५ का चिकित्सावकाश वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२५---श्री सूबेदार सिंह (अनुपस्थित)---

क्या उपरोक्त चारों अस्पतालों में ऐसी स्टाफ नर्सें भी हैं जिन्हें स्थायी हुये (कन्फर्म हुये) तीन साल से अधिक हो गये हैं और उन्हें वार्षिक वृद्धि का रुपया नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२६---श्री सूबेदारसिंह (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल कालेज, लखनऊ, लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर, जिला अस्पताल, बरेली व जिला अस्पताल, रायबरेली में कितनी स्टाफ नर्सों की जमानत (सिक्योरिटी) का रुपया तथा टी० ए० बिल का भुगतान होना बाकी है ? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र उक्त रुपया दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

विकास खण्ड, फतेहपुर मड़ाव में सिंचाई कूप के लिए अनुदान

*२७---श्री भीमा प्रसाद (अनुपस्थित) तथा श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड, फतेहपुर मड़ाव, जिला आजमगढ़ के ग्राम मटुरी मरियम के खेत नम्बर १००/१ में जिसका रकबा ३५५ कड़ी है सिंचाई के लिये चालू वर्ष में सरकारी अनुदान पर कोई कुआं बनाया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जी नहीं ।

कोई नया कुआं नहीं बनाया गया है ।

*२८---सर्वश्री भीमा प्रसाद (अनुपस्थित) तथा रामसुन्दर पांडेय---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नम्बर के खेत में चालू वर्ष के पहले ही से कुआं मौजूद रहा है। और उसकी मरम्मत करके पूरा अनुदान ले लिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

संबंधित खेत में एक बहुत पुराना कूप मौजूद रहा है । इस चालू वर्ष में उसी कूप की मरम्मत कराई गई है ? इस कूप पर कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कूप की मरम्मत के लिये कितने रुपये का अनुदान दिया गया था ?

श्री बंशीधर पांडेय---

१,००० रु० इन को दिया गया था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मरम्मत के लिये १,००० रु० का ऋण दिया गया था तो पूरा नया कुंआ बनाने के लिये कितना ऋण या अनुदान दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति---

ऋण मांगा था नया कुआ बनाने के लिये और उस इन्सान ने बजाय नया कुआ बनाने के अपने पुराने कुए की मरम्मत कर ली। जब मालूम हुआ तब तहसीलदार को हुक्म दिया गया कि पूरा रुपया वसूल कर लिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या विकास मंत्री अपने विकास खंड कार्यालय से जांच करेंगे कि यह कुआ पुराना था और पुराने कुए को नये सिरे से बनाने के लिये संबंधित गांव सभा का जो ग्राम सेवक है उस ने कुआ नया बनाने की स्कीम पास कर दी और रुपया भी दिला दिया और जब उसके विरोधी को यह बात मालूम हुई तो फिर यह रुपया वापस करने की बात की गई, इस की मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री राममूर्ति---

रुपया वसूल करने की आवश्यक कार्यवाही तो कर दी गई । लेकिन अगर माननीय सदस्य लिख कर भेज दें तो हम जांच फिर करा सकते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह---

जैसा कि प्रस्तुत प्रश्न से भी मालूम है कि पैसे का दुरुपयोग हुआ और यादव जी का भी ऐसा ही प्रश्न है । ऐसे ही न जाने कितने धन का दुरुपयोग होता होगा, एक तो सरकार के पास पैसे की कमी है और सिंचाई की महत्ता भी अपनी जगह पर मौजूद है । तो मैं जानना चाहता हूं कि सिंचाई की महत्ता को स्वीकार करते हुये और इतने संकट से पैसा इकट्ठा करने की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अब भी विचार करके अपनी ओर से कुए बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति---

अगर अपनी ओर से बनाने का इंतजाम ही करने लगे तो जो कुछ है यह भी पट्ट हो जायगा ।

पैलानी निवासी बिसाली चमार को कूप अनुदान

*२६---श्री मतोला सिंह (जिला बांदा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पैलानी, जिला व तहसील बांदा के हरिजन श्री बिसाली चमार को हरिजन कूप बनाने को अनुदान मंजूर हुआ और वह जब ७०० रुपये अनुदान लेने गया तो उससे १०० रुपया दबाव डालकर श्री सुभाषचन्द शुक्ला, ग्राम सेवक निवापच्च ने ले लिया, उसने इसकी शिकायत लिखित प्रधान, पैलानी व ब्लाक प्रमुख ठा० जगमोहन सिंह, सा० पिपरगवां से प्रार्थना की किन्तु कोई सुनवाई नहीं की गई ? क्या सरकार इस धांधली की जांच कराने को तैयार है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---

यह सही है कि श्री बिसाली चमार को हरिजन कूप के नव निर्माण हेतु २,८०० रु० जिला परिषद् की लोकल ग्राण्ट से तथा २०० रु० हरिजन विभाग की ग्रान्ट से मंजूर हुआ पर यह सही नहीं है कि श्री बिसाली को ७०० का कोई अनुदान दिया गया और यह भी सही नहीं है कि श्री बिसाली ने कोई भी रकम इस संबंध में श्री सुभाष चन्द्र शुक्ला ग्राम सेवक को दी । इस संबंध में श्री बिसाली ने कोई लिखित शिकायत प्रधान ग्राम सभा, पैलानी तथा प्रमुख क्षेत्रीय समिति से नहीं की। अतः उसकी सुनवाई का प्रश्न नहीं उठता । इस संबंध में कोई धांधली नहीं हुई जिसकी जांच कराई जाय ।

सदर अस्पताल, गाजीपुर के कम्पाउन्डर व सिविल सर्जन के खिलाफ शिकायत

*३०—श्री झिलमिट राम, श्री रामसुन्दर शास्त्री, श्री रघुवीर तथा श्री ऊदल (जिला गाजीपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन व कम्पाउन्डर राजकुमार सिंह के खिलाफ दिनांक ८ अक्तूबर, १९६५ को बासुदेव सिंह यादव, ग्राम बुदाबख्शपुर, पो० जलालाबाद (बुल्हपुर) ने एक प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्री से स्वास्थ्य मंत्री को भेजा है ? यदि हां, तो सिविल सर्जन व कम्पाउन्डर के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

श्री यादव का दिनांक ५-१०-६५ का पत्र केवल श्री राज कुंवर सिंह कम्पाउन्डर के विरुद्ध शिकायत का मिला है ।

उक्त कम्पाउन्डर के मामले में जांच कराई गई और उसका दोष प्रमाणित नहीं हुआ ।

*३१—श्री झिलमिटराम, श्री राम सुन्दर शास्त्री, श्री रघुवीर तथा श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सिविल सर्जन व कम्पाउन्डर के खिलाफ दिनांक १९ अक्तूबर, १९६५ को श्री रघुवीरराम, विधायक गाजीपुर ने डाइरेक्टर आफ हेल्थ के यहां एक प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो अब तक उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । पत्र में लिखित शिकायत की जांच की गई । पर शिकायतें प्रमाणित नहीं हो सकीं ।

*३२—श्री झिलमिट राम, श्री राम सुन्दर शास्त्री, श्री रघुवीर तथा श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १९ दिसम्बर, १९६५ को डा० लतीफ जो कि बुल्हपुर में प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं, किसी कार्यवश गाजीपुर गये थे और कम्पाउन्डर रामकुमार सिंह ने अस्पताल के सामने ही डाक्टर को बुरी तरह से सड़क पर मारा और उनकी घड़ी आदि भी छीन ली, जिसकी रिपोर्ट गाजीपुर कोतवाली में डा० लतीफ ने की है ? क्या इस काण्ड की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो सरकार ने कम्पाउण्डर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस आरोप की जानकारी है। यह रिपोर्ट गैर दस्तंदाजी थी इस लिये उसकी तफतीश नहीं हुई । चूंकि सिविल सर्जन को इस विषय में कोई शिकायत नहीं मिली थी अतः विभागीय जांच का भी सवाल नहीं उठा ।

श्री झिलमिट राम—

क्या माननीय मंत्री जो बतलायेंगे कि जो यह जांच कराई गयी वह किस अधिकारी के द्वारा कराई गयी और मौके पर किन-किन लोगों से बयान लिये गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सिविल सर्जन की रिपोर्ट हमारे पास आई है ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री ऊदल—

जब सिविल सर्जन के पास उस कम्पाउन्डर के खिलाफ रिपोर्ट हो गयी थी तो फिर उस कंपाउन्डर के खिलाफ कार्यवाही करने को सिविल सर्जन कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह जो रिपोर्ट दर्ज हुई है पुलिस में दर्ज हुई है इसलिये सिविल सर्जन को जानकारी नहीं थीं। माननीय सदस्य पूरी तफसील हमारे पास भिजवा दें तो हम उसकी जांच करा लेंगे।

अतर्रा टाउन एरिया में धान के मिलों का पानी

*३३—श्री मतोला सिंह—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि बांदा-कर्वी पक्की सड़क के टाउन अतर्रा में दोनों किनारों पर धान की मिलों का गन्दा पानी भरा रहता है ? क्या सरकार सफाई की ओर ध्यान देने का कष्ट करेगी ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

जी हां। यह समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक टाउन एरिया कमेटी अतर्रा किसी प्रकार की जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर देती।

'नगवा बांध' योजना

*३४—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के जिला नियोजन अधिकारी ने नगवां बांध, जो धानी ब्लाक के अन्तर्गत है, पर रेगुलेटर बनाने के संबंध में सरकार के पास एक योजना भेजी है जिसके बनाने से हजारों एकड़ खेती की जमीन की बचत होगी ? यदि हां, तो उसे बनाने हेतु अभी तक क्या प्रगति हुई ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

जिला सहकारी बैंक, मुरादाबाद द्वारा ब्याज की वसूली

*३५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव बैंक, मुरादाबाद की पिछली जनरल मीटिंग में ए० जी० एम० और बैंक के डायरेक्टरों के फैसले के बाद भी सोसायटीज से सवा पांच रुपये प्रतिशत का प्रोनोट होने के बावजूद भी सवा आठ रुपया वसूल किया गया है ? और उनकी वह ज्यादा रकम सदस्यों के हिसाब में लगा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

जिला सहकारी बैंक, मुरादाबाद द्वारा सहकारी समितियों को १-३-६५ से पहले ५ १/२ प्रतिशत पर ऋण दिया गया था परन्तु बैंक ने समितियों से उस ऋण की वसूली साढ़े आठ प्रतिशत की दर से की थी। बैंक ने इस प्रकार वसूल किये गये अतिरिक्त धन को संबंधित सदस्य समितियों के खाते में अब मुजरा (क्रेडिट) कर दिया है।

विकास अधिकारियों का चुनाव

*३६—श्री गिरवर प्रसाद (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० डी० ओ० का चुनाव जो सन् १९६५ में हुआ था उसका नतीजा कब घोषित करने जा रही है ? नतीजा घोषित होगा या घोषित करने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री राममूर्ति---

सन् १९६५ में क्षेत्र विकास अधिकारियों का कोई चुनाव नहीं हुआ था। जून, १९६५ में क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर लम्बी अवधि की अस्थायी/स्थानापन्न रिक्तियों के लिये अर्हता रखने वाले विभागीय कर्मचारियों की एक अर्हकारी लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के उपरान्त परीक्षा फल यथाशीघ्र तैयार किया जायेगा। आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने पर चुने गये अभ्यर्थियों को यथा समय सूचित कर दिया जायगा।

*३७---श्री गिरवर प्रसाद---

क्या सरकार प्रदेश में ए०डी० ओ० महिला तथा पुरुष का पद समाप्त करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री राममूर्ति---

जहां तक सहायक विकास अधिकारी (महिला) का संबंध है मितव्ययिता समिति ने सिफारिश की थी कि यह पद समाप्त कर दिये जायें। इस सिफारिश पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ।

जहां तक सहायक विकास अधिकारी (पुरुष) के पदों का सवाल है, विभिन्न विभागों से संबंधित सहायक विकास अधिकारी पदों में से केवल सहायक विकास अधिकारी (कम्पोस्ट) के ४७५ पदों को अगले वित्तीय वर्ष में क्रमशः समाप्त करने के लिये निर्णय लिया गया है। उक्त ४७५ पद ३१ मार्च, १९६७ के बाद नहीं रहेंगे।

खुटार ब्लाक में कैलशियम नाइट्रेट खाद का वितरण

*३८---श्री विक्रम शाह (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार को विदित है कि सहकारी संघ विकास क्षेत्र, खुटार (जिला शाहजहांपुर) में जो कैलशियम नाइट्रेट खाद काश्तकारों को ऋण के रुपये के साथ देने को आई थी उसे विकास क्षेत्र खुटार के काश्तकारों को न देकर विकास क्षेत्र पवायां के काश्तकारों को २१ रुपये प्रति बोरी के हिसाब से ब्लैक में नकद बेची गई ?

श्री बनारसीदास---

सहकारी संघ, खुटार, ब्लाक, खुटार, जिला शाहजहांपुर से कैलशियम नाइट्रेट खाद ब्लाक को उन्हीं समितियों को दी गई है जिनका कर्जे का रुपया जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर में प्रदेशीय सहकारी संघ लखनऊ के खाद के एकाउन्ट में जमा हो चुका था।

सहकारी संघ, खुटार द्वारा कैलशियम नाइट्रेट खाद ब्लाक पुवांया के कृषकों को २१ रु० प्रति बोरी के भाव से ब्लैक में नकद नहीं बेची गई।

*३९---श्री विक्रम शाह---

क्या सरकार को विदित है कि विकास क्षेत्र, खुटार के सहकारी संघ में १९.८७ कैल्शियम नाइट्रेट खाद की ५० किलोग्राम वाली बोरी पर लिये गये हैं जबकि विकास क्षेत्र, खुटार के ही एग्रीकल्चर स्टोर पर उक्त खाद की बोरी के दाम १८.६० ही हैं ? यदि हां, तो इसका रहस्य क्या है ?

श्री बनारसीदास---

यह सही है कि सहकारी संघ, खुटार के सुपरवाइजर ने केवल एक सदस्य से कैलशियम नाइट्रेट खाद की कुल एक बोरी की कीमत १९ रु० ८७ पैसे ली जबकि बोरी का भाव १८ रु० ६० पैसे था।

निर्धारित भाव से १ रु० २७ पैसा अधिक लेने का कारण यह था कि खुटार संघ को रेलवे से खाद छुडाते समय ९२ रु० ९० पैसा डैमरेज के देने पड़े थे। सुपरवाइजर ने इस डैमरेज को खाद की कीमत के साथ लगा दिया।

विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी होने पर सुपरवाइजर को आदेश दिये गये कि डैमरेज को खाद की कीमत के साथ न लगाये।

खाद का अधिक मूल्य जो रसीद द्वारा लिया गया है और संघ के खाते में जमा है उसे सदस्य के अमानत के खाते में डाल देने के आदेश दिये जा रहे हैं।

*४०— श्री विक्रम शाह—

क्या यह सत्य है कि विकास क्षेत्र, खुटार, जिला शाहजहांपुर के सरकारी संघ में इस वर्ष (अक्तूबर, ६५) में जो रबी का बीज काश्तकारों को दिया गया उसके साथ २ रुपये प्रति बोरी के हिसाब से अनिवार्य रूप से बोरी भी दी गई तथा साथ में २५ पैसे प्रति बोरी सुरक्षा कोष के तथा १० पैसे प्रति बोरी पल्लेदारी के भी लिये गये जबकि इनकी कोई रसीद नहीं दी गई तथा जबकि बोरियां काश्तकारों ने स्वयं उठवाकर तौलवाई ? क्या सरकार जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—

जांच कर ली गई है।

दो रुपया प्रति बोरी उन्हीं काश्तकारों से लिये गये जो इच्छा से गल्ले के साथ बोरी ले गये थे। बोरी की कीमत की रसीद समिति वार काट दी गई है।

२५ पैसे प्रति बोरी और १० पैसे प्रति बोरी सुरक्षा कोष तथा पल्लेदारी के नहीं लिये गये थे बल्कि क्रमशः "टीचर्स डे" कलेक्शन सील और टी० बी० सील के उन्हीं काश्तकारों से लिये गये थे जिन्होंने स्वेच्छा से दिया। ये सील प्लानिंग विभाग से क्षेत्र विकास अधिकारी खुटार द्वारा प्राप्त हुई थीं। सीलों पर उनका मूल्य छपा था इसलिये वही उनकी रसीद है अलग से कोई रसीद नहीं दी गई। सील की बिक्री का हिसाब विकास क्षेत्र अधिकारी खुटार के कार्यालय में दे दिया गया है।

[१३ अप्रैल, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

बाराबंकी जिले में जनशक्ति उपयोग योजनान्तर्गत सड़कें

*४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जो २१ जिले जनशक्ति योजना में लिये गये हैं इनमें से कौन-कौन ब्लाक इस योजना में शामिल हैं और इन ब्लाकों के लिये कब और कितना-कितना धन व्यय कर सड़कों के निर्माण की व्यवस्था की गई ?

*५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ब्लाकों के लिये सड़क निर्माण हेतु जो धन स्वीकृत किया गया था उसमें से अब तक कितना धन व्यय हो चुका है और कितनी लम्बाई की सड़कें बन चुकी हैं और कितनी शेष हैं ?

*६—क्या यह बात सही है कि जिन ब्लाकों को उक्त योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के लिये धन स्वीकृत हुआ है उसका अधिकांश ब्लाकों में समय के अन्दर उपयोग नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार बाराबंकी जिले के सबसे पिछड़े क्षेत्र हैदरगढ़ तथा त्रिवेदीगंज विकास खंडों को शामिल कर जिन ब्लाकों में काम नहीं हो पा रहा उनका रुपया इन ब्लाकों की सड़कों के निर्माण पर व्यय करने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

केन्द्रीय काष्ठ–शिल्पविद्यालय, बरेली का प्रबन्ध

*७––श्री हरीशकुमार गंगवार––

क्या सरकार को ज्ञात है कि केन्द्रीय काष्ठ-शिल्प विद्यालय, बरेली जून, १९६५ से प्राविधिक शिक्षा विभाग से निकालकर प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय को हस्तान्तरित कर दिया गया है यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास––

जी हां। सामान्य प्रशासन की दृष्टि से यह निश्चय किया गया है कि सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का समस्त कार्य निदेशक, प्रशिक्षण एवं आयोजन के अधीन रहे।

*८––श्री हरीशकुमार गंगवार––

क्या सरकार बतायेगी कि जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा पेपर प्रिंटिंग एवं लेदर टेक्नालोजी के डिप्लोमा कोर्स चलाये जा रहे हैं उसी प्रकार काष्ठ शिल्प में डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स चालू करने पर प्रदेशीय सरकार विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास––

इस प्रकार का काष्ठ शिल्प में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स चालू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*९––श्री हरीश कुमार गंगवार––

क्या सरकार यह देखते हुये कि बरेली का उपरोक्त विद्यालय करोड़ों रुपये की लागत के सभी साधनों से सम्पन्न, भारत का एकमेव विद्यालय है, इसका विकास, लन्दन के सिटी ऐण्ड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट के स्तर पर करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास––

उपरोक्त विद्यालय के प्रशिक्षण एवं आयोजन निदेशालय को हस्तान्तरण के पश्चात् सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम के स्तर से ऊपर का कोई अन्य पाठ्य क्रम चालू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

देवरिया जिले में सहकारी सुपरवाइजरों का निलम्बन

*१०––श्री झारखंडे राय––

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कितने सहकारी सुपरवाइजर हैं जो पिछले ६ माह से अधिक तथा १ साल के भीतर, १ साल से अधिक और २ साल के भीतर, तथा दो साल से भी अधिक और तीन साल के भीतर लगातार निलम्बित हैं ?

श्री बनारसी दास––

देवरिया जिले में तीन साल के अन्दर के कुल ६ (छः) सहकारी सुपरवाइजर निलम्बित हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

(अ) पिछले छः माह से अधिक तथा १ साल के भीतर निलम्बित सुपरवाइजर––२

(ब) एक साल से अधिक और दो साल के भीतर निलम्बित सुपरवाइजर––२

(स) तथा दो साल से अधिक और तीन साल के भीतर निलम्बित सुपरवाइजर––२

*११––श्री झारखंडे राय––

क्या सरकार बतायेगी कि इन निलम्बित सुपरवाइजरों के मामलात के निर्णय हेतु क्या कार्यवाही की गई और उसके परिणाम क्या हुए ?

श्री बनारसी दास--

इन सहकारी पर्यवेक्षकों के मामलात में से चार का निर्णय जिला स्तर से किया जा चुका है उनमें से १ क्षेत्रीय अनुशासन समिति गोरखपुर को एवं ३ मामलात सीधे राज्यस्तर या प्रान्तीय सहकारी यूनियन को भेजे गये हैं। १ वर्ष के अन्दर के उक्त दो मामलों में अभी जिला स्थानीय अनुशासन समिति द्वारा कार्यवाही हो रही है।

*१२--श्री झारखंडे राय--

क्या सरकार बतायेगी कि कितने सुपरवाइजरों के मामलात जिला स्तर के नियमानुसार निर्णय होकर गत तीन साल में राज्य स्तर पर भेजे गये ?

श्री बनारसी दास--

तीन मामले राज्य स्तर पर यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन लखनऊ को भेजे गये हैं।

उद्योगों के लिए निम्नतम वेतन समिति

*१३--श्री संतसिंह यूसुफ--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चमड़ा उद्योग के लिए नियुक्त निम्नतम वेतन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ या नहीं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखेगी ? यदि नहीं, तो समिति का प्रतिवेदन कब तक मिलने की आशा है ?

श्री बनारसी दास--

जी हां। प्रतिवेदन अभी शासन के विचाराधीन है।

*१४--श्री सन्तसिंह यूसुफ--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किन उद्योगों के लिए निम्नतम वेतन समितियां नियुक्त हुई हैं और उनके प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

श्री बनारसी दास--

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत तेल मिल तथा आटा, चावल एवं दाल मिलों में निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों के पुनरीक्षण करने के निमित्त एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति को शासन ने ३१ अगस्त, १९६६ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया है।

आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के छात्रों की मांगें

*१५--श्री विजय सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ से १९६४-६५ में कितने छात्रों ने फाइनल परीक्षायें पास कीं तथा कितनों को काम में लगाया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ से १९६४-६५ में फाइनल परीक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या ३२ है। उनमें से सबको विभिन्न प्रकार के काम दिये गये जिन्हें दो ने स्वीकार नहीं किया।

*१६--श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि १९६६ में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ की हड़ताल कब से और कौन-कौन सी मांगों के कारण हो रही है और सरकार को उन मांगों की पूर्ति में क्या आपत्ति है ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना--

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के छात्रों की हड़ताल १० जनवरी, १९६६ से चल रही है। छात्रों की मांगें मुख्यतः निम्नलिखित हैं :

(१) उन्हें बी० एम० बी० एस० स्नातकों के समान अधिकार, वेतन क्रम आदि दिये जायं।

(२) उन्हें मेडिकल काऊंसिल द्वारा प्रस्तावित कन्डेन्स कोर्स की सुविधा दी जाय।

(३) हाई पावर्ड कमेटी जो कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी उसकी संस्तुतियों के आधार पर विशेष कैडर दिया जाय।

(४) कालेज संबंधी फैकल्टी का नाम "फैक्लटी आफ आयुर्वेद" के स्थान पर "फैक्लटी आफ मेडिसिन (मार्डन एण्ड एनशियन्ट)" रखा जाय।

(५) आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेद विद मार्डन मेडिसिन एण्ड सर्जरी) की डिग्री का नाम बी० एम० बी० एस० कर दिया जाय।

(६) बलरामपुर हास्पिटल में हाउस जाब दिया जाय।

(७) मेडिको लीगल अधिकार दिए जायं।

उनकी कुछ मांगों का मुख्य निष्कर्ष यह है कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के उद्देश्य में मूलतः परिवर्तन किया जाय, जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है।

*१७--श्री विजय सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आजकल की लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज की बी० ए०, एम० एम० एस० तथा पिछली बी० एम० बी० एस० की डिग्री में कोई प्राविधिक भेद है? डदि हां, तो वह क्या ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेद विथ मार्डन मेडिसिन एण्ड सर्जरी) डिग्री के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है जो कि बी० एम० बी० एस० कोर्स में नहीं था।

रामनगर विकास खण्ड अधिकारी के विरुद्ध जांच

*१८---श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले के विधायक श्री जगदम्बा प्रसाद जी ने ११ दिसम्बर, ६५ को जो शिकायत सरकार को डेवलपमेंट कमिश्नर के नाम जिला फैजाबाद के रामनगर ब्लाक के बी० डी० ओ० के विरुद्ध सीमेंट वितरण अनियमितताओं और सरकारी फण्ड के दुरुपयोग के विषय में दी थी उसके आधार पर क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई ?

श्री राममूर्ति---

श्री जगदम्बा प्रसाद, विधायक ने राम नगर ब्लाक, जिला फैजाबाद के बी० डी० ओ० के विरुद्ध जो शिकायत की थी उसकी जांच जिलाधीश, फैजाबाद के माध्यम से कराई गयी। जांच सहायक निबंधक, सहकारी समितियां द्वारा की गयी और जांच के आधार पर संबंधित क्षत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई भी आरोप सही साबित नहीं हुआ है।

बनारस आइस फैक्टरी पर श्रमिकों का बकाया

*१९--श्री रियासत हुसेन--

क्या श्रम मंत्री को मालूम है कि बनारस आइस फैक्ट्री तथा उसके मजदूरों के बीच श्रम न्यायालयों द्वारा निर्णय की रकम बनारस के कलेक्टर के कार्यालय एवं श्रम विभाग की ढिलाइयों के कारण वसूल नहीं हो पा रही है ? सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है और मजदूरों का रुपया मिल जायगा या नहीं ?

श्री बनारसी दास--

प्रश्न में उल्लिखित मामलों में रकम की वसूलयाबी की कार्यवाही श्रम विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर वाराणसी द्वारा की गई थी। कुछ मामलों में रुपया वसूल करके श्रमिकों को बांट दिया गया तथा अन्य मामलों में वैधानिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाने के कारण वसूलयाबी संभव नहीं है ।

*२०--श्री रियासत हुसैन--

क्या श्रम मंत्री जी को मालूम है कि बनारस आइस फैक्ट्री तथा उनके मजदूरों के लिए स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद रेफरेंस नं० ३४ सन् १९५२ में हुए फैसले के अन्तर्गत ५,२२५ रुपया ५० पैसा और एडजूडिकेशन नं० १५, १९५२ में हुए फैसले की कुल रकम के अन्तर्गत १,६०१ रुपया ६३ पैसा और एडजूडिकेशन केस नं० २६, सन् १९५२ में हुए फैसले के अन्तर्गत १२,३९९ रुपया मजदूरों का निकलता है ? इसको अब तक न मिलने के कारण क्या हैं ?

श्री बनारसी दास--

जी हां। एवार्ड संख्या १५ / १९५२ में १,४२१.२५ पैसा, २६/ १९५२ में १२,३९९ रुपया और ३४ / १९५२ में ५,२२५.५० पैसा मजदूरों का निकलता है। इनकी वसूलयाबी के लिए प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्यवाही की गई, लेकिन उनके पास कोई संपत्ति न होने के कारण वसूली न हो सकी ।

बाराबंकी जिले में नलकूप

*२१--श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में हर ब्लाक में अप्रैल, ६४ से फरवरी, ६५ तक ट्यूबवेल के लिए किस-किस को कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

श्री राममूर्ति--

बाराबंकी जिले में व्यक्तिगत नलकूप के लिए ब्लाकों से अप्रैल, ६४ से फरवरी, ६५ तक की अवधि में कोई भी अनुदान नहीं दिया गया है ।

*२२--श्री द्विजेन्द्र नारायण--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि किन-किन लोगों ने ट्यूबवेल के अनुदान अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं और उनके क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति--

उपरोक्त अवधि में नलकूपों के लिए अनुदान देने का प्राविधान नहीं था । अतएव अनुदान देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर जिला कृषक समाज

*२३—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला कृषक समाज ने कोई पत्र कृषक समाज की नई विधियों के संबंध में रजिस्टर्ड भेजा था जो ९ अगस्त, १९६५ को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी के खिलाफ शिकायतें

*२४—श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी से अगस्त तथा सितम्बर, ६५ में शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी के खिलाफ कितनी शिकायतें स्वास्थ्य मंत्री, निदेशक, स्वास्थ्य विभाग के पास आई हैं क्या उनमें श्री मूरत नारायण सिंह, ग्राम तारापुर, थाना रोहनियां, जिला वाराणसी का भी प्रार्थना-पत्र है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और उसकी जांच किसके द्वारा कराई गई ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

अगस्त तथा सितम्बर, ६५ में वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल के खिलाफ दो शिकायतें स्वास्थ्य मंत्री महोदय के पास व एक शिकायत स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पास आयी हैं। इनमें एक शिकायती पत्र श्री मूरत नारायण सिंह का भी है। श्री मूरत नारायण सिंह की शिकायत रोगी श्री हरि नारायण सिंह की चोटों (injuries) से संबंधित थीं। शिकायत की जांच सिविल सर्जन, वाराणसी द्वारा कराई गई थी।

प्रधान, गांव सभा, बिनौर के विरुद्ध आरोप

*२५—श्री संतसिंह यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ में प्रधान गांव सभा बिनौर, परगना व जिला कानपुर के द्वारा गांव पंचायत की हजारों रुपये की धनराशि अपने पास रखने और नियमानुसार डाकखाने या राज्य कोष में जमा न करने के क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति—

जिला कानपुर की गांवसभा बिनौर के प्रधान द्वारा वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ में गांव सभा का हजारों रुपया डाकखाने तथा राज्य कोष में जाम न करने का कारण निर्माण कार्यों का निरन्तर होते रहना बताया गया है ।

*२६—श्री संतसिंह यूसुफ—

[१०वें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

डाक्टरों की कमी

*२७—श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पतालों में डाक्टरों की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या सरकार के यह भी विचाराधीन है कि कुछ वर्षों तक यह नियम बना दिया जाय कि मेडिकल कालेजों में उन्हीं छात्रों का प्रवेश होगा जो कम से कम २५ वर्ष तक सरकारी अस्पतालों में सेवा करेंगे ? यदि छात्र गरीब हों तो उन्हें उचित सूद पर कर्जा भी दे दिया जाय ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना---

डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना काल में मेरठ, झांसी व गोरखपुर में एक-एक मेडिकल कालेज स्थापित किया जायगा। जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। ऐसे छात्रों को, जिनके अभिभावकों की मासिक आमदनी ३०० रुपया से अधिक न हो, कर्जा देने की एक योजना है जिसके नियम बनाये जा रहे हैं।

विकास खण्ड अधिकारी, भिठौरा के खिलाफ शिकायत

*२८---श्री नाथूराम शिक्षक तथा श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विकास खण्ड अधिकारी भिठौरा, जिला फतेहपुर ने विकास खण्ड के एक व्यक्ति का २,५०० रु० जो ३० मार्च, १९६३ को पंपिंग सेट के लिए स्वीकार हुआ था, सहकारी बैंक भिठौरा से निकाल कर अपने पास रख लिया और उसे अपने खर्च में लगाये रहे और शिकायत किये जाने पर २० अगस्त, १९६५ को को मय सूद के तहसील में जमा कर दिया ? यदि हां, तो उक्त गबन के संबंध में उक्त खण्ड विकास अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

खड्डा चीनी मिल में कर्मचारी की मृत्यु

*२९---श्री बिपिन बिहारी तिवारी---

क्या श्रम मंत्री को इसकी जानकारी है कि देवरिया जिले के खड्डा चीनी मिल में जनवरी, १९६६ में किसी कर्मचारी की मृत्यु कारखाने में काम करते हुए हो गई ? यदि हां, तो मृत्यु का कारण क्या था तथा सरकार द्वारा मिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास---

जी हां। कर्मचारी वाटर इन्जेक्सन पंप के सेक्सन पाइप की सफाई एवं जांच करते समय सेक्सन पाइप में खिच जाने से उसके डूबने से मृत्यु हो गई। कारखाना अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत मिल अधिकारियों के विरुद्ध संबंधित उल्लंघनों हेतु अभियोग चलाये गये। इसके अतिरिक्त कारखाना अधिकारियों की इस दण्डनीय लापरवाही की ओर जिलाधीश का ध्यान इन्डियन पैनल कोड की धारा ३०४ ए के अन्तर्गत उचित जांच करने के लिए आकर्षित कर दिया गया है।

आजमगढ़ जिला सहकारी बैंक की आडिट रिपोर्ट

*३०---श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)---

क्या सहकारिता मंत्री आजमगढ़ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, की आडिट रिपोर्ट मय नोट के वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ की सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास---

आजमगढ़ जिला सहकारी बैंक की आडिट रिपोर्ट की सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

इस्लामनगर केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही

*३१---श्री बिपिन बिहारी तिवारी---

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६६ के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न ५८-५९ के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब जनरल मैनेजर तथा खजांची दोनों पर मुकदमा चल रहा है तो केवल खजांची को ही क्यों निलम्बित किया गया है ?

श्री बनारसी दास---

खजांची पर कैश की जिम्मेदारी थी पुलिस ने खजांची को बैंक से गिरफ्तार किया था और उन्होंने उनको निलम्बित कराया। जनरल मैनेजर का कैश से कोई संबंध नहीं था उनका उत्तरदायित्व बैंक एवम् उनकी शाखाओं की देख-रेख करना है। अतः बैंक अधिकारियों ने जनरल मैनेजर को निलम्बित करना उचित नहीं समझा।

प्रधान, गांव सभा उमरी के विरुद्ध शिकायतें

*३२---श्री रघुवीर---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गांव सभा उमरी, परगना औरैया, जिला इटावा के प्रधान के विरुद्ध पंचायत के धन के गबन, पंचायत के जाली लेखा बनाने, पंचायत के धन व संपत्ति के दुर्विनियोजन करने के आरोप वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में सरकार को प्राप्त हुए थे? जिनकी न्यायिक जांच नहीं की गई है? क्या सरकार जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री राम मूर्ति---

जिला इटावा की गांव सभा उमरी के प्रधान के विरुद्ध वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिनकी जांच संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कराई गई थी, पर आरोप प्रमाणित नहीं हुए। इसके अलावा परगना मैजिस्ट्रेट ने समस्त अभिलेखों का निरीक्षण कर प्रधान को पंचायत के धन के गबन तथा संपत्ति व धन के दुरुपयोग संबंधी आरोपों से बरी कर दिया था। परगना मैजिस्ट्रेट के निर्णय के बाद दुबारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*३३---श्री रघुवीर---

[८वें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

श्री सुरेन्द्रप्रताप चन्द्र, विकास खण्ड अधिकारी, बर्डपुर के विरुद्ध आरोप

*३४---श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती) तथा श्री हरीश कुमार गंगवार---

क्या यह सत्य है कि श्री सुरेन्द्रप्रताप चन्द्र विकास खण्ड अधिकारी, बर्डपुर, जिला बस्ती ने ग्राम सभा कुतरैनी बर्डपुर नं० १० के अन्तर्गत स्थित शीशम के पेड़ को कटवाया तथा निजी इस्तेमाल में लाकर पलंग, सोफा आदि बनवाया?

श्री राममूर्ति---

जी नहीं।

*३५---श्री चन्द्रपाल तथा श्री हरीश कुमार गंगवार---

यदि हां, तो शीशम के पेड़ क्यों विकास खण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम सभापति को दबाव डलवा कर कटाया और क्यो अपने निजी इस्तेमाल में लाया?

श्री राममूर्ति---

प्रश्न ही नहीं उठता।

*३६---श्री चन्द्रपाल तथा श्री हरीश कुमार गंगवार---

यदि नहीं, तो सरकार किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच करायेगी?

श्री राममूर्ति--

इस संबंध में स्थानीय जांच अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी, बस्ती द्वारा करा ली गई ।

*३७--श्री शिवनाथ सिंह--

[११ अप्रैल, १९६६ के प्रश्न सं० ४९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

राजेपुर विकास खण्ड अधिकारियों के विरुद्ध जांच

*३८--श्री महराम सिंह--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सन् १९६१, अप्रैल में फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर विकास क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारिगणों के विरुद्ध शिकायतों की जांच उपमंत्री, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच में कितने व्यक्तियों ने बयान दिया था ?

श्री राममूर्ति--

प्रश्न में उल्लिखित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की जांच सन् १९६१ में तत्कालीन उप नियोजन मंत्री जी ने मौके पर जाकर की थी। उनकी रिपोर्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जांच में कितने व्यक्तियों ने बयान दिया था ।

*३९--श्री महराम सिंह--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामले में जांच के बाद उपमंत्री नियोजन विभाग, मंत्री नियोजन विभाग को क्या रिपोर्ट दी थी ? उस रिपोर्ट को सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करना जनहित में नहीं है।

*४०--श्री महराम सिंह--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त क्षेत्रीय विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारिगणों के विरुद्ध उपमंत्री की जांच के बाद क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति--

तत्कालीन उपमंत्री महोदय ने रिपोर्ट में केवल यह सिफारिश की थी कि संबंधित क्षेत्र विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) का स्थानान्तरण तुरन्त कर दिया जाय। तदनुसार स्थानान्तरण कर दिया गया था।

रायबरेली जिले में डेवलपमेंट कमिश्नर का दौरा

*४१--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या विकास मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत १९६५-६६ में जनवरी, १९६६ तक डेवलपमेंट कमिश्नर ने किन-किन विकास खंडों का दौरा किया था और उस निरीक्षण की कौन-कौन सी चीजें उन्होंने अच्छी समझीं जिसे अपनी रिपोर्ट में दिया ? क्या उनकी लिखी हुई वार्षिक रिपोर्ट, सरकार सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

जिला रायबरेली के अन्तर्गत १९६५-६६ में जनवरी, १९६६ तक आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास ने बछरांवा, राही, ऊंचाहार, डमलऊ, महराजगंज तथा हरचन्दपुर विकास खण्डों का दौरा २८ व २९ जनवरी, १९६६ को किया। निरीक्षण में पंचायत उद्योग बछरांवा, लघु सिंचाई तथा कृषि उत्पादन कार्यक्रम का सामान्यतया सन्तोषजनक उल्लेख अपनी रिपोर्ट मकिया है। रिपोर्ट† की एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

आजमगढ़ जिला परिषद् अध्यक्ष के विरुद्ध जांच

*४२--श्री उमाशंकर---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि सरकार ने सन् १९६२-६३ में आजमगढ़ जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध टी० ए०, डी० ए० के गलत लेन-देन के बारे में कोई न्यायिक जांच करायी थी ?

श्री राममूर्ति--

सरकार ने १९६२-६३ में भूतपूर्व अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ के तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध गलत टी० ए० तथा डी० ए० लेने के बारे में कोई न्यायिक जांच तो नहीं करायी थी किन्तु इस सम्बन्ध में एक विभागीय जांच अवश्य हुई थी।

*४३--श्री उमाशंकर---

यदि हां, तो उसकी जांच किस मैजिस्ट्रेट ने की थी और उसकी रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर मंत्री जी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

विभागीय जांच तत्कालीन जिला मैजिस्ट्रेट, आजमगढ़ ने की थी जिनकी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

जिला सहकारी संघ, शाहजहांपुर में गबन

*४४--श्री पुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सहकारिता मंत्री को पता है कि जिला सहकारी संघ, शाहजहांपुर में गत चार वर्षों से लगभग ८० हजार रुपया का गबन चल रहा है ? यदि हां, तो मंत्री जी इस विषय में जांच का तुरन्त आदेश देंगे और जो दोषी हों उसको उचित दण्ड दिया जायेगा ?

श्री बनारसी दास--

जिला सहकारी संघ लिमिटेड, शाहजहांपुर में अस्सी हजार रुपये का कोई गबन नहीं है बल्कि केवल ११,५९२ रु० का गबन श्री महेन्द्रपाल की सस्ते गल्ले की दुकान के दुकानदार के द्वारा हुआ था। इस सम्बन्ध में उसके विरुद्ध अदालत में मुकदमा चलाया गया और उसे चार साल का कारावास तथा रु० ४,००० का आर्थिक दण्ड दिया गया। अभियोगी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने पर कारावास तथा आर्थिक दण्ड ज्यों का त्यों रहा। शेष धनराशि संघ द्वारा चलाई गई सस्ते गल्ले के दुकानों के दुकानदारों पर बकाया है जो अभी तक वसूल नहीं हो सकी है।

---

† छापी नहीं गई।

गोंडा जिले में विकास क्षेत्र

*४५—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कितने विकास क्षेत्र हैं तथा कौन-कौन क्षेत्र कब आरम्भ किये गये और प्रत्येक क्षेत्र में कितनी ग्राम सभायें हैं ?

श्री राममूर्ति—

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२४ पर)

*४६—श्री गंगा प्रसाद—

क्या यह सत्य है कि सरकार कुछ क्षेत्र समाप्त करने जा रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। जिला अधिकारी तथा जिला परिषद् की कार्य समिति के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

*४७—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा जिला परिषद् की कार्य समिति ने सरकार के पास विकास क्षेत्र समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव अथवा रिपोर्ट हाल में भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। जिला परिषद् की कार्य समिति के प्रस्ताव बताना जनहित में न होगा।

श्री मोती हरिजन की शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी में भर्ती

*४८—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि वाराणसी जिला के धानापुर थाना के कवई पहाड़पुर ग्राम में दिनांक २९ जनवरी, १९६६ को बलवा हुआ था और उसमें एक पक्ष के श्री मोती हरिजन चिन्तनीय हालत में श्री शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल में भर्ती किये गये तथा डाक्टर ने बेहोशी और खराब हालत में ही अस्पताल से खारिज कर दिया जिससे घर जाने पर उनकी दिनांक १२ फरवरी, १९६६ को मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो उक्त डाक्टर पर कौन सी उचित कार्यवाही की गयी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्री मोती हरिजन को दो पुलिस कान्सटेबिल २९-१-६६ को १० बजे रात्रि में बेहोशी की हालत में वाराणसी के शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल में लाये जहां उन्हें भर्ती किया गया। यह कहना ठीक नहीं है कि डाक्टर ने उन्हें बेहोशी एवं खराब हालत में ही अस्पताल से खारिज कर दिया। रोगी को होश में आने तथा ठीक हो जाने के बाद ही ४-२-६६ को खारिज किया गया। अतएव डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*४९-५०—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[८वें गुरुवार के लिये प्रश्न सं० ८६-८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पंचायती राज साधन समिति की कर सम्बन्धी सिफारिशें

*५१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के "नवजीवन" पत्र के १९ अगस्त, १९६५ के अंक में प्रकाशित 'मालगुजारी' पर २५ से ४० पैसे तक प्रति रुपये अनिवार्य शिक्षा शुल्क जिला परिषद् व पंचायतें नये कर लगायेंगी राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय शीर्षक पर जिसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने पंचायती राज के साधन के सम्बन्ध में नियुक्त समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिससे जिला परिषदों को ५.२५ करोड़ तथा कुछ पंचायतों की वार्षिक आमदनी में वृद्धि होगी। यदि हां, तो समिति की वह मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है अथवा विचाराधीन हैं ?

श्री राममूर्ति—

मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक दशा सुधारने हेतु उक्त समिति के कुछ सुझावों को मान कर उन्हें उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्तीय साधन (विविध प्राविधान) विधेयक, १९६५ द्वारा विधान मंडल में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की थी किन्तु बाद में आपत्काल की स्थिति को ध्यान में रखते हुये उक्त विधेयक को विधान मंडल में प्रस्तुत करने का विचार स्थगित कर दिया गया। उक्त समिति की तत्सम्बन्धित सिफारिशें संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२५ पर)

बिन्दकी परगना में सिंचाई के लिए सुझाव

*५२—श्री मतोला सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला फतेहपुर, परगना बिन्दकी के ग्राम मिटाई-खरौली तथा परसदेपुर जो जिला कानपुर की सरहद पर है असिंचित है ? क्या सरकार इन ग्रामों में बोरिंग कराके पम्पिंग सेट लगा के आबपाशी कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। परन्तु निजी अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत काश्तकारों को बोरिंग कराने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिये ऋण तथा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रयास किया जा रहा है कि इन ग्रामों में इस प्रकार अधिक से अधिक कार्य सम्पन्न किया जावे।

*५३—श्री भगवान दीन—

[अस्पष्ट होने के कारण पुनर्विचार पर हटा दिया गया।]

श्री मनोहरसिंह, ब्लाक प्रमुख, कल्यानपुर के विरुद्ध आरोप

*५४—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड कल्यानपुर, जिला कानपुर से ब्लाक प्रमुख ने अपने रिश्तेदार गांव सभा परगहीं कछार के प्रधान श्री दुलारे सिंह को कुक्कुट योजना के अन्तर्गत पोल्टरी फार्म खोलने के लिये धन दिलाया है जिस धन से प्रधान दुलारे सिंह ने आज तक कोई भी पोल्टरी फार्म नहीं खोला है बल्कि प्रधान दुलारे सिंह व ब्लाक प्रमुख तथा विकास खण्ड अधिकारी कल्यानपुर ने आपस में मिल कर पोल्टरी फार्म के धन को बांट कर धन का दुर्विनियोजन कर लिया है ? यदि हां तो क्या सरकार इसकी जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा कराकर वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५५--श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड, कल्यानपुर, जिला कानपुर से गांव सभा परगही कछार के प्रधान श्री दुलारेसिंह को स्कूल भवन-निर्माण हेतु २,५०० रुपये धनराशि का अनुदान दिया गया है तथा ५९ बोरी सीमेंट का परमिट तथा उक्त धनराशि से आज तक प्रधान दुलारे सिंह ने कोई स्कूल भवन-निर्माण नहीं कराया तथा सीमेंट की बोरियों को प्रधान दुलारे सिंह व ब्लाक प्रमुख तथा विकास खण्ड अधिकारी कल्यानपुर ने मिल कर ब्लैक में बेंच दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराके वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री राममूर्ति--

ग्राम सभा परगही कछार के प्रधान को स्कूल भवन निर्माण हेतु अनुदान तथा सीमेंट का परमिट नहीं दिया गया। अतः स्कूल भवन निर्माण तथा ब्लाक प्रमुख विकास खण्ड अधिकारी कल्यानपुर और उक्त प्रधान द्वारा सीमेंट की बोरियों के ब्लैक करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*५६--श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड कल्यानपुर, जिला कानपुर से ब्लाक प्रमुख श्री मनोहर सिंह ने अपने भतीजे प्रधान, गांव सभा बिजनौर श्री छेदा सिंह को कुक्कुट योजना के अन्तर्गत पोल्टरी फार्म खोलने के हेतु ४,००० रुपये की धनराशि दिलाई है और जिस धनराशि से पोल्टरी फार्म आज तक नहीं खोला गया है और पोल्टरी फार्म की फर्जी कम्पलीशन रिपोर्ट पर ४,००० रुपये की धनराशि प्राप्त करने के पश्चात् प्रधान छेदा सिंह व ब्लाक प्रमुख तथा विकास खण्ड अधिकारी ने पोल्टरी फार्म की धनराशि को आपस में बांट कर धनराशि का दुर्विनियोजन कर लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा कराकर कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री मूलचन्द शास्त्री--

[२८ मार्च, १९६६ को प्र० सं० ५-६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

जहानागंज--मुबारकपुर सड़क

३--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या विकास मंत्री दिनांक २ फरवरी, १९६६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अध्यक्ष, जिला परिषद्, आजमगढ़ की अनुशंसा सरकार को प्राप्त हो गई है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है?

श्री राममूर्ति--

जी हां। रेलवे स्टेशन के "जहानागंज--मुबारकपुर सड़क" सठियांव ब्लाक जिला आजमगढ़ में "सठियांव-मुबारकपुर सड़क ६ (मील)" के नाम से ४-८० लाख रु० की लागत पर ग्राम ज० श० योजना में १६-२-६६ को स्वीकृत हो चुकी है।

चीनी मिल मजदूर संघ, खड्डा से हड़ताल की नोटिस

४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री भीमा प्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या श्रम मंत्री दिनांक २ फरवरी, १९६६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक संराधन अधिकारी, गोरखपुर के समक्ष दोनों पक्षों में किन-किन मदों पर समझौता हुआ था और उनमें से किन-किन मदों पर अमल मिल मालिक द्वारा किया जा रहा है ?

श्री बनारसी दास—

समझौते की †प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है।

मद संख्या ९, ३२ व ३३ को छोड़कर शेष समझौते के अनुबन्धों का पालन सेवायोजक कर रहे हैं।

कासगंज अस्पताल

५—श्री गिरवर प्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि कासगंज, जिला एटा के सरकारी शफाखाने के लिये जो टूटा हुआ पड़ा है और ४ साल से बराबर उसके ठीक किये जाने की प्रार्थना की जाती रही है और उसको स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने देखा है, आज तक उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई?

श्री राममूर्ति—

यह शफाखाना जिला परिषद्, एटा का है। नगरपालिका कासगंज से प्राप्त अंशदान तथा जिला परिषद् द्वारा अपने बजट से इस शफाखाने पर व्यय होता है। कई वर्षों से नगरपालिका अपना अंशदान नहीं दे रही है। अतः जिला परिषद् धनाभाव के कारण इसकी मरम्मत नहीं करा पा रहीं है।

६—श्री गिरवर प्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त शफाखाने में कितने रुपये की औषधि मरीजों के लिये दिसम्बर, १९६५ तक जनवरी, सन् १९६५ से भेजी गई ?

श्री राममूर्ति—

इस अवधि में कोई भी औषधि नहीं भेजी गयी।

वाराणसी में विदेशी शराब की दुकानें

७—श्री रघुवीर तथा श्री ऊदल—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर वाराणसी में सितम्बर, १९६५ के बाद कितनी विदेशी शराब की सार्वजनिक दुकानें तथा कितनी थोक दुकानों का लाइसेन्स दिया गया है ? क्या उसको प्राप्त करने के लिये लीकर कंज्यूमर्स एसोसियेशन ३३१, एन० विजया नगर मलदहिया, वाराणसी जो एक रजिस्टर्ड संस्था है उसने भी प्रार्थना पत्र दिया था और सरकार को भी बहुत सी दरख्वास्तें उसने दी थीं ? यदि हां, तो इसको देने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री दाऊ दयाल खन्ना--

निर्दिष्ट तिथि के बाद वाराणसी शहर में विदेशी शराब की निम्नलिखित दुकानों को खोलने के लिये सरकार ने स्वीकृति दी :

१--विदेशी शराब की सील बन्द बोतल की फुटकर बिक्री के लिये	.. ..	एफ० एल० ५ की २ दुकानें ।
२--विदेशी शराब की सील बन्द बोतल की थोक बिक्री के लिये	.. ..	एफ० एल० २ की १ दुकान ।
३--विदेशी शराब का बार लाइसेन्स	..	एफ० एल० ७ की २ दुकानें ।
कुल	..	५

उपरोक्त दुकानों में से सील बन्द बोतल की फुटकर बिक्री (एफ० एल० ५) के दो लाइसेन्स दे दिये गए है । बाकी के लिये लाइसेंसी अभी तय नहीं किये गये हैं ।

जी हां, कथित संस्था ने विदेशी शराब की फुटकर बिक्री हेतु लाइसेंस के लिये आवेदनपत्र दिया था जो अस्वीकृत कर दिया गया ।

इस संस्था द्वारा सरकार को भी बहुत से आवेदन पत्र दिये गए । बिचारोपरान्त संस्था को सूचित कर दिया गया कि नियमानुकूल लाइसेन्स जिला अधिकारी द्वारा दिया जाता है, इसलिये वे उक्त अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें ।

हापुड़ विकास खण्ड में ग्राम सेवक गौतम का स्थानान्तरण

८---श्री चन्दन सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि विकास खण्ड हापुड़ के अन्तर्गत श्री गौतम ग्राम सेवक, जिसको इस ब्लाक में छः वर्ष से अधिक हो गये हैं, का स्थानन्तरण जिला नियोजन अधिकारी मेरठ ने शिकायत के आधार पर दो बार कर दिया था ? यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण को बी० डी० ओ० तथा प्रमुख के रहने पर क्यों रद्द किया ?

श्री राममूर्ति--

श्री गौतम को विकास क्षेत्र हापुड़ में कार्य करते हुए ६ वर्ष से अधिक हो गये। इसलिये जिला नियोजन अधिकारी मेरठ द्वारा उनका स्थानान्तरण दो बार अन्य विकास क्षेत्र को किया गया । शिकायत के आधार पर स्थानान्तरण नहीं किया गया । परन्तु उनकी पत्नी के प्रसव के कारण प्रमुख एवं क्षेत्र विकास अधिकारी की अनुशंसा पर स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया ।

राम मूर्ति
विकास मंत्री ।

* * * *

सदन का कार्यक्रम

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, १५ तारीख तक के लिये कार्यक्रम घोषित किया गया था परसों । हमने माननीय मंत्री जी से बातचीत की थी और मुझे आशा है कि उन्होंने कुछ निर्णय ले लिया होगा। उसकी घोषणा कर दें तो हमारी शंका दूर हो जायगी और उसी के अनुसार हम अपना कार्यक्रम बनायेंगे ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)--

वैसे तो १५ तक कार्यक्रम था। मैंने नेता विरोधी दल से इस बात के लिये दरख्वास्त की थी कि फल ही सदन बन्द हो जाय तो अच्छा है। वैसे तो यह हम चाहते थे कि पहले ही हो। फिर ५ मई से एक सप्ताह तक सेशन चलेगा।

श्री अध्यक्ष--

यह तय है कि कल सदन बैठेगा और ५ मई को एक सप्ताह के लिये बैठेगा।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

इसमें जरा मतभेद है। एक सप्ताह की बात नहीं हुई थी, कम से कम १० वर्किंग डेज रखने की बात थी।

श्री अध्यक्ष--

इतनी बात तय है कि ५ मई को हम बैठेंगे। अब कार्य को देखकर उस समय यह तय होगा कि कब तक सेशन हो। इस समय प्रस्ताव ७ दिन का है और दूसरा १० दिन का है। यही अन्तर है।

लोक लेखा, प्राक्कलन एवं मन्त्रियों को परामर्श देने वाली विभिन्न समितियों के निर्वाचन हेतु नामों की वापसी की तिथि में परिवर्तन

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

कमेटीज का चुनाव भी आपने १५ को रखा था ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)--

अभी बहुत से विदड्राल नहीं आये हैं। मेरी बात हुई है। ६ मई को विदड्राल की तारीख निश्चित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

६ तारीख हो जाय लेकिन सदन को मैं सूचित कर दूं कि ६ के बाद तारीख बढ़ेगी नहीं, यह अन्तिम रूप से होगी।

कतिपय विषय

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)

पिछले सालों से बजट सेशन में गैर सरकारी दिवसों को मान लिया जाता है और जब उनकी बारी आती है तो सरकार के पास समय नहीं रहता है और गैर सरकारी दिवसों का हनन हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो हमारा जो गैरसरकारी दिवस है वह हमें निश्चित तौर पर मिल जाना चाहिये। चाहे सरकार अपना कोई धंधा करे या न करे, लेकिन हमारा दिवस उसे नहीं लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चन्द्र बली सिंह जी, मैं आपकी भावना का बड़ा आदर करता हूं। बजट सेशन सरकारी जरूर होता है लेकिन अधिकतर विरोधी दल की तरफ से और इस तरफ से भी सरकार की ही टीका और आलोचना होती है और इस तरह से बजट सेशन में काफी हम लोग बोल चुके हैं और सरकार को अपनी भावनाओं से सूचित कर देते हैं, तो इसको आप बुरा न मानें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

एक निवेदन मैं कर दूं जैसा कि माननीय बनारसीदास जी से हमारी बातचीत हुई, आगामी सेशन का समय रखनेके लिये, वह हमने निश्चित रूप से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और सतर्कता आयोग पर बहस करने के लिये ही कहा है। अगर सरकार अपना कोई विधायी कार्य करना चाहे तो उसके लिये उसे अलग से समय लेना होगा, यह मैं इसी समय सूचित कर देना चाहता हूं। पहले आयोग आदि की रिपोर्ट पर बहस करने के कार्य को ही प्राथमिकता दी जायगी। उनके समाप्त होने पर ही कोई नया कार्य करना होगा, तो उसके लिये आपको अलग से समय लेना होगा।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उन पर बहस हो लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के संबंध में बहस करना हमारे लिये संभव नहीं होगा क्योंकि उसका प्रारूप ही अभी तक तैयार नहीं है। ५ तारीख को जिस वक्त कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी, हम बैठ कर उसमें आपस में बातचीत कर लेंगे कि क्या जरूरी कार्य है। बहरहाल वह तो कार्य की दृष्टि से ही सेशन चलेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

सन् १९६७ के बाद तो यह सरकार ही नहीं रहेगी, इसलिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर यहां बहस करने का सवाल ही क्या है?

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र १९६६–६७‡

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र १९६६–६७ को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

इस संबंध में मेरी आपत्ति यह है कि इस अनुदान के आने के पहले ही राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक विवरण पत्र तैयार था लेकिन उसे जान बूझ कर मंत्रि परिषद् के सामने नहीं रखा गया।

श्री अध्यक्ष—

जब आपको पहले से इसकी जानकारी थी तो इस संबंध में आपको पहले ही आपत्ति उठानी चाहिये थी। आप उसी समय मुझे लिख कर दे देते, अब इस समय कहने से क्या होता है कि पहले से तैयार था। आपको पहले ही मुझे लिखकर इसकी सूचना देनी चाहिये थी जब कि यह प्रातःकाल बंट गया था।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

प्रातः काल नहीं बंटा है, यह हमें आज ११ बजे मिला है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

पहले ये इसको वापस लें, अभी आप इनको इसे पेश करने की आज्ञा न दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, हम इस पर बात कर लेंगे।

---

‡छापा नहीं गया।

पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ९५२—बी/३३—२८

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायत रूल्स में, पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ९५२—बी/३३—२८ (२)—६३दिनांक २५ फरवरी, १९६६ द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज भूमि प्रबन्धक समिति (सदस्यों का निर्वाचन तथा नाम निर्देशन) (संशोधन) नियमावली, १९६६†

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

मैं पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७२९—बी/३३—१०९—६३, दिनांक २३ फरवरी, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज भूमि प्रबन्धक समिति (सदस्यों का निर्वाचन तथा नाम निर्देशन) (संशोधन) नियमावली, १९६६ को उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

रक्षपाल सिंह जी का व्यवस्था का विषय यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो पंचायत राज की २५४ की विज्ञप्ति रखी है उसका फार्म पूरा अंग्रेजी में है जो कि इस सदन के सामने नहीं आना चाहिये। हमारे सामने यह विज्ञप्ति और इसका संशोधन हिन्दी में आना चाहिये जैसा कि हमने २६ जनवरी को निश्चय किया है। मेरा निवेदन यह है कि इसको आप आज्ञा दें कि इस फार्म को हिन्दी करा कर हिन्दी में प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है। माननीय विकास मंत्री जी, हमारे इस सदन में निश्चय हुआ है कि यदि मूल अधिनियम अंग्रेजी में हो तो जिस अधिनियम के अन्तर्गत हम कोई संशोधन पेश करें उसका हिन्दी में अनुवाद कर दें और संशोधन भी हिन्दी में रखें। यह उचित होता कि फार्म नवम्बर ३२ को हिन्दी में करा देते। यह आपत्ति ठीक है। इसे ध्यान में रखा जाय।

कतिपय विषय (क्रमागत)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

माननीय चन्द्रबली सिंह ने जब कहा कि असरकारी दिवस दिये जाते थे और वह इस तरह से समाप्त किये जा रहे हैं तो आपने यह कहा कि क्योंकि बजट के मौके पर काफी आलोचना सरकार की हो चुकी है ——

श्री अध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था नहीं दी थी....

श्री लखपत राम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने परसों स्वयं इस सदन में इस बात की घोषणा की थी कि निश्चित तौर पर १५ तारीख तक यह सदन बैठेगा और असरकारी दिवस १५ को चलेगा..

---

†छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष---

एक बात मैं निवेदन कर दूं। आप नियम १८ को देखें, उसमें लिखा है, सभा या अध्यक्ष जब चाहें तब सदन को स्थगित कर सकते हैं। अब अगर माननीय नेता विरोधी दल और नेता सदन या संसदीय मंत्री की आपस में बात हो गयी है तो वह स्थगन सभा द्वारा हुआ।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) ---

आपने अभी घोषणा की कि १५ तारीख को सदन नहीं बैठेगा। तो १५ तारीख को इलाहाबाद जिले की सूखा क्षेत्र घोषित करने का बयान मंत्री जी की तरफ से होना था---

श्री अध्यक्ष---

वह ५ मई को आ जायगा।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) ---

वह १४ को आयेगा।

श्री अध्यक्ष---

तो ठीक है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का ३०वां प्रतिवेदन†

*श्री कृष्णपाल सिंह (जिला रायबरेली) ---

मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का ३० वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में सन् १९६३ के उन १५८ आश्वासनों का समावेश है जो समिति के २५ वें प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करते समय अपूर्ण थे, विचारोपरान्त समिति ने ९३ आश्वासनों को पूर्ण माना। शेष ६५ आश्वासन अब भी ऐसे हैं जिनकी पूर्ति हुई है।

मैं सदन का ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९-१६ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उक्त नियम के अन्तर्गत सदन में कोई प्रश्न ऐसे विषय के संबंध में नहीं उठाया जा सकता जो सदन की किसी भी समिति के विचाराधीन हो। उक्त नियम को देखते हुए आश्वासनों की न्यूनतम अवधि में पूर्ति हो जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो तत्कालीन महत्व के आश्वासनों की महत्ता ही समाप्त हो जाती है। दूसरे सदस्य उनके बारे में सदन में चर्चा भी नहीं कर पाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के अपने अधिकार से वर्षों तक वंचित रहते हैं।

आश्वासनों की पूर्ति के बारे में मैं सदन के नोटिस में यह बात लाना आवश्यक समझता हूं कि प्रथम व द्वितीय विधान सभा में दिये गये आश्वासनों में से अभी ५३ आश्वासन पूरे नहीं हो सके हैं जिनका उल्लेख २७वें प्रतिवेदन में किया गया है। यदि और प्रयास किया जाता तो समिति के विचार में अपूर्ण आश्वासनों की संख्या बहुत कम होती। जहां तक शासन द्वारा आश्वासन की यथासंभव पूर्ति करने के प्रयास का सम्बन्ध है, उसका अन्दाज प्रस्तुत प्रतिवेदन में आश्वासन संख्या ३२१ के अवलोकन से स्पष्ट हो जायगा। उक्त संख्या के अन्तर्गत १० दिसम्बर, १९६३ को माननीय अध्यक्ष ने सिंचाई मन्त्री को निर्देश दिया था कि बाढ़ योजना के अन्तर्गत ऊंचे किये जाने वाले गांवों की सूची तैयार कराकर माननीय सदस्यों को दे दें।

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णपाल सिंह]

अत्यधिक खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दो वर्ष से अधिक समय हो जाने पर भी सिंचाई विभाग द्वारा माननीय अध्यक्ष के उक्त निर्देश की अवहेलना की जा रही है। इस प्रकार के कृत्य अशोभनीय एवं निन्दनीय हैं।

समिति राज्य सरकार के उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद भी देती है, जिन्होंने समय-समय पर समिति के समक्ष उपस्थित हो कर समिति के कार्यों में सहायता दी।

प्रतिवेदन को समर्पित करने से पूर्व मैं अपने सहयोगी सदस्यों, समिति से सम्बन्धित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन के सहयोग, सहायता तथा कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूं।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन†

श्री केशभान (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६५-६६) के सत्रहवें प्रतिवेदन को, जो सहकारिता विभाग (उत्तर प्रदेश में बुन्ध वितरण योजना) से सम्बन्धित है, सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवम् नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब कामरोको प्रस्ताव कुछ आये थे। एक तो रिजर्व बैंक के सम्बन्ध में है कि उसका आफिस यहां से कानपुर जा रहा है। यह विषय ऐसा है जो रिजर्व बैंक के अन्तर्गत है। सरकार से इसका सम्बन्ध नहीं है। इस को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह रिजर्व बैंक का वह हिस्सा है जो पब्लिक डेट आफिस है और जो बांड देता है। उसको उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है यहां से चले जाओ। ४८० आदमी कहां बेचारे कानपुर में जायगे। यह स्थिति गम्भीर हो गयी है। रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने अनशन का नोटिस दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं मन्त्री जी के पास भेज दूंगा।

श्री उग्रसेन—

एक बयान दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय विजयपालसिंह की है। इस को विशेष ध्यान के लिए शिक्षा मन्त्री के पास भेज रहा हूं। कुछ कर्मचारी हैं जिन से किराया दस प्रतिशत के हिसाब से मकानों का मांगा जा रहा है। शिकायत यह है कि केवल जब से यह नियम लागू किया गया है तब से नहीं पूर्व काल से किराया मांगा जा रहा है। इसलिए विशेष ध्यान के लिए भेजा जा रहा है।

---

†छापा नहीं गया।

एक माननीय भगवानदीन और माननीय मन्नालाल द्वारा सूचना है। कहां आग लगी है और लखीमपुर और राय बरेली में, शिकायत यह है कि वहां पर जो जिला अधिकारी हैं वह ध्यान जितना देना चाहिए नहीं दे रहे हैं। इस के ऊपर, तुरन्त ध्यान दिया जाय। मैं इसको मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं।

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से मेरा निवेदन है कि माननीय लखपतराम ने कई बार और डाक्टर रघुनाथ सिंह ने जो कि आयुर्वेदिक कालेज हैं उनके छात्रों की मांगों के सम्बन्ध में सूचनाएं दी हैं।

श्री उग्रसेन—

मेरा भी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह सब का है।

श्री अध्यक्ष—

तो मैं चाहूंगा कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए, जो सरकार की नीति है, उसे स्पष्ट कर चुके हैं उस पर और कुछ कह दें तो अच्छा होगा। यदि मैं इसे भेज दूं तो इस पर आप वक्तव्य दे दीजियेगा?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

भेज दीजियेगा, मैं वक्तव्य दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा कल इस पर वक्तव्य हो जायेगा।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, गोंडा नवाबगंज की चीनी मिल के मजदूर ८ अप्रैल से भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। सन् १९४८-४९ का बोनस उनको अभी तक नहीं मिला है। इस तरह से मालिकान उन्हें हर तरह से तबाह कर रहे हैं। उन्होंने विशेष होकर अन्त में १५ दिनों की नोटिस देकर अनशन पर बैठने का निर्णय किया और जब वह भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसलिए विषय पर आप मन्त्री जी का ध्यान दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

उसे मैं श्रम मन्त्री के पास भेज रहा हूं।

श्री बलदेवसिंह की गिरफ्तारी से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर हुए निर्णय पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय बलदेव सिंह की गिरफ्तारी की सूचना विलम्ब से देने के कारण यह विषय उनके सम्बन्ध में प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया था। उस सम्बन्ध में प्रीविलेज कमेटी ने यह रिपोर्ट की थी कि इसमें कोई विशेष कार्यवाही सदन न करे, लेकिन सरकार से निवेदन है कि वह विभिन्न दोषी सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करे। अब हमें सूचना इस प्रकार की मिली है कि उस सम्बन्ध में मुकदमा असिस्टेंट सेशन जज गोंडा की अदालत में चला और वहां से एस० आई० रामपाल सिंह, कांस्टिबिल राधा मोहन पाण्डेय तथा लक्ष्मी नारायण पाठक, अभियुक्तों को भारतीय दण्ड विधान की धारा १४७, १४९ और ३२५ ए के अन्तर्गत ३ मास से ६ मास तक के लिए दण्डित किया गया।.... (हर्षध्वनि)

कम्युनिस्ट पार्टी के नए पदाधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना हमें माननीय झारखंडे राय से कम्युनिस्ट पार्टी विधान सभा के पदाधिकारियों के चुनाव के बारे में मिली है। जो इस प्रकार है:---श्री झारखंडे राय---नेता, श्री भीखालाल--उपनेता, श्री रामसुन्दर शास्त्री-सचेतक, श्री ऊदल-सिक्रेटरी।

कतिपय विषय

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मेरा एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना थी, उसकी क्या गति हुई ? यह जरा बता दीजिये ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, एक कामरोको प्रस्ताव हम सभी लोगों की तरफ से था, मिर्जापुर के बारे में जहां पर अकाल की हालत है ।

श्री अध्यक्ष---

उसे मैंने भेज दिया है। जो आपने लिख कर दिया है, वह कल जो मैंने वचन दिया था, उस के अनुकरण में भेज दिया है, उस पर वक्तव्य होगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

दूसरा काम रोको प्रस्ताव जो ज्यादा महत्व का था---प्रदेश की लेबर सिचुवेशन जो एक्सप्लोसिव हो गयी है और पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी....

श्री अध्यक्ष---

वह तो मैंने श्रम मन्त्री जी को भेजा है, विशेष ध्यान देने के लिए ।

श्री उग्रसेन, (जिला देवरिया)---

क्या उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, जो चुर्क की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। आज सभी स्थानों पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टरों में श्रमिकों की हालत बहुत खराब हो गयी है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)---

मेरे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो कई दिन हुये मैंने आदेश दे दिया था और अस्वीकार किया था। मुझे खेद है कि मेरे कार्यालय से अभी तक आप के पास सूचना नहीं पहुंची है। मेरे उस पर लिखित आदेश दिये थे कि वह आप को बता दी जाय।

श्री चन्द्रबली सिंह---

आप ने तो कह दिया कि यह कार्यालय की गलती है लेकिन मैं जो यहां कई रोज से बराबर आप को यहां याद दिला रहा हूं---

श्री अध्यक्ष ---

अब ठीक है, वह तो हुआ कार्यालय की गलती से। मैंने उसके लिए कह दिया है कि वह आपको सूचित कर दिया जाय।

१९६१-६२ के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, यह अनुदान जो है वह बजट की तरह से लिये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सब मांगें एक साथ रख दी जायं और सब पर चर्चा एक साथ हो जाय और बाद में वोटिंग हो जाय। अलग-अलग बहस होगी, तो जो समय आप हम को देंगे, उसमें भी बाधा पैदा होगी।

श्री अध्यक्ष---

बहस इस पर होती नहीं है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

जैसे सामान्य ग्रान्ट्स पर होता है उसी तरह से चर्चा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---

उसके लिए मैं रोकता नहीं हूं, जिसके ऊपर चाहियेगा, कर लीजियेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

सभी ग्रान्ट्स के ऊपर बहस हम करना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष---

तो इस प्रकार कर दिया जाय कि उन पर १ घंटा बहस हो जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

नहीं, यह तो १०, ५ करोड़ की मांगें हैं। इसका अनुमान आया नहीं, खर्च हो गया। जब सामान्य बजट होता है, तो उस में कम से कम हम जिक्र तो करते हैं। यह तो वह बिलकुल पी गये और वह मन्त्री जी तो चले भी गये होंगे, जिन्होंने यह गड़बड़ी की होगी।

मुख्य मन्त्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)---

वह तो हजम भी हो गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

लेकिन पेंट फट जायगा।

श्री अध्यक्ष---

यह मांगें तो ज्यादातर पी० ए० सी० से पास हो कर आती हैं। उस समिति के सभापति तो शारदाभक्त सिंह जी हैं...

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

इन ग्रान्ट्स के सम्बन्ध में यह नियम है कि वह पी० ए० सी० से पास हो कर और बातें हो कर आती हैं।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा तो यह कहिये, इस वक्त साढ़े १२ बजा है। तो १ वर्ष का साढ़े १२ बजे से ढाई बजे तक होगा। ढाई बजे से ४ बजे तक दूसरे वर्ष का, और तीसरे आइटम विधेयक पर ४ से ५ बजे तक। विचार होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

विधेयक के लिए जो एक घंटा है वह स्माल काजेज कोर्ट विधेयक है। देखने में यह छोटा लगता है लेकिन उसमें समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष---

यह उसी वक्त देख लेंगे।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५---वन के अन्तर्गत १,७५,४२६ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६---न्याय शासन के अन्तर्गत ३६,१४२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८---पुलिस के अन्तर्गत ६,२७,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५---वनों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत २३,३४९ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ७९,२६,१८८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६१-६२ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

*श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

श्रीमन्, दो एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे पता चलता है कि वह इस सरकार के कर्मचारियों को, हमारी जो वित्तीय मांगें हैं या जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है, उसका ज्ञान नहीं रहता और उन के प्रति उन की उपेक्षा की दृष्टि रहती है। पिछले वर्ष भी अनुदानों के समय मैंने निवेदन किया था कि इस सरकार का यह डेफिसिट बजट न होकर सरप्लस बजट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति इस लिए आती है कि सरकार के लोग न तो बजट मैनुअल को देखना जानते हैं, न उसको देखते हैं। यही नहीं, सदन की कमेटी की जो रिपोर्ट होती है उस को भी वे नहीं देखते। इस लिए यह सब स्थिति आती है और सरकार को यह करना होता है। करोड़ों रुपयों का एक्सेस खर्च होता है और उसका ज्ञान मन्त्री जी को बाद को होता है। एक दो जगह दो मैंने देखा कि ७-८ करोड़ का एक्सेस खर्चा बिना आज्ञा के ही हो गया। जमुना विद्युत में कई करोड़ का घाटा हुआ और उस की जानकारी तक उन को नहीं...

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं। मैं यह निवेदन कर दूं कि सरकारी पक्ष से कि कल एक घंटा तक सदन में कोरम नहीं था, तो भी मैंने बहस जारी रखी और बाद में मजबूर होकर २-३० बजे, कोरम के अभाव में, सदन को स्थगित करना पड़ा। आज भी इस समय कोरम नहीं है, इस बात का ध्यान रखा जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

पहले कोरम हो जाय, तब मैं भाषण शुरू करूं।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

इन एक्सेस ग्रान्ट्स में जैसा आप ने देखा इन्होंने दो तीन चीजों में व्यय बहुत अधिक किया। जो हमारी पूंजीगत लागत है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की उनके बारे में इस पूंजी लागत के कारण अधिक व्यय हुआ। यदि आप पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट की तरफ ध्यान दें तो आप को पता चलेगा, छोटी-छोटी घटनाओं की बात जाने दीजिये, जैसे गोमती का बांध टूट गया आदि। उन्होंने उन एस्टिसमेट्स का ध्यान भी नहीं रक्खा है और उन बातों का भी ध्यान नहीं रक्खा है जिनको समय समय पर बताया गया है। लाखों रुपये की तादाद में ठेकेदारों को अधिक ऐडवांस दे दिया गया है पर काम नहीं हुआ है और जो बाजारी भाव से सरकार सूद लेती है उस सूद की दर से कभी कभी कम पर भी लेती है। बाजार से मिला पांच परसेंट और दे दिया तीन परसेंट। जितना रुपया दिया उसकी जमानत भी नहीं ली गयी। जमुना जल विद्युत योजना के अन्तर्गत जो ठेका दिया गया है उसकी बात मैं कर रहा हूं। १५ लाख रुपये तक जानकर कटौती स्वीकार की गयी। इसका प्राजेक्ट दो साल पड़ा रहा। मैं इस लिए कह रहा हूं कि यह सब माननीय मन्त्रियों के मित्रों की कृपा पर होता है। वे माननीय सदस्य लोक सभा के कांग्रेस टिकट पर हैं। मैं दल विशेष की बात नहीं कहता हूं। यह निश्चय किसने लिया था। पता यह चला कि बीस लाख के घाटे का निश्चय सिंचाई मन्त्री ने स्वयं लिया था। हम से रुपया चाहते हैं और बीस बीस-लाख रुपया अपने मित्रों को, जो पंजाब के थे, हमने सिंचाई के अधिकारियों से मंत्रियों से पूछा भी, दे देते हैं। ठीक रेश्यो से सीमेंट नहीं मिलाया और वह योजना दो वर्ष बाद शुरू हुई। आप समझते हैं कि सिंचाई के सम्बन्ध में विरोधी दल का एक-एक सदस्य यह नहीं कहना चाहता कि हमारी सिंचाई के साधन दुगुने या तिगुने न किये जायं लेकिन जो रुपया हमने दिया है अगर आप उसी प्रकार खर्च करेंगे जैसा कि अब तक करते आ रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। सन् ६१ और ६२ के वित्तीय अनुमानों के बाद जो फाइनेंशियल अकाउन्ट बने हैं उस में आप निश्चित रूप से देखें, हमारे इन्जीनियर्स तो यह कहकर छुट्टी पा जाते हैं कि हमारी सरकार इस योजनाओं को पालिटिकल इन्फ्लुएंस से बनाती है। ऐसी योजनाओं से जिनसे मुनाफा नहीं होने वाला है, हम को पहिले शुरू करना पड़ता है और जिनसे मुनाफा होने वाला है उनको हमें बाद में शुरू करना पड़ता है क्योंकि उसमें पालिटिकल प्रेशर होता है। आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर सरकार ने इस रवैये को नहीं बदला तो यह बात सरकार के हित में नहीं होने वाली है।

इसमें एक विशेष जिक्र है कि कुछ ग्रान्ट्स का और वे ग्रान्ट्स विशेष रूप से उत्तराखण्ड के काम आती हैं। कल माननीय मन्त्री जी उत्तराखंड के बारे में बयान दे रहे थे, मैंने उनसे प्रश्न उस समय भी किया था और बाद में भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उनको यह सूचना है कि इस प्रदेश में चीनी माल बिकता है। लेकिन बाद में बताया कि यह उनके कन्ट्रोल के बाहर है कि उसको रोक सकें। ट्रांसमिटर चलता हुआ जब कपड़ा, जाता है तो उसको बाद में लाइसेंस दे दिया जाता है। सारी दुनिया जानती है कि जब जासूस अपने देश से चलता है तो वह उस समय के लिए एक स्टोरी भी लेकर चलता है कि जब वह पकड़ा जायगा, सारी योजना उसकी चलने से पूर्व ही बन जाती है। यह नहीं कि किसी ने हम को जरा सी बात बता दी और हम ने कह दिया, हां ठीक है। मेरा कहना है कि ऐसे पुलिस के ऐडमिनिस्ट्रेशन को अनुदान से अधिक रुपया क्यों दिया जाय।

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

कुछ दिनों पूर्व जब मैं उत्तराखंड गया था तो मैंने देखा कि अंग्रेजी स्कूल जिनमें अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। नेहरू जी के शोक दिवस में भी वहां के बच्चों ने सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। यह मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय का यह अनुदान है। मैंने उसी समय निश्चित रूप से माननीय गुप्ता जी, मुख्य मन्त्री, तथा गृह मन्त्री और शिक्षा मन्त्री को इसकी सूचना दी थी। सम्भव है आप को भी याद होगा कि मैंने आप को भी एक पुस्तिका दिखायी थी जिसमें भारत के बजाय चीन की अधिक तारीफ की थी और भारत में दिखाया गया था कि बहुत गरीबी है, लोग भूखे और नंगे हैं, और चीन में आराम है। और लखनऊ में नहीं जब कि यह पुस्तक धारचुला में पढ़ाई जा रही है, तब इसका महत्व और बढ़ जाता है और इधर आप पुस्तकों के राष्ट्रीकरण की बातें करते हैं। अंग्रेजी से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, वह पढ़ाई जाय, लेकिन उस पुस्तक में क्या पढ़ाया जाता है, यह मुख्य बात है। लड़कों से ५०–६० रुपया के बजाय २००—२५० रुपया वसूल किया जाता है, स्कूल के आर्थिक साधनों को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड में राष्ट्र विरोधी भावनाओं को उभाड़ने के लिए। इस लिए हम आप को अधिक रुपया नहीं दे सकते क्योंकि आप ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। अगर अधिक काम करते तो अधिक रुपया दिया जा सकता था। बजट के पास होने के इतनी जल्दी बाद ही इस ग्रान्ट का आना यह साबित करता है कि आप की कितनी लापरवाही इस मामले में है। इन शब्दों के साथ में सदन से आग्रह करूंगा कि वह इस ग्रान्ट को अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे सिद्धान्त रूप से.....

एक सदस्य—

सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष जी, सिद्धान्त रूप से वैसे मैं इसे स्वीकार करता हूं और मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी भी इसे स्वीकार करेंगे कि साधारणतया बजट इस प्रकार बनाये जाने चाहिये कि उनमें वर्ष भर का कोई लेखा जोखा काफी संतुलित हो और और जो भी मांगें सदन से की जायं वे इतनी पूर्ण हों कि उन से सरकार का वर्ष भर का पूरा खर्च चल जाय और बजट के असंतुलित होने का यह प्रमाण अवश्य होता है कि जब बार बार सप्लीमेंटरी बजट वित्त मंत्री जी द्वारा लाया जाय और जब बढ़े हुए खर्च के बार बार अनुदान आते हैं तो उससे शंका होती है कि बजट इस प्रकार से बनाये जाते हैं कि जिन को संतुलित या वैज्ञानिक बजट नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस वर्ष के खर्च की मांग यह माननीय वित्त मंत्री जी ने की है यदि हम उस वर्ष की एक विशेषता को ध्यान में रखें और माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी उस पर गौर करें तो वह ६१–६२ का एक ऐसा क्रिटिकल वर्ष रहा है इस देश के इतिहास में कि ऐसे वर्ष में इस बात की सम्भावना हो सकती है कि मूल बजट में जो व्यय मांगा गया था उससे अधिक व्यय हो गया होगा। यह वह वर्ष था जब कि हमारे देश पर चीन का आक्रमण हुआ था और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक विशेष परिस्थिति इस प्रदेश के इतिहास में उस समय आई थी। इस में पुलिस का और सिंचाई का व्यय है और कुछ बहुत थोड़ा सा वन विभाग का है। यकायक जब कोई संकटकालीन स्थिति आती है और युद्ध के मुकाबले का प्रश्न आता है तो सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसे व्यय हो जाते हैं जिनका अनुमान पहले से नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता, और अधिक व्यय हो जाता है। पता नहीं इन मांगों के सम्बन्ध में कोई नोट भी वितरित हुआ है या नहीं, मैंने तो जब एजेंडा मिला तो पता लगाया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, पीजन होल में भी देखा और तलाश किया लेकिन कुछ नहीं पाया। मुमकिन है जैसा कि कहा जा रहा है पहले कभी वह वितरित किया गया होगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

परसों भी बांटने वाले ने एक-एक ही बांटा, वह समझे कि एक ही बांटना है और एक ही दिया गया था।

श्री कृष्णानन्द राय--

ठीक है, वह वितरित हुआ होगा लेकिन हमने उसका अध्ययन नहीं किया है।

अनेक सदस्य--

वितरित नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--

वह वितरित हुआ है।

श्री कृष्णानन्द राय--

तो मैं कह रहा था कि सन् ६१-६२ सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा क्रिटिकल वर्ष रहा है और ऐसे समय में पुलिस ही की एक ऐसी मशीनरी है इस सरकार के पास जो सुरक्षा के काम में बहुत ही उपयोगी है और जैसा कि श्री टम्बेश्वर प्रसाद जी कह रहे थे कि चीन से स्मगलिंग होता है और सामान के आने जाने का रास्ता खुला है और ट्रान्समीटर से कम्युनिकेशन होता है, तो इस स्थिति में अगर मंत्री जी पुलिस पर अधिक व्यय करते हैं और उसकी सदन से मांग करते हैं तो उस पर एतराज नहीं होना चाहिये। वह खर्च जरूरी था इतना उनको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों में आंतरिक मामलों में मतभेद हो सकता है लेकिन जहां तक पी० ए० सी० का प्रश्न है, कि जिस प्रकार से उन्होंने युद्धकाल में सुरक्षा के कार्य का सम्पादन किया है और गत कुछ दिन हुए पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान में काश्मीर में जाकर या और जगहों में जाकर ला ऐंड आर्डर के काम को हमारे पी० ए० सी० के जवानों ने किया और कामयाब सिद्ध हुए वह किसी से छिपा नहीं है। यह इस प्रदेश और सदन के लिए गौरव की चीज है। यहां पर एक दो उदाहरण ट्रान्समीटर और स्मगलिंग के देकर, यह उचित स्वस्थ रवइया नहीं कहा जा सकता है। इसमें जो बड़ी रकम ६ लाख रुपये की है वह पुलिस के सम्बन्ध में है। १९६१-६१ का वर्ष एक क्रिटिकिल ईयर था। अतः इस वर्ष के लिए इस बढ़ी हुई मांग को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बड़ी रकम जो इसमें है वह सिंचाई के सम्बन्ध में है। एक स्वाभाविक चीज है। आज इस प्लानिंग के युग में केन्द्रीय सरकार, प्रदेशीय सरकार और वित्तीय मंत्री भी स्वीकार करते हैं कि प्लानिंग में इनफ्लेशनरी टेन्डेन्सीज होती हैं। प्लानिंग के कारण देश में और प्रदेश में रुपया फैलाना पड़ता है और बाजार स्थिर नहीं रहता। और कई चीजों के दाम जिनको हम विशेषरूप से मंगाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो सिंचाई विभाग में हमने यह देखा कि पूंजीगत लागत के सम्बन्ध में जो बढ़ोतरी हुई है, उसमें स्पष्ट विदित होता है कि सिंचाई विभाग में जो प्रोजैक्ट्स हैं, उनको सम्पन्न करने के लिए मार्किट से कुछ चीजें ज्यादा महंगी खरीदनी पड़ी, उससे जो उनको अनुमान था। युद्ध काल में किसी कमोडिटी का ज्यादा दाम पर खरीदना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं कही जा सकती है। अतः मैं समझता हूं कि इस ६ लाख रुपये और और जो दूसरी रकम है, महज इसलिए कि यह एक क्रिटिकल वर्ष था, युद्धकालीन वर्ष था, किसी माननीय सदस्य को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

श्रीमन्, बजट की प्रतिलिपियां वितरित हुई थीं परन्तु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्पष्ट कर दूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

यह वितरित हुआ था। ११ तारीख को जब आपने प्रस्तुत किया तब यहां पर इसकी तियां बांट दी गई थीं।

श्री कैलाश प्रकाश---

श्रीमन्, यहां पर बांट तो दी गयी थी लेकिन जैसा माननीय सदस्य कहते हैं कि एक-एक प्रति बांटा गयी, अतः यदि आप आज्ञा दें तो मैं थोड़ा-सा स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, आप बता दीजिए।

श्री कैलाश प्रकाश---

श्रीमन्, माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् ही उत्तर तो दिया जा सकेगा लेकिन मैं कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह बढ़ोत्तरी किन-किन कारणों से १९६१-६२ में हुई है।..

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

मैं माननीय मन्त्री जी से, उनके स्पष्ट करने के पूर्व, इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे इस बढ़ोतरी के सम्बन्ध में यह भी बतायें कि यह खर्चा अनएवायडेबिल था और बिना विधान सभा के समक्ष रखे खर्च क्यों कर लिया गया?

श्री कैलाश प्रकाश---

मैं निवेदन करदूं कि यह जो बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, वह इतना बढ़ा हुआ नहीं है। यह केवल हिसाब किताब के कारण है क्योंकि यह एक हिसाब रहता है। उस हिसाब को किन्हीं किन्हीं शीर्षकों में देना पड़ता है। उन में जो कोई अदल बदल हो जाती है उस के कारण से बढ़ोत्तरी हुई है। उदाहरणार्थ आप यह देखें कि १ करोड़ १८ लाख २३ हजार ७६७ रु० जो है वह जो उधार लिया जाता है उस उधार को अदा करने के लिए लिखा हुआ है, वास्तव में यह खर्चा नहीं हुआ। हुआ क्या है? यह होता है कि दो जो शीर्षक होते हैं, एक कैपिटल एकाउन्ट का और एक रेवेन्यू अकाउन्ट का। इसमें से रुपया रेवेन्यू एकाउन्ट में से अदा किया गया, उधार दिया और जब एक दफा रेवेन्यू एकाउन्ट में से दे दिया गया तो दुबारा लिखने की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन ए० जी० ने कहा कि रुपया वहां से दिया गया किन्तु क्योंकि उधार खाता दूसरा रखते हैं इसलिये उस उधार खाते में भी इस को दिया जाना दिखाया जाना चाहिये। तो वास्तविक रूप में यह खर्चा १ करोड़ १८ लाख का एक ही दफा हुआ था और बजट में जितना रुपया था उसी के अन्दर खर्च हुआ था। किन्तु क्योंकि ए० जी० जो हिसाब किताब रखते हैं और कैपिटल एकाउन्ट में ही लिखा था इसलिये उन्होंने कहा कि क्योंकि कैपिटल एकाउन्ट में बजट में नहीं रखा गया था तो यह खर्चा तो नहीं हुआ था, हिसाब किताब जो ए० जी० ने रखा और अपने नियम के अनुसार रखा उस की वजह से यह खर्चा इसमें दिखला दिया।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

किस एकाउन्ट में था? किस अनुदान में था लिखा और किस से दे दिया गया?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाश प्रकाश–

वह तो इस समय मेरे पास नहीं है।

(इस समय १२ बज कर ५७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

अगर आप प्वाइन्ट जानना चाहेंगे तो उत्तर के समय बता दूंगा। इस वक्त तो मैं सिद्धान्ततः बात कर रहा हूं कि वह खर्चा वास्तव में नहीं हुआ। हिसाब किताब की हेरफेर की वजह से वह खर्चा उसमें सम्मिलित माना जाता है।

दूसरी बात यह है कि दूसरा भी जो खर्चा है जो ७९ लाख २६ हजार, १८८ रु० का है जो कि सिंचाई की मद में खर्च है यह रुपया भी वास्तव में खर्चा नहीं हुआ। एक सस्पेन्स एकाउन्ट होता है जिसमें कोई रुपया दिया जाता है या कोई रुपया लिया जाता है, या कोई सामान खरीदा जाता है और हर सामान खरीद कर किन्हीं दूसरे को दिया जाता है जब सामान खरीदा जाता है तो उस एकाउन्ट में डाल दिया जाता है और जब किसी को दिया जाता है तो उस के एकाउन्ट में डाल दिया जाता है। तो सस्पेंस एकाउन्ट वास्तव में कोई खर्च की मद नहीं है। यह चीज सस्पेंस एकाउन्ट की है जिस को कि वास्तविक खर्चा नहीं माना जाता है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

यही वह एकाउन्ट है जिस का करोड़ों रुपये का हिसाब देने में सिंचाई विभाग अपने को असमर्थ पाता है और विद्युत् परिषद् ६० करोड़ रुपये का पता नहीं लगा पायी।

श्री कैलाश प्रकाश---

लोक लेखा समिति तमाम चीजों को देखती है, विभाग द्वारा स्पष्टीकरण दिये जाते हैं, इन सब से संतुष्ट होने के बाद ही लोक लेखा समिति सिफारिश करती है। उस की सिफारिश है कि इस को विधान सभा के सामने प्रस्तुत कर के उसकी स्वीकृति ले ली जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

लोक लेखा समिति तो माननीय बलवान सिंह की है जो सरकार से मिले हुए हैं और उनकी समझ में कुछ नहीं आता।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय बलवान सिंह लोक लेखा समिति के सभापति भी नहीं हैं। सदन की समिति के लिये ऐसी बात आपको नहीं कहनी चाहिये।

श्री कैलाश प्रकाश---

जो ६ लाख रुपये का खर्चा पुलिस का नोट में दिया हुआ है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बाद में उसे स्वीकार किया। जहां एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वहां लिखा गया है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से आने पर हमारे खर्चे में डाल दिया गया जब कि जायज तरीके से नहीं डाला जाना चाहिये था। अगले साल में हिसाब होता रहता है। यह खर्चा वास्तव में एक तरीके से खर्चा नहीं है।

२ लाख ६० हजार की बढ़ोत्तरी का जो खर्चा हुआ है माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि अगले साल का सस्पेंस एकाउन्ट में जो खर्चा है वह वास्तव में खर्चा नहीं होता है, वह एक्सेस में खर्चा नहीं होता है। इस विषय में कई सिफारिशें लोक लेखा समिति की रही हैं कि इसका हिसाब किताब रखा जाना चाहिये और ए० जी० से पता चलाया जा कि किस तरह से हिसाब रखा जाना चाहिये। इस पर पत्र व्यवहार हो रहा है। जो सिफारिश लोक लेखा समिति की है वह यही है कि वास्तव में इतना बड़ा खर्चा नहीं हुआ है जो इन आंकड़ों से दिखाई देता है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

आइटम ७ पर किसी अनुदान का जिक्र नहीं है इसलिये यह कन्फ्यूजन पैदा हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश---

जो आइटम चार्ज्ड होता है उसमें सदन का वोट नहीं होता है और उसकी अनुदान संख्या नहीं होती।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

बजट के आखिर में चार्ज्ड एकाउन्ट का पन्ना लगा रहता है और हर अनुदान के अन्दर चार्ज्ड एकाउन्ट की रकम लिखी रहती है। वोट और नान वोट की बात उसमें लिखी रहती है।

श्री कैलाश प्रकाश---

फिर से आप देख लें। आप देखेंगे कि अदायगी के ऊपर जो बजट में लिखा होता है उस पर सदन में मत नहीं लिया जाता है। इसलिये उस अनुदान की कोई संख्या नहीं होती है।

*श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, जो अतिरिक्त अनुदान की मांग इस सदन के सामने प्रस्तुत की गयी उसके सम्बन्ध में जो मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया है उसको देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि जितने इस विभाग के लोग हैं, जिनको एकाउन्ट्स रखने चाहिये उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो शायद ऐसी गलती न हो पाती जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है। जहां तक सिंचाई विभाग का सम्बन्ध है, इसमें ७६, २६, १८८ रुपये का जिक्र है सिंचाई के सम्बन्ध में। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि यह सस्पेंड एकाउन्ट है जिसकी वजह से यह गड़बड़ी हुई लेखा जोखा में। अब भी अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जांच करें तो मालूम होगा कि सिंचाई विभाग का लाखों रुपये का सामान खरीद कर पड़ा हुआ है। उनके पास कोई रजिस्टर नहीं है जिसमें उसकी एंट्री हो। खासतौर से मुझे गाजीपुर की जानकारी है कि वहां इस तरह की स्थिति है और यह भी सुनने में आया है कि करीब ६०-७० हजार रुपये का सामान इधर उधर हो गया जिसका कोई एकाउन्ट नहीं है और न यह कहीं लिखा हुआ है कि किस तरह से उसकी चोरी हुई, किस तरह से वे सामान गायब हुए ? तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि सिंचाई विभाग में जो इस तरह की अनियमितताये और गड़बड़ियां हैं कि सामान बहुत पहले से खरीद लिये गये और जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उस तरफ उनको देखना चाहिये। मौजूदा जो ट्यूबवेल्स हैं उनकी जो गड़बड़ियां हैं जिनकी उन को कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे सामान लाखों रुपये के खरीद कर बहुत पहले से उनके पास रखे हुए हैं सिर्फ सस्पेंस एकाउन्ट में दिखा कर, तो मैं चाहूंगा कि इस तरह का जो मनी वेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ और दूसरी तरफ टैक्स वगैरह लगाते हैं जा रहे हैं, ऐसे मामले को चेक किया जाय ताकि लाखों रुपये जो सस्पेंस एकाउन्ट में पड़े हुए हैं और सामान खरीद कर जो रखे हुए हैं जिनका कोई एकाउन्ट भी नहीं होता है, ऐसे मामले का चेक होना चाहिये और इस तरीके से मैं समझता हूं कि कुछ सुधार हो सकता है।

जहां तक वन विभाग का सम्बन्ध है, उसमें १,७५,४२६ रुपये का जिक्र है। इसके बारे में यह कहा गया है कि इस अधिक व्यय का मुख्य कारण यह है कि कतिपय आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत कतिपय सड़कों, भवनों और पुलों को अत्यावश्यक मरम्मत करानी पड़ी वर्ष के अन्तर्गत, इसी की वजह से यह अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। यह सन् १९६१--६२ का मामला है। अगर १९६१--६२ में यह नहीं हो सका मार्च के अन्दर तो पहली अप्रैल को या जब सरकार सप्लीमेंटरी बजट पेश करती है जेनरल बजट के बाद, उसको सदन के सामने आ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाना चाहिये था। इस तरीके से एक्सेस बजट दिखला कर उसे पास करा लेने का यह एक गलत ढंग है। और जनरल बजट के बाद ही सप्लीमेंटरी बजट में इस तरह की एक्सेस ग्रान्ट्स आ जाय तो इस तरह की अनियमितता व गड़बड़ी की कोई नौबत ही न आवे।

दूसरी बात यह कि बन विभाग की किन किन सड़कों, किन किन भवनों या किन किन पुलों की मरम्मत करायी गयी, इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। इसके अतिरिक्त सदन को इसकी भी कोई जानकारी इसमें देखने से नहीं मिलती कि किस भवन निर्माण के लिये कितनी ग्रान्ट थी और उसमें कितना खर्च किया गया तथा कौन सी योजना का कौन सा प्लान था जिसके आधार पर कितना रुपया खर्च हुआ और किस तरीके से खर्च हुआ। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को इस पर चेक करना चाहिये था ऐसे आफिसरों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह की गलत कार्यवाही की जिससे सप्लीमेंटरी बजट में भी उस को नहीं दिखलाया गया, जिससे सरकार को मजबूर हो कर एक्सेस ग्रांट सदन से मंजूर करानी पड़ती है, ऐसी व्यवस्था को रोकना चाहिये और सख्त कार्यवाही करनी चाहिये । यह ऐसी चीज है जिस पर बहुत बड़ा एतराज उठाया जा सकता है। जहां तक पुलिस विभाग का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री जी ने बताया कि फौज का खर्चा इसमें जोड़ दिया गया है। फौज दो तरह की है। एक तो रेगुलर आर्मी और दूसरी पी० ए० सी० जिसने कि फौज में जा कर बहुत अच्छा काम किया है। मंत्री जी के भाषण से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह खर्चा किस पर हुआ। अगर यह रेगुलर आर्मी पर खर्चा हुआ तब तो उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, और उसका खर्चा हमारे एकाउन्ट में नहीं आना चाहिये। लेकिन अगर पी० ए० सी० का है तो मैं समझता हूं कि यह हमारे बजट में आना चाहिये था। और अगर नहीं रखा तो यह कहना कि यह वाकई नहीं हुआ यह मानने के काबिल नहीं है।

एक चीज और देखने में आयी। जहां तक सिंचाई विभाग का संबंध है, १९६१-६२ में तो करीब करीब ७९ लाख रुपया का खर्च हुआ है और १९६२-६३ में ३,५०,८५,५४४ रुपया खर्च किया। यह इतना एमाउन्ट है जिसको कोई पहले से योजना होनी चाहिये थी और अगर इस तरीके से गलत ढंग पर यह रुपया खर्च किया गया है तो मैं समझता हूं ऐसे मामले में मंत्री जी को सख्त स्टेप लेना चाहिये और भविष्य में कोई भी ऐसी बात नहीं होना चाहिये कि एक्सेस ग्रांट के रूप में सदन के सामने ऐसी चीज आये।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ऐसा बातें नहीं होंगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, जो एक्सेस अनुदानों के सम्बन्ध में मांग की जा रही है उस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री का भाषण मैंने ध्यान से सुना। उन्होंने तम्बेश्वर प्रसाद जी से कहा कि माननीय शारदा भक्त सिंह जो पी० ए० सी० के चेयरमैन हैं उन्होंने ही यह सिफारिश की है। तो सिफारिशें तो सभी समितियां करती हैं और बहुत से रिमार्क्स भी पास करती हैं। जो सरकार के खिलाफ होती हैं उनकी तरफ न तो मंत्री जी का और न उनकी सरकार का ही ध्यान जाता है और न उनको पढ़ने का समय ही उन्हें मिलता है और वे सारी रिपोर्टें रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती हैं। लोक लेखा समित के चेयरमैन ने एक सिफारिश की, ठीक है, लेकिन दूसरी समितियों के चेयरमैनों ने कुछ तो सिफारिशें की हैं। उनके बारे में क्या ऐक्शन लिया गया। अगर आप उन रिपोर्टों को देखें तो करोड़ों रुपये की गड़बड़ी मिलेगी। उसकी जानकारी न मन्त्री जी को है और न इस सदन को है। सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में जैसा कि कमला सिंह जी ने कहा ७९ लाख से ऊपर का खर्चा है। आपको मालूम होगा कि पिछले वर्ष में सिंचाई विभाग किस तरह से खर्च करता रहा है। ८-९ लाख रुपया खर्च कर दिया और उस योजना को स्थगित कर दिया और आज तक योजना चली नहीं। वर्षों तक वहां मशीनें पड़ी रहीं, चित्तौरगढ़ में।

अभी आपने सरजू योजना के बारे में देखा। लाखों पया खर्च करने के बाद अब विचार हो रहा है कि मुनाफे की योजना है या घाटे की। इसी तरह झांसी की तरफ मध्य प्रदेश

[श्री ऊदल---]
में सर्वे हो रहा था उस पर लाखों रुपय खर्च हुआ। मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस ने इंजीनियरों और ओवरसियर को ले जाकर बन्द कर दिया और कहा कि बिना हमारी परमीशन के सर्वे हो रहा है। सिंचाई विभाग की यह हालत है। ट्यूववेल में पानी नहीं है। १९६१-६२, १९६२-६३ और १९६३-६४ में जिस सन का यह जिक्र है सरकार ने एक योजना बना दिया कि सभी ट्यूववेलों की नालियां बढाई जायंगी तथा पक्की बनायी जायंगी। मान्यवर, आप देखें गे कि नालियां बढ़ गयी, पक्की नहीं हुई, कच्ची नालियां बना दी गयीं। मेरे गांव के पास एक नलकूप है। उसकी नाली बढा दी गयी। नालियों का विस्तार कच्ची नालियों में कर दिया गया। ५, ६ करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ। सिंचाई विभाग ने गूलों के विस्तार की जो योजना बनायी उसकी जांच करवा लें तो आप को मालूम होगा करोड़ों रुपया बिना सोचे समझे खर्च हो गया। किसानों की जमीन ले ली गयी। किसान ने तीन साल तक पानी नहीं पाया। तब उसने नाली को तोड़ कर खेत में मिला लिया। जिस तरह से माननीय मंत्री ने जे चेयरमैन को बात कह कर पास करवाने की बात कही है वह पास तो हो जायगी। लेकिन, विभागों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अफसरों के खिलाफ, कमेटियां, जो रिपोर्ट देती हैं उन पर भी ध्यान दें।

फारेस्ट विभाग का इसमें जिक्र आया। उसकी हालत यह है कि उत्तर के पहाड़ी इलाकों को छोड़ कर जो प्लांटेशन हो रहा है वह पूरे रेंज में रेन्चले जायं, झांसी में, मिर्जापुर में, कहां भी चले जायं, सारे पेड़ नहीं लगे, गड्ढे रह गये। तो जिम्मेदारी सारी वित्त मंत्री की है। हम आपसे ही निवेदन और आग्रह कर सकते हैं। लेकिन आप कम से कम कड़ाई करें,

(व्यवधान)

निगरानी करें। इस तरह से एस्टीमेट्स ठीक से न बनें, टाइम से रुपया खर्च न करें, ज्यादा खर्च करें, आपके जो वित्तीय नियम हैं उनके यह खिलाफ होता है। इसलिये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की है। उन लोगों पर कड़ाई होनी चाहिये। अब नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। मैं एक सवाल पूछना चाहताहूं। जो रुपया विभाग मार्च के आखिर तक खर्च नहीं कर पाते आखिरी मार्च में सारा का सारा रुपया निकाल कर, विभागके बड़े बड़े लोग अपने परसनल अकाउन्ट में, लाखों रुपया, रख देते हैं। इसका क्या इलाज आपने सोचा इसको रोकने की क्या व्यवस्था की। मुझे इस पर बहुत बड़ी आपत्ति है। आप इसकी जांच करवा लें। तृतीय पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल खत्म हो गया है। आप हर विभाग का एकाउन्ट चेक कर लें, ३१ मार्च तक का कितना कितना रुपया किन किन अधिकारियों ने अपने पर्सनल एकाउन्ट में रखा है। जिसका इस्तेमाल ३१ मार्च, के पहले हो जाना चाहिये था जो नहीं हुआ था। जो नहीं हुआ है, उसको आप देखिये कि क्यों नहीं हुआ है। मैं समझता हूं, यदि आप ऐसा सख्ती से करें तो वित्तीय नियमों का बहुत बड़ा पालन हो सकता है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर ध्यान रखेंगे और यदि इस पर कन्ट्रोल हो जायगा तो वित्तीय नियमों का पालन और कार्यान्वयन भी कड़ाई से हो जायगा। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। और उचित आज्ञा देंगे।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सदन ६१-६२ की अतिरिक्त राशियों पर विचार कर रहा है, जो कि डिपार्मेन्ट ने अपने अनुमानित व्यय से अधिक खर्च किये हैं। जहां तक वर्तमान वित्त मंत्री का संबंध है उनकी योग्यता और मितव्ययिता पर कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है और जिन मंत्री महोदय के समय की यह मांग है, वह भी अपनी योग्यता में किसी प्रकार कम नहीं थे। फिर भी बात यह है कि जनतन्त्र में अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए और

प्रशासनिक अधिकारियों पर कितना नियंत्रण सरकार का है, उन पर कितनी निगरानी है, इसके कारण से व्यय में कुछ अनियमितताएं हो जाती हैं और वित्तीय नियमों का ठीक ठीक पालन नहीं हो पाता है। इसमें एक जो दो करोड़ का व्यय है वह भी इतना व्यय हो जाने के बाद बिलकुल आखिर में मालूम हुआ है। मान्यवर, जिन जिन विभागों पर यह व्यय हुआ है, उसमें एक हास्यास्पद बात यह प्रतीत होता है कि चिकित्सा के अन्तर्गत इसमें लिखा हुआ है—चिकित्सा (+९) यह थोड़ा सा व्ययाधिक आंकड़ों के पूर्णांक बनाने के कारण हुआ है" इस पर हंसी हो आती है कि यह एक अच्छा नया काम सरकार ने शुरू कर दिया है। क्या पूर्णांक बनाना इतना आवश्यक हो गया है कि ९ रुपये जरूर खर्च किये जायेंगे।

इसके बाद में जहां पर न्याय विभाग की बात करते हैं, उसमें कई नई न्यायालयों के लिये मांग उपस्थित की गयी है। इसके लिये सरकार ने सोचा था कि उनका कार्य ऐसा करने से आसानी से और ठीक से हो जायगा। किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे न्याय विभाग ने पूर्ण सत्यता के साथ अपने कर्त्तव्यों का पालन किया और कर रही है? क्या कोर्टों में केसेज की संख्या जो पेंडिंग पड़े हुए हैं पहले के मुकाबले कुछ कम हो गयी हैं? या इससे क्या हम एक ऐसे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं? बातों को देखते हुए इन मांगों की निरर्थकता का आभास होता है। माननीय मंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि महालेखाकार ने जब आडिट कर लिया, उसके बाद हमें मालूम हुआ कि हमारा व्यय अधिक हो गया है। क्या उस समय जब व्यय अधिक हुआ था आपके प्रशासनिक अधिकारियों ने आपको नहीं बताया था, जो अब ४-५ साल बाद आप उस चीज को ठीक कर रहे हैं? ४ साल तक सरकार और डिपार्टमेन्ट इस पर साइलेंस पड़ा रहा। और अब महालेखाकार ने अपनी आपत्तियां की तो हमें प्राप्त हुआ। वह कितनी भूल में थे और अपनी भूल को सुधारने के लिये अपनी मांगों को प्रस्तुत करते हैं। आप जो भी मांग चाहें, उसे पास करा सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप अपनी क्षमता का प्रयोग इस तरह से न करें, जिससे जनतंत्र को हानि पहुंचे। क्या हम इन सब बातोंका जवाब संतोषजनक ढंग से दे सकते हैं? हर वर्ष के अन्त में हमें यह अहसास होता है कि इतना खर्चा हुआ इतना बचा। सरकार ४ साल तक इस मामले में सोता रही और आज ५वें वर्ष उसे यह अहसास होता है कि हम कुछ खर्चा ज्यादा कर चुके हैं, वह अनियमित था, उसकी हमें स्वीकृति लेनी चाहिये, इससे श्रीमन्, अधिकारों का बड़ा दुरुपयोग यह सरकार करती है और फिर भी जनतंत्र की रक्षा का सबसे बड़ा नारा यह सरकार लगाती है।

मान्यवर, वन विभाग के बारे में मैं कह रहा था। मान्यवर, नये नये बन तो लगाये जा रहे हैं और जो पुराने वन पड़े हुए हैं वे खैरात में जा रहे हैं। इसी सदन के एक माननीय सदस्य की माता और पत्नी के नाम से करीब १२०० एकड़ जमीन वन विभाग की आराजी कर दी गयी। पहले उनको सीरदार बनाया गया, फिर वे भूमिधर बन गये और फिर उस भूमि को वे काट का कर पट्टे पर देने लगे। आज वे उस भूमि को दूसरों को पट्टे पर दे रहे हैं। उस ओर इस सरकार का ध्यान नहीं गया है। यह श्रीमन्, मिर्जापुर जिले की बात है। जहां तक वन मंत्री महोदय का प्रश्न है, मैं जानता हूं वे बड़े ही सतर्क और कर्त्तव्यशील व्यक्ति हैं और बड़ी ही सतर्कता से कार्य करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की अनियमित बातों को देखते हुए इस प्रकार की मांगों को न्यायोचित कहा जा सकता है? क्या माननीय वन मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे? क्या वे भविष्य के लिये ऐसे कोई कदम उठायेंगे जिससे कि इस प्रकार की अनियमितायें न हो सकें और सरकार ऐसे लांछनों से बच सके? इस प्रकार की अकर्मण्यता जनतंत्र के लिये बड़ी ही घातक है।

मान्यवर, जहां तक अन्य विभागों का प्रश्न है, उनमें भी काफी गड़बड़ियां हैं जिनके बारे में अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है। लोन के बारे में भी अभी एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया। किन विभागों में अनुभाग से अधिक खर्च होता है वह न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। निर्माण विभाग में काफी खर्च अनुमान से अधिक होता है जो अनुचित है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अपनी योग्यता एवं सतर्कता के कारण ऐसे कदम उठायेंगे जिससे भविष्य में

[श्री खेम चन्द्र—]

इस प्रकार की अनियमिततायें न हो सकें और ४-५ साल बाद इस तरह से यह मांगे सदन के सामने प्रस्तुत न हों। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, सब से पहले, मैं संविधान की धारा २०५ का विरोध करना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार दिया गया है। मान्यवर, २०५ वाली धारा को बनाने वालों की मंशा क्या थी? इस धारा को बनाकर इस कांग्रेस हुकूमत को मन माने ढंग से लूट खसोट करने का मौका दिया गया है। इसके होने से यह जब चाहें, किसी भी वर्ष में, किसी अनुदान की राशि को घटा बढ़ा सकते हैं। इस धारा के अन्तर्गत इस सरकार को यह अवसर दिया गया है कि वे, यदि खर्चा ज्यादा हो जाय तो बाद को उसकी स्वीकृति सदन से करा लें। माननीय कैलाश प्रकाश जी कहते हैं कि हम तो आपकी राय से खर्च करते हैं। ऊदल जी के एक सवाल के जबाब में उन्होंने यह कहा था कि हम तो बिना आपकी राय के एक पैसा भी खर्च नहीं करते। मान्यवर, यह तो बैलों की छाप पर जीत कर यहां आते हैं और बैलों का सा ही इनका दिमाग है और उसी दिमाग के अनुसार यह सरकार मनमाने ढंग से खर्च करती है और संविधान की इस धारा का फायदा उठाती है तथा इसकी आड़ में यह सब खर्चा करती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ६१-६२ ६२-६३ वगैरह की रिपोर्ट ५ या ६ साल बाद स्वीकार करने के लिये लाये हैं। यह क्या तरीका है। मालूम होता है कि सारा दफ्तर सोता रहता है जब देखते हैं कि कोई काम नहीं रह गया तो यह सब ऊल जलूल रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई चीजों को निकालकर ले आते हैं। लोक लेखा समिति का हवाला दे देते हैं वह पी० ए० सी० जिसके लोग इधर उधर सैर सपाटा किया करते हैं अभी उसके कुछ सदस्य मद्रास सैर सपाटा करने गये थे। आज हाउस आफ कामंस के कमेटी के सिस्टम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन को आज यहां और सारे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार करने के लिये रखा गया है और वह अपनी जड़ जमा चुका है। ऐसा लगता है कि कमेटियां बनाकर के सरकार के लोग विरोधी पक्ष के लोगों को घूस दे देते हैं और बलवान सिंह जैसे लोगों को चेयरमैन बना देते हैं जिन्हें लोक लेखा समिति और एकाउन्ट्स से क्या मतलब? जो मद्रास घूमते हैं और अपने भत्ते बनाते हैं ऐसे लोगों को इसमें रख लिया जाता है। सारे विरोधी पक्ष के लोग भत्तों के बल पर आपको सिफारिशें करें और उन्हीं की कमेटी के बल पर आज मंत्री जी हमसे कहते हैं कि इसको स्वीकार करो।

अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अतिरिक्त अनुदानों को जो आपने खर्च कर दिया है आपकी स्वीकृति मांगने का हक तब होगा जब उन पैसों का सदुपयोग हुआ होता। पुलिस, न्याय प्रशासन और वन व्यवस्था के लिये पैसा मांगते हैं। इन सारे विभागों का कर्त्तव्य क्या है। माननीय ऊदल जी ने सही फरमाया कि वनीकरण के नाम पर क्या नहीं किया गया। यह जो ६५ की रिपोर्ट की पुस्तिका है उसमें लिखा गया है कि तमाम रुपया जो ब्लाकों में वनीकरण के लिये बांटा गया है उसमें ये जो इनके दलाल गांवों में आज फैले हुए हैं ग्राम प्रमुख, ग्राम प्रधान और मंडल कांग्रेस कमेटी और न जाने क्या क्या सब दलाल बैठे हुए हैं। आज गांवों में १० फी सैकड़ा लोग इनके दलाल बैठे हुए हैं और वनीकरण योजना पर २५ लाख रुपया सारे उत्तर प्रदेश के लिये रखा गया कि ८ रुपया फी एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जायगा तुम लोग बन लगाओ। कागज पर वन लगा दिये गये। जब जांच हुई तो कह दिया गया कि पौधे सूख गये और आज कैलाश प्रकाश जी हमसे रुपया मांगते हैं कि उसको स्वीकृति दो जो इनके दलाल सब खा गये हैं। आज जनता की आंखों में धूल झोंककर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा मंत्री लोग अपनी ऐय्याशियों और अपने अफसरों की सुख सुविधा पर खर्च कर रहे हैं। अगर कैलाश प्रकाश जी में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो जो आज आई० सी० एस०,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आई ए० एस०, पी० सी० एस०, चीफ सेक्रेटरी से लेकर साधारण सक्रेटरी तक पता लगावें जांच करावें उनके घरों पर सारे साज सामान सुख सुविधा के जनता के पैसों पर हो रहा है। सिंचाई विभाग के लिये पैसा मांगते हैं और सिंचाई विभाग के बजट से इन सारे अफसरों के फार्मों पर पम्पिंग सेट्स लगाये जाते हैं। इस प्रदेश के २९२ करोड़ बजट का २५ फी सैकड़ा हिस्सा बड़े बड़े अफसरान, मंत्रियों, एम० एल० ए० लोगों, जो हुकूमत में बैठे हुए है इन सारे लोगों की सुख सुविधा पर खर्च होता है, २५ फीसदी इनके दलालों पर खर्च होता है और मुश्किल से २०, २५ फी सैकड़ा रुपया जनता तक पहुंच पाता है। यह ७०-८० फी सैकड़ा रुपया इस तरह के गड़बड़ घुटाले वाले लोगों या इनके चन्द गुटबाज लोगों पर ये खर्च करते हैं।

सरकार की सतर्कता आयोग की पुस्तिका बंटी है। किस तरह से इसके प्रान्त में बेईमान आफिसर हैं इनकी जांच के लिये एक सतर्कता आयोग उन्होंने बनाया लेकिन हम तो यह साफ कहते हैं कि एक भी ईमानदार आफिसर इस राज्य भर में नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, कोई मंत्री भी ईमानदार नहीं है। यह इस सरकार का हाल है। सारे लोग रिश्वतखोरी, कुनबापरस्ती और भ्रष्टाचार के सिलसिले कायम किये हुए हैं, सतर्कता आयोग भी यह ऐसा ही है। इसके कार्यकलापों की किताब में लिखा है कि सभी जिलाधीशों का सामान्यतया यह कथन है कि भ्रष्टाचार का क्षेत्र न्यूनतम हो जायगा, यदि कर्मचारिवर्ग के सामान्य जनता के साथ सीधे सम्पर्क के अवसर पर्याप्त रूप से कम किये जावे। जिस अफसर ने यह वाक्य लिखा है उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिये। वह चाहते हैं कि जनता का नीचे के लोगों से, नीचे के कर्मचारियों से सम्पर्क न रहे और ऊपर वाले फिर जितना चाहें लूटे खसोटें, किसी को पता ही नहीं चलेगा। यूरोप के जितने देशों में जनतंत्र है, वहां के विद्वानों की मान्यतायें इससे बिलकुल भिन्न हैं। वे कहते हैं कि सरकारी आदमी का सम्पर्क जितना सीधे जनता से होगा उतना ही भष्टाचार कम होगा। यह सरकार चाहती है कि आम जनता अफसरों से न मिलने पावे। मैं जानता हूं कि ८० फीसदी जिलाधीश तहसीलदारों और कानूनगो लोगों से रिश्वत लेते हैं। जो सतर्कता आयोग जिलाधीशों की राय से काम करेगा उससे अधिक भ्रष्ट कोई आयोग हो नहीं सकता है।

सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई इस शासन में अधिकारी है तो वह जिलाधीश है। बार-बार हमारी पार्टी की तरफ से कहा गया कि इस पद को समाप्त किया जाय। जिलों में भ्रष्टाचार कमेटियां बना दी गई हैं। सारे एम० एल ए० उनके मेम्बर हैं। मैंने तो उससे इस्तीफा दे दिया। एक कानूनगो और एक कांग्रेसी दलाल जो कांग्रेस का लीडर बन गया, उनकी मैंने शिकायत की। उसने कुंवा खुदवाने के लिये रुपया लिया लेकिन खुदवाया नहीं। जांच हुई तो मामला सच पाया गया। एस० डी० ओ० बेचारा पिछड़ी जाति का चमार था। ईमानदार आदमी है वह। वह चाहता था कि इस मामले में कोई कार्यवाही करे लेकिन हरिजन को कौन पूछता है? बड़े बड़े अफसरों ने कह दिया कि इसमें कुछ नहीं होगा, किस चक्कर में पड़ते हो। तो ये भ्रष्टाचार कमेटी नहीं हैं, ये भ्रष्टाचार बढ़ाओ कमेटियां हैं। जिलाधीश और आयुक्तों के खर्च के लिये भी इसमें पैसा मांगा गया है। मैं सुचेता कृपालानी जी की सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कमेटी का मेम्बर था। उसमें मैंने शिकायत की कि हमारे यहां सिंचाई के लिये पम्पिन्ग सैट और कुवें के लिये पैसा बांधे रहते हैं। आज हमारे नेता राम सुन्दर जी सवाल करते हैं कि कुएं के लिये पैसा दिया और पुराना कुंवा उसमें दिखला दिया। हमने उनसे कहा कि अन्धे के आगे रोना और अपने नैना खोना। ८० सैकड़ा पैसा कुएं का लोग खा जाते हैं। कुवें बनते ही नहीं हैं। हमारे जिले में ४०० एकड़ जमीन सिंचाई योग्य है, जिसमें से २५० एकड़ की केवल सिंचाई होती है, १५० एकड़ की सिंचाई नहीं होती है। हमारे जिले में कोई नाली ठीक नहीं हैं। सिंचाई विभाग में एक कमेटी बाढ़ रोकने के लिये है। इसका सब रुपया इंजीनियर और ठेकेदार मिल कर खा जाते हैं। कोई जांच के लिये जाता है तो कहते हैं कि इसका कोई रेकार्ड ही नहीं है। गाजीपुर के बांध का मामला

[श्री काशीनाथ मिश्र---]

है, बांध बना नहीं और ठेकेदार को पैसा मिल गया। वह इसलिये दिया गया कि अगर नहीं दिया जाता तो इंजीनियरों को और कांग्रेस के दलालों को वह ठेकेदार कहां से देता ? मेरे जिले में ५ लाख रुपया खर्च करके एक बांध बना, जिसमें से २।।, ३ लाख रुपया ठेकेदार और इंजीनियर खा गये। यह सरकार काम वहीं कराती है जहां किसी मंत्री का घर होता है। पी० डब्ल्यू० डी० के रावत साहेब मंत्री हैं। उनका भी इसमें जिक्र है सतर्कता आयोग की किताब में। ये सब भ्रष्ट हैं। नन्दा जी की कमेटी और यह सतर्कता आयोग सभी भ्रष्ट हैं। सरकार की यह पालीसी है कि भ्रष्टाचारी को भी भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी का चेयरमैन बना दो तो कोई उसे भ्रष्टाचारी नहीं समझेगा। गुलजारी लाल नन्दा से ज्यादा भ्रष्ट आदमी इस देश में कोई नहीं है और वही सदाचार समिति का चेयरमैन बना बैठा है। इसी तरह से भारत सेवक समाज की हालत है। सुरक्षा कोष का पैसा भी इसी तरह से खर्च हो रहा है। जनता को उससे कोई लाभ नहीं है। बड़े बड़े अफसर उसका पैसा खाये जा रहे हैं। हमारे यहां माननीय गुप्ता जी गये थे। वहां के सारे अफसर और मैजिस्ट्रेट उनकी चापलूसी में लगे हुए थे और कचहरियों में केसेज की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। बेचारे गरीब किसान अपना घर पर काम छोड़कर मुकदमों के लिये आये हुए थे। शाम तक कचहरी में पड़े रहने के बाद कह दिया गया कि तारीख लगा दी गई है। नीचे का मुहकमा ऊपर के मुहकमे की जी हुजूरी करता चला आ रहा है। पैसे पर न्याय बिक रहा है। वहीं पेशकार साहब बैठे और मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद हैं और किसानों से पेशकार रिश्वत लेता है। हर जुडिशयल आफिसर का पैसा पेशकारों से बंधा हुआ होता है। शाम को पेशकार साहेब उनके घर जाते हैं तो जुडिशल अफसर साहेब की बीबी कहती हैं कि दीवान जी, जरा बाजार से तरकारी और साग सब्जी तो ला दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---

मिश्रा जी, किसी को तो छोड़ दीजिये। सभी को भ्रष्ट न कर डालें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, हालत ही यह है, लेकिन आप छूटे हैं। भ्रष्टाचार की हालत इस हद तक बढ़ गई है। ये मंत्रिगण अपने चुनाव फन्ड के लिये अफसरों से पैसा जमा करते हैं। हमारे यहां के एक ठेकेदार हैं, गोरखनाथ उपाध्याय। उसने २०,००० रुपया मंत्री जी को चुनाव फन्ड के लिये दिया। दोहरी घाट का कोई काम है जिसका आज तक ठेका ही नहीं हुआ। हर मिनिस्टर और सरकार के दलालों और ठेकेदारों की हमारे पास कुंडली है। एक ही इलाज है। जिस घमंड के साथ कैलाश प्रकाश जी यहां कहते हैं कि हम स्वीकृति लेकर खर्च करते हैं, तो वह स्वीकृति इस सदन की नहीं थी, बल्कि उन बैल-छाप पर जोते दलालों की है। आज मैं कहना चाहता हूं कि एक ही तरीका है कि जब तक यह सरकार जनतंत्र पर हावी रहेगी तब तक भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, पनपती रहेगी। एक ही तरीका है इस सरकार को जल्दी से जल्दी अपदस्थ किया जाय। जब तक यह सरकार है तब तक शासन का काम, सिंचाई का काम और न्याय का काम कोई काम सही तरीके से नहीं चल सकता। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि इन अनुदानों को खत्म किया जाय।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, यह जो अतिरिक्त अनुदान है यह उस वर्ष का है जो चुनाव के एक साल पहिले का कहलाता है और वही चुनाव का पहिला एक साल आज भी है। ऐसा मालूम होता है जैसा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी घोषणा की है कि सन् ६७ के चुनावों में हम एक करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे चुनाव करने के लिये। मान्यवर, यह जो अतिरिक्त अनुदान मांगा जा रहा है यह ६१-६२ के चुनाव फन्ड का पैसा है। इसके अतिरिक्त जिला इलाहाबाद की ओर से कम से कम मैं इतना तो कहने के लिये तैयार हूं कि जितने विभागों की मांग की गई

है, इलाहाबाद जिले के १४ क्षेत्रों के किसी भी चुनाव क्षेत्र की जनता की ओर से अस्वीकृति को जानी चाहिये। मान्यवर, इलाहाबाद जिले में जो भी काम हुआ है वह स्वर्गीय पंडित नेहरु जी का क्षेत्र और स्वर्गीय लाल बहादुर जी का क्षेत्र ही जाग्रत हुआ है। जितनी भी आज तक स्कीम्स चल रही हैं, केन्द्रीय सरकार की, प्रान्तीय सरकार की और जिला सरकार की वह गंगा पार नेहरु क्षेत्र या जमुना पार बहादुर क्षेत्र में ही चल रही हैं। इन्हीं क्षेत्रों में सारी कार्यवाहियां चल रही हैं।

मान्यवर, मैं तो अन्त में यह कहूंगा कि यह अनुदान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होना चाहिय। सिंचाई विभाग की स्थिति पर मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि राम गंगा बांध से जो नहर निकाली जाने वाली है वह फतेहपुर और इलाहाबाद क्षेत्र को छूती हुई जा रही है। मान्यवर, न जाने कितने लम्बे रुपये की स्कीम स्वीकार हुई। कहीं पर एक मील, कहीं पर दो फर्लांग नहर काट दी गई, नालियां खोदीं गई, पेड़ काटे गये, बागात काटे गये, कुये पाटे गये लेकिन वह नहर आज तक भी शुद्ध नहीं हो पाई है। उस क्षेत्र की जनता की मांग है कि उन्हें नहर का पानी नहीं चाहिये। हम तालाब खोदकर भी गुजारा कर सकते हैं। इसलिये हम मांग करते हैं कि राम गंगा बांध से जो नहर जिला इलाहाबाद और फतेहपुर में निकाली जा रही है वह निकाली न जाय, वह बन्द कर दी जाय। सरकार का पैसा बचाया जाय।

न्याय विभाग की मांग की गई है। आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के बारे में यहां कितनी शिकायत की गई। मान्यवर, बांदा जिले के आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं, श्री पी० एन० सिंह, जिनके खिलाफ यहां सदन में सरकार के पास रिपोर्ट मौजूद है। उन्होंने ८०-९० हजार रुपया जनता से लूटा-खसोटा। जब सरकार के यहां रिपोर्ट आई तो वे इस्तीफा पर घर बैठा दिये गये और दो साल के बाद फिर आनरेरी मैजिस्ट्रेट उनको बनाकर भेज दिया है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग भी भ्रष्ट, सबसे गिरा हुआ और देश का दुश्मन विभाग है और यह आवश्यक होता है कि थोड़े पैसों से जनता को अधिक लाभ हो सकता है लेकिन यह सरकार वहां काम नहीं कराती है और राजनैतिक दृष्टिकोण से बड़ी-बड़ी रकमें पानी की तरह बहा दी जाती हैं तथा ऐसा करने में लोगों को न तो शंका होती है और न लज्जा आती है। जनता का पैसा इस प्रकार से बरबाद किया जाता है। इन शब्दों के साथ में अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इनको कतई पास न करे।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो करीब २ करोड़ रुपये की मांगें सदन के समाने पेश की हैं, उन पर सदन विचार कर रहा है। इन मांगों में सिंचाई के लिये काफी रुपया रखा गया है। हमारे प्रदेश में करीब ४ करोड़ एकड़ जमीन है जिस पर अभी तक खेती होती है। इसमें से केवल २० प्रतिशत यानी ८० हजार एकड़ ऐसी है जो इरीगेटेड है और बाकी नानइरीगेटेड है। इसी जमीन पर हमें आत्म निर्भर होना है। इसके लिये हमें सिंचाई विभाग की ओर अधिक ध्यान देना होगा। अगर २० हजार एकड़ जमीन में प्रतिवर्ष हम सिंचाई की अधिक व्यवस्था करें तो ही हम प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को खाने के लिये दे सकते है और आत्म निर्भर हो सकते है। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हमारे लिये एक भयंकर समय हो सकता है। इस सरकार की नीति पूंजीपतियों को पोषण करने की है, इस बात को अभी माननीय सदस्य कह रहे थे। वे तो एक जनरल बात कह रहे थे, मैं नाम लेकर कहता हूं। हमारे प्रदेश के जो बड़े-बड़े मैगनेट्स हैं---साहू जैन, राम रतन गुप्ता, मार्टिन बर्न, आदि बिजली कंपनियां, इन पर प्रदेशीय सरकार का १० करोड़ रुपया के करीब बकाया है। यह तो हमारा कर्जा है। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु--]
यह सरकार उस रुपये को उनसे वसूल नहीं कर रही है । और उसी रुपये से यहां से गये हुये नेता जो अब अभिनेता बन गये हैं उनकी ५६वीं साल गिरह पर ५६ लाख रुपया भेंट कर रहे हैं । यह रुपया कहां से आयेगा ? ये लोग इस रुपये को किस लिये दे रहे हैं। इसके द्वारा एक ऐसा ग्रुप बनाया जा रहा है जो एक दिन इस देश की डेमोक्रेसी के लिये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है । आज भी इस देश में प्रोग्रेसिव और कन्जरवेटिव नाम के दो गिरोह है। कंजरवेटिव गिरोह इस देश में एक ऐसा गिरोह बनाना चाहता है जो प्रदेश की जनता की कमाई को खुले आम इन्ज्वाय कर सकने का उनको मौका दे सके । दूसरी और मिल के मजदूरों को उन्होंने कोई बोनस भी न देना पड़े ।

इतने दिन में कुछ नहीं कर सके तो फिर आप अब कब हर आदमी को रहने के लिये मकान और भोजन दे सकेंगे और यह तो क्या आप आज तक लोगों के लिये पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं कर सके। एक तरफ तो आप भूखों को खाना देना तो क्या, पीने के लिये पानी भी नहीं दे सकते और दूसरी तरफ आप छोटे से छोटे आदमी को इतना बड़ा महामानव बना रहे हैं कि वह लाखों में तौला जा रहा है । यह जनतंत्र नहीं पनप रहा है, यह आप का पूंजीतन्त्र पनप रहा है, आप यह एक नये वर्ग को पनपा रहे हैं । जो छोटा आदमी झोपड़ी में रहता है उस के हाथ में शक्ति विकेन्द्रित होनी चाहिये । जो लोग समाजवादी ढंग से जनता का हित करना चाहते है उनको आज कोई पूछ नहीं है लेकिन जो...

श्री अधिष्ठाता---

समय समाप्त ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

मुझे केवल १-२ मिनट ही आप दे दें ।

श्री अधिष्ठाता---

अब समय नहीं है, मंत्री जी अब बोलेंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

केवल जरा सी बात मैं कहना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता---

अब समय नहीं है, मंत्री चाहें तो आप बोल लें ।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी यहां से चले गये । मैं उनसे कहना चाहता था कि संविधान की धारा २०५ (१) में जिसको अतिरिक्त अनुदान माना गया है यह रकम केवल एक्सेस ग्रान्ट के लिये ही मांगी जा सकती है । माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्टीकरण में बताया था कि हम यह ग्रान्ट नहीं मांग रहे हैं, कुछ रकम हमने खर्च नहीं की और यह अकाउन्ट में गलती हो गई है, कैपिटल ग्रान्ट में इतना रुपया हो गया है, इस को कहां दिखायें ? मैं पहली चीज यह कहूंगा कि अगर यह एक्सेस नहीं हुआ है तो यह २०५ (१) में आ ही नहीं सकता । इस में केवल एक्सेस ग्रान्ट का प्राविजन है कि —

"यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है " तब ऐसी हालत में यह मांग उपस्थित हो सकती है । वित्त मंत्री यहां नहीं हैं, चले गये हैं, वह स्वयं कह गये हैं कि हम ने एक्सेस नहीं किया तो यह एक्सेस ग्रान्ट नहीं है.....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी ने कहा है कि उसी हेड में कहीं से बचा है और कहीं एक्सेस खर्च कर दिया है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा । उन्होंने कहा कि कैपिटल अकाउन्ट में हो गया है और वह चार्ज्ड अकाउन्ट में दिखाया गया है । उसमें उन्होंने यह फाइनेंशियल जगलरी की है, चार्ज्ड का तो इस धारा में प्राविजन ही नहीं है. . . . . .

श्री राममूर्ति (जिला शाहजहांपुर)—

यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं प्वाइंट आफ आर्डर हो सकता है ?

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

अगर वह चार्ज्ड अकाउन्ट लाना चाहते हैं तो वह २०५(१) के अनुसार नहीं ला सकते और यह एक्सेस ग्रान्ट नहीं है और इस तरह से इसको पास कराना इल्लीगल और अनकांस्टीट्यशनल है ।

*श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मैं जरा परिस्थिति को साफ कर दूं । मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा था कि हमसे पी० ए० सी० ने सिफारिश की कि आप इन एक्सेस ग्रान्ट्स को सदन से पास कराये । सच बात यह है कि पी० ए० सी० ने यह बात नहीं कही। समिति के सामने जब सन् ६३ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट आई तो उसमें यह बात इस तरह से लिखी हुई थी जो वह दिखा रहे हैं । ऐसा समझा जाता है कि चार्ज्ड अकाउन्ट वह हिसाब हैं जिनका वर्ष के आरम्भ में किसी सरकार को पता होना चाहिये । इसलिये उस पर वाद विवाद तो होता है लेकिन मैं समझता हूं कि कोई मतदान नहीं होता है । चार्ज्ड एक्सपैन्डिचर में राज्यपाल और विधान मंडल के जो खर्चे होते हैं, वे उसमें आते हैं । यह ऋण कम करना चार्ज्ड एकाउन्ट का हिस्सा है और अगर यह धनराशि उस एकाउन्ट में दिखायी गयी होती जिसमें ऋण कम करने का और अपरिहार्य का है तो शायद यह आडिट के सामने न आता । लोक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६३, के पृष्ठ २७ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि "यह व्ययाधिक्य मुख्यतया (१) जमींदारी विनाश प्रतिकर बन्धों, (२) जमींदारी विनाश पुनर्वासन अनुदान बन्धों, (३) संचित ऋण, (४) सामुदायिक विकास प्रायोजना के लिये ऋण, और (५) दुर्भिक्ष सहायता सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये ऋणों का प्रतिपादन करने के फलस्वरूप हुआ जिसके लिये "ढ—सरकारी ऋण के अन्तर्गत धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी थी।" तो जब व्यवस्था ही नहीं की गयी तो फिर कोई जिक्र ही नहीं । दरअसल माननीय अधिष्ठाता महोदय, मार्च, १९६२, में इस विनियोग से ३, १७, ५३,६०० की धनराशि का समर्पण किया गया है । आडिट आब्जेक्शन में इस पर विचार करते हुये पी० ए० सी० ने उन धाराओं का अवलोकन किया था और उनका अवलोकन करके यह आज्ञा दी है । पी० ए० सी० की आडिट रिपोर्ट १९६२–६३ में जो पेश हुयी है पृष्ठ (२) पर यह लिखा हुआ है कि संविधान की धाराएं २०४, ११५, १०५ और २०३ जो हैं, उनमें इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिखा जाय कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है । उसको केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया । मेरा निवेदन यह है कि हमारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की राय है कि संविधान में संशोधन किया जाय और हमारे आडिटर जनरल की यह राय है कि यह नहीं हो सकता है । अतः अब मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी उसको एक्सेस ग्रान्ट के रूप में नहीं ला सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका स्पष्टीकरण हो गया है । अब आप कृपया बैठें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जयराम वर्मा---

अधिष्ठाता महोदय, यहां पर संवैधानिक प्रश्न उठाया गया है, वह सही बात है कि हमारे प्रदेश की लोक लेखा समिति की यह राय रही है कि चार्ज्ड एप्रोप्रियेशन के सिलसिले में अगर कोई अतिरिक्त व्यय हो जाता है तो संविधान का आर्टिकिल २०५ के अनुसार उसे माननीय सदन से स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है और स्वीकृति लेने के लिये यह आवश्यक है कि संविधान की धारा २०५ और ११५ में संशोधन कराया जाय । इस बात के लिये गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को लिखा गया और यह कहा गया कि इस तरह की हमारी लोक लेखा समिति की राय है । गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने यह कहा कि यद्यपि उसमें ये शब्द स्पष्ट नहीं हैं लेकिन तब भी स्वीकृति लेना जरूरी है अगर चार्ज्ड एप्रोप्रियेशन में भी ऐक्सेस खर्चा हो जाय और आर्टिकिल २०५ और ११५ में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है । यह उनकी राय है । केन्द्र की लोक लेखा समिति उसका पालन कर रही है कि चार्ज्ड एप्रोप्रियेशन में जब ज्यादा खर्चा होता है तो उसकी भी स्वीकृति उसी की राय के अनुसार वहां के सदनों से ली जाती है । फिर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को लिखा गया है कि हमारे यहां की लोक लेखा समिति की यह राय है कि संशोधन करना जरूरी है लेकिन उन्होंने चूंकि एक राय दे रखी है कि इन शब्दों के होते हुये भी यह आवश्यक है कि इस सदन की स्वीकृति ली जाय । इसलिये उनके कहने के अनुसार सदन की स्वीकृति ली जाती है । अब यह सवाल विचाराधीन अवश्य है कि इसमें संशोधन हो कि न हो ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

मैं आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । यह सदन के सामने विचार नहीं हो सकता । लोक लेखा समिति की यह रिपोर्ट इस सदन के द्वारा स्वीकार कर ली गई है । अब यह सारे सदन की रिपोर्ट है । इसलिये हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार की कोई लीगल ऐडवाइस रही हो, लेकिन जब तक कांस्टीट्यूशन में कोई प्रावीजन न हो जाय तब तक इस सदन की राय को देखते हुये इसको सदन में पेश नहीं कर सकते ।

श्री अधिष्ठाता---

संविधान, लोक लेखा समिति और सदन के इंटरप्रिटेशन के बहुत ऊपर है ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

उसके लिये केन्द्रीय सरकार भी सक्षम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

मंत्री जो विश्लेषण कर रहे हैं और अगर वह आ सकता है तो आयेगा ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

यह रिपोर्ट सदन ने अडाप्ट कर ली है, अब यह सदन की मान्यता हो गई .....

श्री अधिष्ठाता---

सदन की मान्यता यदि हो जाय तब भी अगर संविधान के अन्तर्गत कोई चीज आती है तो आप उसको नहीं रोक सकते ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

यह तो कह दिया गया कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसा सुझाव दिया है । मेरा कहना है कि सदन की राय केन्द्रीय सरकार के सुझाव से अधिक महत्व रखती है इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी सदन की राय को देखते हुये इस अनुदान को वापस लें ।

श्री जयराम वर्मा---

कानून की सलाह तो हमें केन्द्रीय सरकार की ही माननी पड़ती है और उन्होंने हमें सलाह दी है । उसी के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं । कानून के बारे में कोई फैसला रिपोर्ट में नहीं

आ सकता । लोक लेखा समिति की राय है उस के बाद हमने केन्द्रीय सरकार से सलाह ली । उन्होंने जो सलाह दी उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

लोक लेखा समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सदन को दे दी और सदन ने उसे स्वीकार कर लिया तो यह सदन की राय हो गई, न कि लोक लेखा समिति की । और सदन की राय है कि इसको नहीं पेश होना चाहिये । तो जब सदन की स्वीकृति हो गई और इस रिपोर्ट को अडाप्ट कर लिया, इसीलिये लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर विवाद नहीं होता है. . . . .

श्री अधिष्ठाता---

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, यदि एक बात को आप १० बार रिपीट करें तो उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा । मैंने कह दिया कि पी० ए० सी० की रिपोर्ट या सदन द्वारा उसका अडाप्शन संविधान के ऊपर नहीं हो सकता । केन्द्रीय सरकार ने सलाह दी है और उसी के अनुसार मंत्री जी कार्य कर रहे हैं ।

श्री टम्प्रेश्वर प्रसाद---

जब तक आप यह कहते रहेंगे मैं एतराज करता रहूंगा । आप व्यवस्था दें, मैंने व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने उठाया है । मंत्री जी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मैं तो आपसे व्यवस्था मांग रहा हूं । आप व्यवस्था देते नहीं । आप कहते हैं कि मंत्री जी कहते हैं केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय है । तो उसकी हमारे लिये कोई वकत नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

एतराज करने का आपको हक है। उस को सुना गया । अब उनकी बात आप सुन लें।

श्री जयराम वर्मा---

यह तो सदन की परम्परा है, बराबर ऐसा होता आया है । तो यहां के अध्यक्ष की रूलिंग है. . . . .

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

आप, श्रीमन्, व्यवस्था दें या कल के लिये इसको स्थगित कीजिये ।

श्री अधिष्ठाता---

किस चीज पर आप व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

मेरी राय यह है कि इस सदन ने इस रिपोर्ट को माना है कि संविधान के अन्तर्गत इस का कोई प्रावीजन नहीं है और इसलिये इस को सदन के सामने नहीं आना चाहिये । सदन ने समिति को रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है । मंत्री जी का कहना है कि केन्द्रीय सरकार की राय के कारण वह इस बात को मान रहे हैं । मेरा कहना है कि क्या संविधान की मान्यताओं के विपरीत कोई काम हो सकता है ?

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, जहां तक लोक लेखा समिति का सम्बन्ध है, माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी बार-बार कह रहे हैं कि लोक लेखा समिति का कोई निर्णय नहीं है । निर्णय, सिफारिश और विचार में अन्तर होता है । उनकी राय में ऐसा है । ऐसा नहीं कि वह राय उनकी है । लोक लेखा समिति की अपनी एक राय हो सकती है और उसकी राय उन्होंने सदन के सामने और केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में सलाह प्राप्त हुई है जिसके आधार पर माननीय मंत्री जी ने अतिरिक्त

[श्री रामायण राय]

अनुदानों की ग्रान्ट को रखा है । यह जो प्रश्न संविधान की आड़ में उठाया गया है वह सर्वथा असंवैधानिक है ।

*श्री [कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जहां तक एक्सेस ग्रान्ट का सम्बन्ध है, इसके लिये संविधान के अन्तर्गत दो धारायें हैं जिनके अन्तर्गत हम उनको डील करते हैं । एक २०५ और दूसरी २१५ है जो केन्द्रीय सरकार अथवा पार्लियामेंट के लिये है । एक्सेस ग्रान्ट में ३ आइटम्स हैं जिनके लिये देखना होगा कि एक्सेस ग्रान्ट्स उनके अन्तर्गत आती हैं या नहीं ? "किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है"। तो अगर कोई ग्रान्ट है और वह अपर्याप्त पाई गई है और ऐक्सस ग्रान्ट हो तो उस वक्त वह आ सकती है ।

दूसरे में है "किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है ।"

तीसरे में यह है "ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनवाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी, अनुच्छेद २०२, २०३ और २०४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वार्षिक वित्त विवरण तथा उसमें वर्णित व्यय अथवा अनुदान की किसी मांग तथा राज्य की संचित निधि में ऐसे किसी व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली निधि के सम्बन्ध में प्रभावी है ।" कंसालिडेटेड फंड में से जो रुपया निकाला जाता है उस सम्बन्ध में यह हो सकता है, यानी एक्चुअल ऐक्सपेंडीचर होना जरूरी है । तो जहां तक वन विभाग की मदों का सवाल है, वह ऐक्चुअल एक्सपेंडिचर हैं जहां भवनों व सड़कों आदि के निर्माण में खर्च हुआ। जो चीज अनफोरसीन थी उसके लिये तो आप कह सकते हैं कि एक्सेस खर्च हो गया लेकिन कुछ मदें ऐसी हैं जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि केवल पेपर ट्रांजेक्शन है, ऐक्चुअली खर्च नहीं हुआ है, जब कोई खर्च ही नहीं हुआ है तो एक्सेस ग्रान्ट का सवाल ही नहीं है क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि पेपर ट्रांजेक्शन को ही एक्सेस ग्रान्ट मान लिया जाय जब कि ऐक्चुअली उतना खर्चा हुआ ही नहीं हो । केवल कागज पर लिख देने से ऐक्सेस खर्चा नहीं हो जाता है । इसमें कांसोलिडेटेड फंड से रुपया निकालने की बात है । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ऐक्चुअली रुपया कोई खर्च हुआ हो किसी मद में तभी तो उसको दिखला सकते हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट—

श्रीमन्, ज्ञापन के आरम्भ में ही दिया हुआ है "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २०५ (१) के अनुसार यहां विधान सभा के समक्ष कुल २,०६,३६,९५९ रुपये के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगे प्रस्तुत की जा रही हैं । माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने लिखा था, और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कोई भाष्य दिया है । आखिर २०५ (१) का भाष्य सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको सदन के सामने रखना चाहिये ताकि मालूम तो हो कि ऐक्सेस एक्सपेंडिचर किस तरह से होता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमलासिंह जी का कहना है कि जो मांग सदन स्वीकृत कर चुका, उससे अधिक जब ऐक्सपेंडिचर हो जाता है तब जाकर अतिरिक्त मांग की बात आती है। तो अतिरिक्त खर्च हुआ है या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

हम तो सदन से ग्रास ऐक्सपेंडिचर की स्वीकृति मूल बजट में ही ले लेते हैं। जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा, उससे ज्यादा की स्वीकृति ले लेते हैं। अब चाहे उससे कम खर्च हो या ज्यादा खर्च हो।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

यहां तो सब ऐक्चुअल है।

श्री अधिष्ठाता—

इससे स्पष्ट है कि जो कुछ भी आप सदन से लेते हैं, उससे अधिक खर्च होता है तभी आप अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत करते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

ग्रास एक्सपेंडिचर की स्वीकृति हम ले लेते हैं। श्रीमन्, एक बात माननीय वित्त मंत्री के सिलसिले में कही गयी जो उन्होंने २०६ लाख रुपये के खर्च के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया, उससे उधर कुछ भ्रम हो गया। २०३ लाख कुछ हजार रुपये का खर्चा इसमें अनरिअल और टैक्निकल से सम्बन्धित है। इसमें करीब करीब २-३ लाख रुपये का खर्च वास्तविक है और ज्यादा अवास्तविक है लेकिन हम पूरे की स्वीकृति ले लेते हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

वास्तविक खर्चा जो ३ लाख रुपये का है उसी को आप लें, अवास्तविक की कोई जरूरत नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—

जरूरत है ग्रास खर्च की स्वीकृति लेने की।

श्री राममूर्ति अंचल—

जो अभी मेरे भाई टम्बेश्वर प्रसाद जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो प्रक्रिया नियमावली के नियम १९९ को अगर आप देखें तो उसमें लिखा है —

"वित्तीय कार्य के निस्तारण के लिए समय-सीमा—इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा प्रयोज्य अधिकारों के अतिरिक्त वे उन समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे जो समस्त वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने लिए आवश्यक हों....।"

यह विलम्बकारी है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके इसे समय के अन्दर पूरा कराने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

नियम की जानकारी है, समय के अन्दर सब हो जायगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या समय इसलिए नियत किया जाता है कि हर काम गलत किया जाय ? सही काम हो तो समय के अन्दर हो जाय।

श्री कमलासिंह यादव---

संविधान के अनुच्छेद ११५ के अन्तर्गत एक बसु कमेन्टरी है। उसके पेज ७१० की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें एक्सेस ग्रांट और सप्लीमेंटरी ग्रांट, दोनों का डिफरेंस दिया है ।

श्री अधिष्ठाता---

यह कहीं का भी संसदीय नियम नहीं है कि एक विषय पर कुछ लोग दो-दो, तीन-तीन बार वार्त्ता करें। व्यवस्था का प्रश्न टम्बेश्वर प्रसाद जी ने उठाया है। मैंने उस पर ३-४ आदमियों को बोलने का अवसर दिया है। सारा कांस्टीट्यूशन आपने पढ़ दिया। अब भी मुझे व्यवस्था देने का मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव---

११५ तो आपने पढ़ने नहीं दिया। उसमें लिखा है—

"An excess demand differs from a supplementary demand in that the former is made after the expenditure has been actually incurred and after the financial year to which it relates has expired."

तो एक्चुअल एक्सपेंडीचर पर एक्सेस डिमांड होती है। यहां तो ऐक्चुअल एक्सपेंडीचर हुआ ही नहीं इसलिए सदन इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अधिष्ठाता---

आपको भ्रम है कि इसमें एक्सपेंडिचर नहीं हुआ।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट---

आप रहे होंगे जब वित्त मंत्री जी ने बताया था कि खर्चा कुछ नहीं हुआ, यह सिर्फ कैपिटल ग्रांट में जमा हो गया है।

श्री अधिष्ठाता---

मंत्री जी का कहना केवल यह है कि जो भी कंसालिडेटेड फंड है उसमें से रुपया हमको निकालना पड़ा। यह बात दूसरी है कि उस फंड में रुपया मौजूद था और एक्चुअल एक्सपेंडीचर के लिए कोई अतिरिक्त मांग की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि कंसालिडेटेड फंड से उस हेड के लिए उनको रुपया निकालना था जिसके अन्दर इतने रुपये का प्राविजन नहीं था लिहाजा संविधान की धारा के अन्तर्गत यह आवश्यक हो गया कि अतिरिक्त मांग को उपस्थित करें और आर्टिकिल२०५से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। अब केवल एक पी० ए० सी० की रिपोर्ट आ गयी है कि यह संविधान के अनुसार नहीं है और यह रिपोर्ट में रखी गयी जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया। लेकिन सदन उसे स्वीकार करे या न करे इससे संविधान की धाराओं पर कोई असर नहीं पड़ता। यह भी मैं मानने को तैयार हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लीगल कमेटी ने क्या राय दी, वह अलग बतहै, लेकिन मेरी राय मेंसंविधान का धारा को खिलाफ यह अतिरिक्त मांग जो उपस्थित की गयी है नहीं है। मंत्रीजी ने स्वयं बताया कि कंसालिडेटेड फंड में तो रुपया था लेकिन जिस हेड से खर्चा करना था उसमें इतने रुपये का प्राविजन नहीं था।

१९६१-६२ के अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान---अनुदान संख्या ५---वन

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५---वन--के अन्तर्गत १,७५,४२६ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ३६,१४२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १८—पुलिस

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—पुलिस-के अन्तर्गत ६,२७,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४५—वनों पर पूंजीगत लागत

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—वनों पर पूंजीगत लागत-के अन्तर्गत २३,३४९ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६-सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत-के अन्तर्गत ७९,२६,१८८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

मैं, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६, को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

विरोध करने का अवसर दूसरा होता है ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६, को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६, को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, अभी यह पुरःस्थापित कैसे होगा ? इसकी प्रतियां हमें नहीं मिली हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा, अभी मिली जाती हैं (प्रति मिलने पर) ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, इसमें इसका कहीं जिक्र नहीं है कि कंसालिडेटेड एमाउन्ट का टोटल एकाउन्ट कितना है । इसके अन्तर्गत जो हमें सूचना दी जाती है, उसके अन्तर्गत यह होता है कि उत्तर प्रदेश की संहित निधि में से इतना रुपया । किन्तु इसमें संहित निधि का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ रुपये का है । टोटल एकाउन्ट जो वर्ष का होना चाहिए, वह नहीं है । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

ठहरिए मंत्री जी द्वारा विचार का प्रस्ताव होने के बाद में इसको भी सुनूंगा और इस पर व्यवस्था दूंगा ।

श्री जयराम वर्मा—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६, पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, अभी १९६१-६२ में जिन अतिरिक्त व्ययों की स्वीकृति माननीय सदन ने दी है, उन धनराशियों के अनुसार सेवा पर जो खर्च किया जा चुका है, उसी की संहित निधि से निकाल कर काम में लाए गए व्यय की स्वीकृति इस माननीय सदन से मांगी जा रही है । चूंकि माननीय सदन ने अतिरिक्त व्यय को स्वीकार किया है, इसलिए उसको उपयोग में लाने के लिए भी सदन स्वीकृति प्रदान करेगा, यह हमें आशा है ।

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट बोलेंगे ।

*श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है, वह पहले खर्च कर चुके थे । जब बाद में पता चला तो अब उसकी स्वीकृति ले रहे हैं । श्रीमन्, प्रदेश की स्थिति इनके राज्य में बड़ी दयनीय है । किसानों की बात देखें, नन्दा जी कहते हैं कि हम एमरजेंसी कानून खत्म करने पर विचार कर रहे हैं और खत्म करने वाले हैं । लेकिन प्रदेशीय सरकार हमारे नजरबन्द साथियों को जो बन्द हैं, छोड़ नहीं रही है । एमरजेंसी के रूप में ८ करोड़ उत्तर प्रदेश में सरकार ने जनता का खींच लिया । किसान उससे परेशान हैं । सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां आग न लगी हो । कल्पनाथसिंह और गेंदासिंह के क्षेत्र में गांव के गांव में आग लगी है । मजदूरों की भी क्या भयंकर स्थिति है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मजदूरों की हालत, श्रीमन्, सुन लीजिए। चुर्क मजदूर हड़ताल करने जा रहे हैं, प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल करने जा रहे हैं, रिजर्व बैंक के लोग हड़ताल करने जा रहे हैं, कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स कल करीब १० हजार के आ रहे हैं, म्योर मिल का मसला आप तय नहीं कर पाए....

श्री अधिष्ठाता—

लेकिन यह सब तो इस विधेयक में है नहीं। खैर, २ मिनट में आप जो चाहें वह कह लीजिए।

श्री उग्रसेन—

मैं तो, अधिष्ठाता जी, यह कह रहा था कि ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को एक पैसा भी खर्च करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी तो कम से कम नहीं दे सकती। आज इस उत्तर प्रदेश में माननीय सुचेता कृपालानी के राज्य में उत्तर प्रदेश की भयंकर अराजक स्थिति है और ऐसी स्थिति में दूसरे सदन से भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को जनता के हित में जो कुठाराघात करती है उसको हटाने की प्रयत्न किया जाय और इस धन की स्वीकृति बिलकुल न दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

अधिष्ठाता महोदय, निवेदन यह है कि विधान मंडल के सामने कोई विधेयक इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी राय ली जाय। जब कभी भी सरकार रुपया खर्च कर ले, उसके कई कई वर्षों बाद यहां विधान मंडल से स्वीकृति ली जाय, तो यह विधान मंडल के साथ मखौल है। इसमें बड़ी लापरवाही की गयी है। देखिए, १० परसेंट और ४० परसेंट कंस्ट्रक्शन आफ इर्रीगेशन वर्क्स आउटसाइड लैंड रेवेन्यू खर्च किया है। हर साल २० से ३० करोड़ रुपया यह सरेन्डर कर देते हैं लेकिन आज इतने दिनों बाद इस तरह से गलत खर्च करके हमसे स्वीकृति के लिए कहा जाता है। यह वित्त विभाग के लिए बड़ी शर्म की बात है।

श्री जयराम वर्मा—

दूसरी सप्लीमेंटरी के बाद जो अधिक व्यय हो जाता है उसकी सूचना तैयार करते हैं और वह साल बीत जाता है तो फिर उसके लिए कोई और चारा नहीं है सिवा इसके कि हम अतिरिक्त अनुदानों द्वारा सदन से स्वीकृति ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ और अनुसूची

२—उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका योग कुल २,०६,३६,९५९ रुपये (दो करोड़, छः लाख छत्तीस हजार, नौ सौ उनसठ रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिए जो ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिए और काम में लाए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

१९६१-६२ की कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से २,०६,३६,९५९ रुपये का दिया जाना।

३—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धन-राशियों के दिए और काम में लाए जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा और किया गया समझा जायगा। विनियोग।

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिए)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती: स्वीकृत भाग	बढ़ती: राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
	राजस्व व्यय—			
५	वन ..	१,७५,४२६	..	१,७५,४२६
१३	सामान्य प्रशासन ..	..	२२,८९३	२२,८९३
१६	न्याय प्रशासन ..	३६,१४२	..	३६,१४२
१८	पुलिस ..	६,२७,७००	..	६,२७,७००
२१	चिकित्सा ..	..	९	९
४४	नियोजन और एकीकरण ..	..	१,४८५	१,४८५
	भारित विनियोग (संख्या रहित)—			
	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	१,१८,२३,७६७	१,१८,२३,७६७
	योग, राजस्व व्यय ..	८,३९,२६८	१,१८,४८,१५४	१,२६,८७,४२२
	पूंजी व्यय—			
४५	वनों पर पूंजीगत लागत	२३,३४९	..	२३,३४९
४६	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत	७९,२६,१८८	..	७९,२६,१८८
	योग, पूंजी व्यय ..	७९,४९,५३७	..	७९,४९,५३७
	बड़ा योग ..	८७,८८,८०५	१,१८,४८,१५४	२,०६,३६,९५९

खण्ड २, ३ और अनुसूची

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना, शीर्षक तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६

३१ मार्च, १९६२, को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (excess) व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिए राज्य की संहत निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १९६६, कहलाएगा — संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६, पारित किया जाय।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसके लिए जो समय निर्धारित था वह समाप्त हो चुका है, अब यह पारित नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता—

इसके लिए कोई ऐसा समय नहीं है, फिर चेयर को यह अधिकार है, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन—

हमने श्रीमन्, डिवीजन मांगा था ?

श्री अधिष्ठाता—

विधेयक अब पारित हो चुका है।

१९६२–६३ के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य विवाद

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

मैं, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन—के अन्तर्गत १,१७,७२,२४२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

मैं, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—१६, खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन—के अन्तर्गत ४३,१२४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्यों—के अन्तर्गत ७८,८२,३७४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

मैं, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागतों—के अन्तर्गत ३,५०,८५,५४४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

*श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप यह देखेंगे कि हमारे मंत्रियों ने जो अनुदान पेश किए हैं, अबकी शायद पहले जैसी गड़बड़ नहीं है क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कि गड़बड़ है। इन्होंने यह लिखा है कि अक्तूबर, १९६२ में राष्ट्रीय संकट होने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में मुख्यतया सामरिक महत्वों की सड़कों पर निर्माण कार्यों को शीघ्रतापूर्वक निष्पादित करने के लिए यथा-संभव अधिकतम प्रयास किया गया। जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्यद्रप्रारंभ किये गये वहां कठिन और दुर्गम भूमि होने के कारण विभागीय अधिकारी समय से सूचित नहीं कर सके कि वहां कितनी रकम अतिरिक्त अनुदानों के रूप में आवश्यक होगी जिससे यह व्यय अधिक हुआ। सामान्य अधिष्ठान में भी बहुत से रिक्त पदों को भी भरना पड़ा। अब जरा सबसे मजेदार भाग यह है कि निर्माण की जाने वाली सड़कों की सूचना नहीं दी पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारियों ने। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि सड़कों का निर्माण होने पर अगर पी० डब्ल्यू० डी० इंजीनियर बढ़ गये होते तो यह मेरी समझ में आता था। वे सूचना दे सकते थे। यह बात भी समझ में आ सकती थी कि अगर कोई कर्मचारी बढ़ा होता जो सिंचाई या निर्माण विभाग का होता। कारण दिखाया गया है सड़क निर्माण और विभाग में १ करोड़ १७ लाख रुपये का खर्च बढ़ा है, सामान्य प्रशासन में। मैं समझता हूं कि जो बात मंत्री जी कहेंगे। मेरे कहने का मतलब इतना है कि सामान्य प्रशासन जो था उसने उसकी पूर्णरूपेण जिम्मेदारी ली थी और किया उन्होंने क्या। उन्होंने उस पर खर्च नहीं किया, वह सामान्य प्रशासन पर व्यय बढ़ा दिया।

माननीय मंत्री जी यह देखें कि किस वर्ष में कौन सी ग्रांट सेण्डर हुई और ली कौन सी ग्रांटें गईं। माननीय मंत्री जी ने दिग्दर्शन नहीं किया होगा। मैं करा देता हूं। यह अष्टम प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है। उसमें विशेष रूप से इस पर अपने सुझाव दिए हैं। समिति के मत में अधीक्षण अभियन्ता होने चाहिए। लेकिन सच बात यह है कि उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है श्रमिकों की जो सड़कों पर काम करते थे। उन्होंने यह भी कहा माननीय अधिष्ठाता महोदय कि निर्माण कार्य में विलम्ब करने का कारण जो था वह यह भी था कि क्वालिफाइड कांट्रेक्टर्स का जो सिस्टम था वह समाप्त कर दिया गया और उससे अब कठिनाई उत्पन्न हुई। मैं सीमान्त बातों का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि सीमान्त से इस समय या उस समय जब देश की सुरक्षा खतरे में थी तो हमारे मंत्री जी कितने अनभिज्ञ थे या निरुत्साहित थे, अध्यक्ष उनके पक्ष के होते हैं। यह रिपोर्ट सदन के सामने उन्होंने प्रस्तुत की है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं कि उत्तराखण्ड में कृषि की उन्नति हेतु कोई योजना बनाई जाय। उस समय तो कोई योजना नहीं थी जिससे कि कृषकों को सरकारी सहायता शासन से मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज तक मंत्री जी ने व्यवस्था की है क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, उस समय से लेकर आज तक मंत्री जी भी व्यवस्था करने में असमर्थ रहे हैं। जितनी भी कृषि की उन्नति की व्यवस्था करने की बातें थीं उसमें यह प्रशासन अक्षम रहा है। हद हो गई है। जिन सड़कों का निर्माण हमारे अनुदान से किया गया है उसका बाद में जो सर्वे किया गया तो सड़कों का ही पता नहीं। यह मैं इसलिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कह रहा हूं कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं जिनमें आप के कतिपय अधिकारियों की कमियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। रुपया लैप्स हो गया, एक्सपेंडीचर ग्रान्ट भी हो गया लेकिन उसको निकाला नहीं गया। समझ में नहीं आता कि आपको १ करोड़ १७ लाख रुपये की सूचना देने में क्या दिक्कत थी।

आपने खाद्यान्न और रसद संगठन का भी जिक्र किया है। आपका कहना यह है कि जो संक्रमण एन्ट्री की गयी उसकी समय-समय पर सूचना नहीं मिली इसलिये अतिरिक्त निधि की व्यवस्था नहीं की जा सकी। इसके बारे में बजट मैन्युअल में साफ-साफ प्रावीजन है और इससे साबित होता है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही है। उस लापरवाही के कारण ऐसी ही स्थिति पैदा हो रही है और उसी कारण से उस समय की स्थिति को हम नहीं जान पाते हैं।

अब जैसा कि पहले मैंने कहा, उत्तराखंड की दो-चार समस्याओं की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली समस्या तो यह है कि वहां के अंग्रेजी स्कूलों में जो विद्यार्थी अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ते हैं, हो सकता है उनको आप लाखों रुपया देते हों, उनकी पुस्तकों का आप राष्ट्रीकरण जल्दी कीजिये। अंग्रेजी माध्यम आप एलाउ करना चाहते हैं, आप भले ही करें लेकिन हिन्दी माध्यम के द्वारा जिन महापुरुषों की बातें पढ़ाई जाती हैं, उन्हीं के बारे में ही अंग्रेजी में भी पढ़ाया जाय। यह नहीं होना चाहिये कि अंग्रेजी माध्यम के नाम पर हमारी मान्यतायें ही बदल जायं। अंग्रेजी के ज्ञान की दिशा ही बदल जाय। अगर इस ओर आप ने कम ध्यान दिया तो प्रदेश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ सकती है।

दूसरी समस्या यह है कि ऊंचाइयों पर जो शहर बसे हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री के पास जो छोटा सा स्थान बना है, उनके निवास की ओर आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। बैरिस्टर साहब ने कहा था कि जिन इमारतों को आपने मंजूर किया था उनमें से तिहाई इमारतें अभी नहीं बन पायीं। इसके अलावा जो हजारों वर्ष पहले की इमारतें हैं वह सीमेंट की बोरी की ३०-४० रुपया ढुलाई पड़ जाने के कारण बन नहीं पाती हैं, वह भी टूट रही हैं। आपके जो अन्तिम सीमा के नगर हैं वे धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन नगरों का विकास सरकार को अपने पैसे से करना चाहिये। बद्रीनाथ तो करीब-करीब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, पिछले साल केदारनाथ के भी सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गये। आपके प्रशासकीय अधिकारी वहां जा ही नहीं पाते हैं। आज उनको अपने क्षेत्र का भी पता नहीं है। जब चीनी लोग माना तक चले आते हैं तब आपको पता लगता है और आप गर्व से कहते हैं कि माना में हमने उनको पकड़ लिया। अगर आपका स्थान ३४ मील की दूरी पर है तो कम से कम १७ मील पर तो उनको पकड़ ही लेना चाहिये था। जहां आदमी घुसे वहीं आप को पता लग जाना चाहिये लेकिन आप पता इसलिये नहीं लगा सकते कि आप इस मामले में दुर्लक्ष्य करते हैं। आप चाहते हैं कि पहाड़ पर जो आप के भाई भतीजे सर्विस में फंस गये हैं वह जल्दी से प्लेन्स में आ जायं। वास्तव में आपको वहां पर भय लगता है जहां कि वनों की दृष्टि से, बागान की दृष्टि से और फल उत्पादन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि अपनी अन्तिम सीमा पर हर प्रकार का विकास किया जाय। यह रिकार्ड है कि आप वहां की धनराशि को कभी भी ३३ प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं कर सके। ऐसी स्थिति सीमाक्षेत्र की है, हम चाहते हैं कि सरकार उस पर ध्यान दे।

जैसा कि अभी हमारे माननीय साथी श्री उग्रसेन जी कह रहे थे, एक ओर तो अखबार में निकलता है कि आपका प्रशासन भ्रष्ट है, दूसरी ओर यह पढ़ा कि चीज भ्रष्ट है और तीसरी ओर यह पढ़ा कि पूंजीपतियों का ३१ लाख रुपया माफ कर दिया गया। इससे पता लगता कि आपकी आस्था क्या है। उस आदमी ने इस सूबे में भ्रष्टाचार फैलाया और यहां के मिनिस्टर तक एक रुपया माफ करने के लिए केन्द्र से सिफारिश उनकी करते हैं। जब ऐसे लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार फैलता है जिनको आप माफ करते हैं तो क्या सूबे का सिर लज्जा से नहीं झुक

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

इस कर्ज की लिस्ट में पूंजीपतियों पर करोड़ों रुपए का बकाया है। आडिट आबजेक्शन होते हैं, वित्त विभाग के अफसर लिखा करते हैं लेकिन वह उन को कुछ नहीं समझते, वह मुख्य मन्त्री तक को कुछ नहीं समझते, वह सामने बैठे हैं मैं उनके सामने कह रहा हूं। हमारा जो यह सारा ढांचा है और जिसके जरिये से हम इस शिकन्जे को जकड़ना चाहते हैं वही अब बेकार हो गया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस आर्थिक ढांचे को बेकार न होने दें। मैं फिर हर वर्ष की तरह इस बात को दोहराता हूं और जैसा कि पी० ए० सी० की रिपोर्ट में दोहराया गया है कि पर्सनल लेजर अकाउन्ट नहीं खोलने चाहिये। बहुत से अमाउन्ट ऐसे हैं जिनमें बहुत गड़बड़ है। बहुत से ऐसे ट्रस्ट हैं कि जिनके हिसाब में बहुत गड़बड़ है। इस चीज को बिलकुल डिसकरेज किया जाय। पता नहीं भारत सेवक समाज का सन् १९६३-६४ का रुपया कहां गया। कोई हिसाब कहीं नहीं कि क्या किया गया है। इसी तरह से हिन्दी का मखौल उड़ाया जाता है, कितना ही कहा जाय कि हिन्दी में काम करना चाहिये हम कैसे समझ लें कि मंत्री जी को इसका पता नहीं है वह खुद अंग्रेजी में यहां पत्र पेश करते हैं, जब हम कहते हैं तब हिन्दी आती है। यह इस बात की द्योतक है कि वह हिन्दी की परवाह न करके लापरवाही खुद करते हैं। इन शब्दों के साथ मेरा सदन से आग्रह है कि वह इन मांगों को स्वीकार न करे और सरकार इसको वापस ले।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। इस का कारण यह है कि जब चीन की लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त की बात हमें याद आ रही है कि पहाड़ों पर एक सड़क बनने वाली थी। उधर चीन की ओर से तो वह ६-७ मील बना ली गयी लेकिन भारत की ओर से जो बननी थी उसका बनाना छोड़ दिया गया और एमरजेंसी के पहले ही इत्तिला दे दी गई कि वह सड़क तैयार है लेकिन मौके पर पता चला कि कोई सड़क नहीं बनी है। चीन वाले आसानी से अपनी बनाई सड़क से आ सकते थे और हमारे लिये बहुत बड़ी खाई तैयार की गई थी। उस वक्त पैसा बचाया जा रहा था और मंत्री जी नींद ले रहे थे। तो इसके बारे में हमें दुःख है।

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं आप से पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं कि उनकी हालत इतनी खराब है और मैं समझता हूं कि जब तक माननीय रावत जी हमारे सा० नि० विभाग के मंत्री हैं, तब तक जो रुपया पटेल आयोग में रखा गया है वह भी खर्च नहीं होगा। जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वे भी नीचे के स्तर पर होंगे और सारे का सारा रुपया लैप्स कर दिया जायगा। बजट में हमेशा ३१ मार्च को ही सारा रुपया खर्च किया जाता है। सरकार के यहां से टेलीग्राम पर टेलीग्राम जाते हैं कि इतना रुपया का चेक और आर्डर भेजा जाता है। लेकिन उन विभागों को यह पता नहीं होता कि वे कौन-सा सामान उससे खरीदेंगे। बहुधा यह भी देखा जाता है कि एक सामान को खरीदने के लिए ५-६ विभाग के अधिकारी रुपया लिए बैठे रहते हैं लेकिन कोई नहीं खरीद पाता है। नतीजा यह होता है कि वे सामान नहीं खरीद पाते हैं और रुपया लैप्स हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो अपने प्रदेश के धन का दुरुपयोग हो रहा है उसके ऊपर कोई अंकुश रखा जाय जिससे इस धन की बरबादी न हो सके। देखने में आया है कि विभाग को यह भी मालूम नहीं होता है कि कौन-कौन सा सामान उनके लिए रखा गया है। जहां तक चिकित्सा विभाग का सम्बन्ध है, उसमें करोड़ों रुपया लैप्स हुआ है। जो सामान अस्पतालों के लिए रखा था वह भी नहीं खरीदा जा सका है क्योंकि, उन्हें समय से सामान नहीं मिला है। इन्जीनियरिंग विभाग में भी ऐसा ही हुआ है। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे ही कई विभाग हैं जिनमें ऐसा हुआ है। जितना रुपया आप मार्च के महीने में दान करते हैं यदि आप उन विभागों को पहले से इन्फार्म कर दें तो वे सामान तैयार करा लें और उसे समय से खरीद लें और जो रुपया उन्हें मार्च में मिलता है उसका वे सदुपयोग कर सकें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी चीज यह है कि हम इस करोड़ों रुपये की धनराशि को भूखे नंगे लोगों पर टैक्स लगा कर लेते हैं, जो कि अपने बच्चों के लिए दवाई का भी प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, उनसे लेते हैं और दुःख तब होता है जब उस रुपये का दुरुपयोग करते हैं या सारा रुपया उन अधिकारियों पर खर्च करते हैं जिन पर सरकार का कोई भी अंकुश नहीं है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लगाम को कड़ा करके जो बिना लगाम घोड़े की तरह अधिकारी काम कर रहे हैं, उन्हें ठीक से काम करने को कहा जाय जिससे वे सुचारु रूप से काम कर सकें और जो रुपया इतनी कठिनाई से इकट्ठा होता है, उसका सदुपयोग हो सके।

जहां तक पी० एल० (पर्सनल लेजर) एकाउन्ट की बात है, जिसके माननीय टम्बरेश्वर जी ने कहा है, बन्द करने की कृपा की जाय ताकि यह जो रुपया पी० एल० एकाउन्ट में ट्रान्सफर कर दिया जाता है वह बन्द हो जाय।

पहले हमारे प्रदेश में एक फाइनेन्स कमेटी थी जिसके जरिए ऐसे हर विभाग के खर्च का एस्टीमेट किया जाता था। उसकी वजह से रुपये का कोई दुरुपयोग नहीं होता था। केन्द्र में भी एक ऐसी कमेटी थी। लेकिन जब वहां पर बन्द कर दी गयी तो प्रदेश में जो कमेटी थी वह भी बन्द हो गयी। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस समिति का जो सुचारु रूप से काम कर रही थी, फिर निर्माण हो ताकि फिर से नियंत्रण रह सके और यह जो रुपया सप्लीमेंटरी के रूप में, एक नहीं ३-३ बार मांगा जाता है, न मांगा जाय। यदि ऐसा हो जायगा तो निःसन्देह इससे लाभ होगा और जो रुपया विभागों को दिया जायगा उसका सही रूप से सदुपयोग हो सकेगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो ग्रान्ट्स यहां पर प्रस्तुत हैं, उनके बारे में अभी जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं वे मैंने सुने। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी ग्रान्ट सरकार को लानी पड़ती है। ये ग्रान्ट्स ऐसी हैं जिनका अन्दाज नहीं हो पाता है और अगर हुआ भी तो कितनी हद तक वह है इस की भी कल्पना नहीं है। उस साल का आप सामान्य प्रशासन की बचत देखें तो पायेंगे कि ८ करोड़ के आस पास रु० खर्च होना था उस पर यह १ करोड़ १७ लाख रु० और अतिरिक्त व्यय हुआ। जिन बातों के लिये मांग की गई है उस का उल्लेख इस सदन में अनेक बार हो चुका है। जिन जिलों की सड़क बनाने की बात थी नहीं बन पायी, सेना जाने को थी तो उस को पुल वहां नहीं मिला। ये सारी बातें यहां हो चुकी हैं। इस दुर्व्यवस्था के बारे में सदन को अच्छी तरह ज्ञान है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिये कि ऐसी बातें फिर न हों।

सुरक्षा के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के नाम पर जिला प्रशासन के अधीन रुपया लिया गया वे लोग सम्भवतः सुरक्षा कार्य करने के बारे में पूरी तरह जागरूक नहीं हैं, देश का मनोबल किस प्रकार का है, उसमें किस प्रकार का भाव चाहिये इसका ध्यान नहीं रखते हैं। पहाड़ों के बारे में माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि वहां पर स्कूलों में, मिशन के स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उस में अराष्ट्रीय पुस्तकें पढ़ायी जाती हैं, उन में भिन्न भावना पैदा की जाती है। साथ ही जिला अधिकारी जिला स्तर पर ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनसे जनता का मनोबल गिरता है। सुरक्षा कोष के सम्बन्ध में मालूम हुआ कि जिलाधिकारियों ने जो सम्भवतः कनफर्म नहीं थे या अपनी तरक्की चाहते थे, उन्होंने जनता के मनोबल का ध्यान न रख कर दो रु० प्रति हैंड वसूल किया। सदन में भी बताया गया कि अस्पताल में १० पैसे नहीं लिये जाते हैं। लेकिन हालत यह है कि लिये जाते हैं और गरीब मरीज १० पैसे के अभाव में आप की स्वास्थ्य सेवा से लाभ नहीं उठा पाते हैं।

कल ही ट्रांसमीटर पकड़े जाने की बात सदन में आयी। वह विदेशी कुम्भ मेले में ट्रांसमीटर लिये घूमता रहा, उसका इस्तेमाल करता रहा, कोई लाइसेंस उसने नहीं बनवाया और जब पकड़ा गया तो भारत सरकार ने लाइसेंस बना दिया। स्वामी के पास जो ट्रांस-

[श्री रक्षपाल सिंह]

सीटर पकड़ा गया उसके बारे में कहा गया कि ट्रांसमीटर तीन मील से ज्यादा काम नहीं कर सकते। पर सरकार ने यह नहीं सोचा कि रिसीविंग सेट की पावर कितनी है, कितनी दूर से वे मैसेज रिसीव कर सकते हैं।

सीमा प्रदेश में समुचित सड़कें आज तक नहीं बनी। इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है पी० डब्लू० डी० के इस साल में बजट में सारे प्रदेश में सड़कों के लिए कोई रुपया नहीं रखा गया है, जब कि यह कार्य महत्वपूर्ण है। सरकार को इस बारे में चिन्ता करनी चाहिये और उनके निर्माण का प्रयास करना चाहिये। जिन स्थानों पर पहुंचने के लिये सड़कें नहीं हैं वहां सड़कें बननी चाहिये।

सरकार द्वारा जितने भी गल्ला सम्बन्धी आदेश निकले हैं उनमें देखा जाय तो जो बड़े-बड़े दूकानदार थे उनको लाइसेन्स की अनुमति मिल गयी और उन्होंने मनमाने ढंग से आमदनी की और रसद विभाग पर जो प्राइस मेनटेन करने की जिम्मेदारी है उस उत्तरदायित्व को वह निभा नहीं सका और एक भी स्थान पर निश्चित भाव पर कोई वस्तु नहीं बिक सकी। चावल के सम्बन्ध में जितना रेट फिक्स किया गया दूकानदार ने अधिक दाम दे कर खरीदा और अधिक दाम पर उसे बेचा और खाद्य विभाग का जो गोरखधंधा है वह फर्जी है जो किसी नियंत्रण को नहीं रख पाता है और जो आदेश हैं भी उनसे विशेष प्रकार के लोगों को फायदा होता है, जनता को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है।

सिंचाई के लिये ३ करोड़ ५० लाख की रकम मांगी गयी है। नियम यह है कि जहां सरकारी ट्यूबवेल हैं अथवा नहर है वहां प्राइवेट ट्यूबवेल नहीं लगया जा सकता। फिर परमिशन का सवाल आता है। सारे प्रयास होने के बावजूद निश्चित दिशा में काफी प्रगति नहीं हो पा रही है। ३० साल से सरकारी ट्यूबवेल बेकार पड़ा है तो दूसरा प्राइवेट ट्यूबवेल नहीं लग सकता और सरकारीतंत्र के बीच में सब बात खत्म हो जाती है। रुपये का अगर ठीक से उपयोग नहीं हो पाता है तो रुपया मांगने वाली बात गलत है।

उचन्त लेखे में इधर से उधर लिखने वाली बात है। जब हम को बतलाया जाता है कि आमदनी बढ़ी तो उसे जमा किया हुआ भी दिखाना चाहिये। १९६१-६२ में डेढ़ करोड़ रुपया वास्तव में खर्च नहीं हुआ तो उसे फिर जमा किया हुआ दिखाना चाहिये था। १९६५-६६ में खर्च के लिये बिल पास किया जाता है तो १९६५-६६ और १९६६-६७ की किसी मद में उसे जमा होना चाहिये। जनरल बहस के दौरान बतलाया गया कि २ करोड़ रुपया केन्द्र से अतिरिक्त मिला लेकिन बजट में दिखाया नहीं गया यह गलत है। जब अतिरिक्त मागें की गयीं हैं, अतिरिक्त बचत है वास्तव में खर्चा नहीं हुआ है तो जमा भी सरकार को दिखाना चाहिये।

श्री माथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल दो मदों के बारे में जिक्र करूंगा। इलाहाबाद जिले में मेजा और करछना तहसीलों की हालत बहुत खराब है। प्रधान मन्त्री स्वर्गीय शास्त्री जी का वह क्षेत्र है और सरकार ने बहुत रुपया वहां खर्च किया लेकिन वह सब दलाल खा गये। कोआपरेटिव के अध्यक्ष भी श्री मंगला प्रसाद थे। न जाने कितना रुपया वहां बहाया गया लेकिन नतीजा यह है कि वहां भुखमरी की स्थिति है। जहां तक राशन देने की व्यवस्था है। पंचायती अदालतों द्वारा राशन देने की बात सोची जा रही है। राशन कार्ड जरूर छपाये जायं यह मेरी मांग है वर्ना खुले आम यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले या भ्रष्ट व्यक्तियों को राशन की दूकानें देने की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं फिर एक बार कहूंगा कि मेजा और करछना तहसीलों की तरफ इलाहाबाद में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से दोआबा क्षेत्र के मंझनपुर सिराथू-सिराथू और चायल तहसीलों की हलत भी बहुत खराब है। वहां न कोई सिंचाई की व्यवस्था है और न सड़कों की व्यवस्था है। रामगंगा नहर से टेम्पोरेरी तौर पर साल में

एक बार पानी देने की व्यवस्था है वेकिन वहां न तो नालियों की व्यवस्था है और न गुलों की कोई व्यवस्था है। पानी जब छोड़ा जाता है तो उस पानी को देख कर किसान खामोश कैसे रहे, वह पानी लेने के लिये परेशान हो जाता है। ऐसी परेशानी के जमाने में सैकड़ों किसानों पर सरकार की तरफ से मुकदमे चलाये जा रहे हैं जो कि बिल्कुल अनर्गल और गलत हैं। घर बैठे व्यक्तियों पर, रास्ते चलते हुए आदमियों पर, घर आये मेहमानों पर और दस दस मील से चल कर आये हुए लोगों पर मुकदमे चलाये गये हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह दोआबा क्षेत्र की ओर ध्यान दे और जिन काश्तकारों पर रामगंगा नहर के सम्बन्ध में मुकदमे चलाये गये हैं, उन पर से वह मुकदमा उठा ले जिससे समाज का कल्याण हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का विरोध करता हूं।

*श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश हर माने में पिछड़ा हुआ है और इसीलिये केन्द्रीय सरकार ने पटेल साहब के नेतृत्व में एक स्टडी टीम कायम की ताकि वह पूर्वी जिले के चार जिलों का सर्वे करके एक स्कीम सामने लावे। लेकिन मुझे दुःख है कि चीजें तो हमलोगों के सामने लायी जाती हैं और हम लोग आंख मूंद कर उसका सपोर्ट भी कर देते हैं लेकिन आप भी जानते हैं कि पटेल स्कीम के मुताबिक जो ९१ मील नयी सड़कें गाजीपुर जिले में बननी थीं लेकिन असेम्बली में सवाल करने पर पता लगा कि पी० डब्लू० डी० की तरफ से एक मील भी नयी पक्की सड़क उस स्कीम के मुताबिक नहीं बनायी गयी है। केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो फंड आया उसका भी सही रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ। मुझे बतलाया गया कि नये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रख लिए गये, और इस तरह से सारा रुपया जो सड़कों पर खर्च करने के लिये था उसमें से बहुत सा रुपया इस तरह के प्रशासन के ऊपर ही खर्च कर दिया गया।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि सिंचाई के मामले में गाजीपुर जिले में बहुत ज्यादा आन्दोलन हुआ और खासतौर से जमानिया क्षेत्र में जहां नहर तो है लेकिन नहरों में पानी नहीं है। हाउस में भी जब इस सम्बन्ध में हम लोगों ने आवाज उठाई जमानिया तहसील में पम्पिग सेट कायम किया जाय जिससे वहां पानी मिल सके। इसके लिये हमें आश्वासन भी मिला, अनशन भी हुआ, और गाजीपुर जिले के जिलाधीश ने भी इस बात पर जोर दिया कि जब तक जमानिया में पम्पिग सेट नहीं लगाया जाता तब तक जमीन की सिंचाई ठीक से नहीं हो सकेगी। एक तरफ तो पम्पिग सेट लगाने के लिए जिलाधिकारियों ने तथा दूसरे लोगों ने हमें आश्वासन दिया और दूसरी तरफ सरकार का यह रवैया है।

तीसरी चीज यह कि जिस इलाके से मैं आता हूं वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में मैं सिंचाई मन्त्री से मिला और जिला अधिकारियों से भी बातचीत की, उन्होंने बतलाया कि वहां बालू बहुत है इसलिये ट्यूबवेल कामयाब नहीं हो सकता। मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल बेसिक पर ही एक ट्यूबवेल लगा कर देखा जाय क्योंकि जब मैं अपने दौरे के सिलसिले में उधर गया था। तो मैंने देखा कि हैंड पम्प से कायदे से पानी निकल रहा है, तो फिर यह आशा क्यों न की जाय कि वहां पम्पिग सेट से पानी निकल सकता है जिससे सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हो सकती हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

मैं कह रहा था, आप खुद भी भुक्तभोगी हैं, जिला परिषद् की कमेटियों में ये बातें आयी हैं। इसी तरह पटेल स्टडी टीम की रिपोर्ट में भी इरीगेशन के सिलसिले में पूर्वी जिलों में और खासतौर से गाजीपुर जिले में जो सुविधायें मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पा रही हैं और सरकार की कोई तवज्जह उधर नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार जो वायदा करे कम से कम उसका चौथाई अंश तो पूरा किया करे। मैं मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि गाजीपुर जिले में सिंचाई और सड़कों के बारे में एक ठोस नीति लेकर चलें।

रह गया अस्पताल के बारे में अभी-अभी माननीय दाऊदयाल जी खन्ना जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि वहां के कम्पाउन्डर और सिविल सर्जन के बारे में जांच कराई लेकिन कोई तथ्य नहीं मिला। जब पूछा गया कि किस से जांच कराई तो कहा कि सिविल सर्जन की रिपोर्ट आयी है। सिविल सर्जन और कम्पाउन्डर के खिलाफ रिपोर्ट और सिविल सर्जन से ही जांच कराई जाय, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। माननीय सरजू पांडेय, एम० पी०, माननीय रघुवीर राम, विधायक और जिले के बीसों लोगों ने बयान दिये कि ये बातें सही हैं। डिप्टी डायरेक्टर वहां गये थे। माननीय मंत्री जी को अपने बयान में कहना चाहिये था कि वे वहां गये थे, उनके सामने क्या बयान हुये और क्या नतीजा निकला। मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया।

पुलिस विभाग के बारे में कहना ही क्या है। सभी जानते हैं कि जब से गृह मंत्री जी ने चार्ज लिया है सूबे की पुलिस मनमाना करती है। गाजीपुर जिले में एक कत्ल हुआ। जिस घर में कत्ल हुआ उन्हीं के गोल वालों को पुलिस ने फंसाया। साथी सरजू पांडेय जब गृह मंत्री से मिले तो कहा था कि सी० आई० डी० से जांच कराइये मगर कुछ नहीं। अब नाक से ऊपर पानी चढ़ता जा रहा है। अगर पुलिस का यही रवैया रहा तो सरकारी पक्ष के मिनिस्टर लोग भी बच नहीं सकते। इसलिये मुख्य मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि गाजीपुर जिले में, जिसके नाम पर बहुत कुर्बानियां भी हुई हैं, कोई ठोस स्कीम चलायें।

श्रीमन्, गाजीपुर जिले में गंगा का पक्का पुल गाजीपुर जिले के लिये ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी प्रदेश और बिहार के विकास के लिये बहुत जरूरी है। उसके लिए नक्शे भी पेश किये गये, प्रार्थना-पत्र भी दिये गये। अंग्रेजी जमाने में गाजीपुर जिले में सामरिक दृष्टि से भी बहुत ध्यान दिया जाता था। इसीलिये वहां तीन, तीन हवाई अड्डे बनाये गये थे। द्वितीय महायुद्ध में सेकंड रक्षा पंक्ति के रूप में गाजीपुर जिले को माना गया था। उस जिले से १२ हजार जवान फौज में हैं और यह गर्व की बात है कि वही गाजीपुर जिला है जिसने अब्दुल हमीद को पैदा किया जिसने सारे संसार में अपना नाम किया। वहां १२ हजार पेंशनयाफ्ता फौजी हैं जो कि देश रक्षा के नाम पर किसी वक्त अपनी जां फिशानी करने को तैयार हैं। उस जिले के नाम पर जिसका सामरिक दृष्टि से इतना महत्व है गंगा का पुल राजनीतिक प्रश्न बना दिया गया कि बक्सर में बने या गाजीपुर में। सूबे के पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर ने उसको राजनीति का प्रश्न बना दिया। उन्होंने कहा कि अगर गाजीपुर में बनेगा और बक्सर में नहीं बनेगा तो बलिया के एम० एल० ए० नाराज हो जायंगे। जगजीवनराम जी, ठाकुर करनैल सिंह वहां गये, उनकी रिपोर्ट है, पटेल आयोग की रिपोर्ट है, कि जब तक गंगा का पुल नहीं बनेगा तब तक सही माने में गाजीपुर का विकास नहीं हो सकता है। जब तक गाजीपुर में कोई इंडस्ट्री नहीं खुलती है तब तक जिले का विकास नहीं हो पायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि मैंने सिंचाई के बारे में, गंगा के पुल के बारे में, की इंडस्ट्री के बारे में जो बातें रखी हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान जरूर जाय।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, तीन महीने से अनुदानों और इस बजट पर बहस करते हम थक गये लेकिन आखिरी नतीजे पर यह पहुंचे हैं कि इसमें होता होवाता कुछ नहीं है। फिजूल पैसा दिया जाता है सरकार को। होता कुछ नहीं, १९६२ से मैं देख रहा हूं। यातायात को ही ले लीजिये जिसके माननीय मंत्री बहुत बुजुर्ग हैं। मैंने उस कमेटी में जाकर अपने क्षेत्र के दो स्टेशनों के सुझाव दिये। मंत्री जी ने कई बार कहा कि यह स्टेशन बन जायंगे, शेरगढ़ और छाता। लेकिन शेरगढ़ में पेशाबघर और टट्टी बनवा दी है। लोग मजाक करते हैं कि स्टेशन बना है या पेशाब घर और टट्टी बनी है। यह तो यातायात का ढंग है। एक तो मेरे क्षेत्र में नन्दगांव बिलार का ग्राम है वहां लोक लेखा समिति की उपसमिति भी देख आयी है। १९६१ में निर्माण हुआ था उस भवन का। उसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी बैठ कर काम नहीं कर सकता। सब फट गया। उपसमिति के सदस्यों ने कहा कि आप अपने क्षेत्र में ऐसे भवन को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करें। बार बार इस सरकार से कहा। यहां से पैसा पास होता है उसको ऐसे बरबाद किया जाता है। ठेकेदार लोग खा जाते हैं। सिंचाई विभाग को लीजिये। मेरे क्षेत्र में चकबन्दी के बाद ओसराबन्दी हो रही है। बिना घूस लिए इंजीनियर और डिप्टी साहब बारबन्दी नहीं करते। दो-दो हजार रुपया घूस ली जाती है। हमने सिंचाई मंत्री जी से शिकायत की। जिस इंजीनियर के खिलाफ शिकायतें हैं उसी इंजीनियर को तहकीकात करने के लिए भेज दो।

अब इंजीनियर साहब ने कहा कि चलो जो शिकायत की है उसकी जांच करें। अब आप ही बताइये जिनके विरुद्ध दरख्वास्त दी जाती है, उन्हीं के पास शिकायत पहुंच जाती है, तो कैसे न्याय होगा। हम समझते थे और आशा करते थे कि सुचेता जी मुख्य मंत्री बनी हैं, तो उनके मुख्य मंत्रित्व काल में जनता का कल्याण होगा, प्रशासन अच्छा होगा। वह जब पहले मुख्य मंत्री बनीं तो उन्होंने सवाया लगान किसानों पर से हटा भी लिया लेकिन फिर सुचेता जी उन्हीं नीतियों में परिणत हो गईं और फिर से किसानों पर सवाया लाद दिया। उनके आने पर हमने सोचा था कि एक नई क्रान्ति आएगी, लेकिन वह तो उन्हीं घिसी पिटी सामान्तवादी नीतियों पर चलने लगी हैं।

हमारे यहां जो जिलाधीश की नियुक्ति हुई है जिन्हें फतेहपुर जिले से हमारे ऊपर लाद दिया गया है, वे छोटे-छोटे किसानों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, उनसे उनकी कोई भी सहानुभूति नहीं है, उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, वह किसान को हेय समझते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं औद उन्हें परेशान किया करते हैं। सुचेता जी कहती हैं कि अब तो वह जा रहे हैं दो तीन महीने में, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन दो-तीन महीने में ही वह किसानों की बड़ी दुर्दशा कर डालेंगे, उनका शोषण कर डालेंगे। इसे आप देखें। चुनाव के आठ नौ महीने ही रह गये हैं उसमें देख लीजियेगा। जो आपके एम० एल० सी० के लिये चुनाव लड़ रहे हैं उनकी घिग्घी बंध गयी है, उनके ऊपर तीन बज रहे हैं। शिवप्रसाद गुप्ता और हुकुमसिंह के ऊपर तीन बज रहे हैं। उनके अपने हारने के आसार नजर आ रहे हैं। मुझ से पूछ रहे थे कि आगे का क्या होगा। मैं बताये देता हूं कि कांग्रेस से जनता ऊब गई है, आपसे ऊब गयी है, आपकी पार्टी से और सुचेता जी से बुरी तरह ऊब गई है, अब वह उन्हें हटाकर ही मानेगी।

(व्यवधान)

*श्री हरीसिंह (जिला-मेरठ)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा जनसंघ के नेता जी से कहना चाहता हूं कि यदि वह कहना जानते हैं, तो वे दूसरों की बात भी शान्ति से सुनना पसन्द करें। जनता के उत्थान या उसे सामर्थ्यवान बनाने के लिये आप लोग कुछ नहीं करते हैं क्योंकि एलेक्शन नजदीक आ

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिह]

रहा है। आप सब बातें चुनाव स्टन्ट को नजर रखकर करते हैं। ताऊ जी (श्री लखीसिंह) हमारे चिल्ला रहे हैं, बड़ा समाजवाद का नारा लगा रहे हैं, किन्तु रेशमी कमीज पहने हैं, बढ़िया जैकेट रेशमी पहने हैं,। बूढ़े हैं मोटा कपड़ा पहनते, लेकिन ठांठ से रेशमी पहने हैं और इधर के लोगों को गालियां देते हैं। चाहते हैं कि कालेज भी बनवाये जाएं, अस्पताल भी खुलवाये जाएं, छात्रवृत्ति भी उनको मिले, उनकी तनख्वाह और भत्ते भी बढ़वा दिया जाए, नलकूप और कुवें भी बनवा दिये जायें, सड़कें और पुल भी बनवा दिए जाएं, लेकिन उसके लिये जो पैसा टैक्स रूप में जब जमा किया जाता है तब चिल्लाते हैं और उसका विरोध करते हैं। बताइये बिना टैक्स के पैसा आए, यह सब कार्य कैसे सम्भव हो सकता है ?

मैं उधर के नेताओं से कहना चाहता हूं कि स्वप्न में भी आने वाले जीवन में आपकी सरकार बनने वाली नहीं है, उसकी कोई आप आशा न करें। यह सोशलिस्ट के नेता और जनसंघ के नेता भी सुन लें कि यह होने वाला नहीं है, क्योंकि वह जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। यदि उनकी सरकार हो जाए, तो जो यहां के छोटे कर्मचारी हैं क्या उनकी जो वेतन और भत्ते की मांग है, उसे आप मान लेंगे, आप भी नहीं मानेंगे, उसे ठुकरा देंगे। जब एम० एल० एज० के वेतन वृद्धि का सवाल आया तो जनसंघ के नेता और दूसरी पार्टियों ने उसका बड़ा विरोध किया, लेकिन जब मिलने लगा तब सब से पहले इन्हीं लोगों ने बढ़कर उसे खुशी खुशी ले लिया। आप सातवें आठवें क्लास में रेल में क्यों नहीं सफर करते हैं। यह जो कुछ मथुरा के साहब हैं, मथुरा में पूजा पाठ करके मन्दिरों में घंटे हिलाया करते थे, वे भी अब फर्स्ट क्लास में शान से यात्रा करने लगे हैं। तनख्वाह कम लीजिये, भत्ता कम लीजिये तब कहिये कि जनता पर टैक्स नहीं लिया जाय। लेकिन जब आज सिंचाई की अन्नोत्पादन की आवश्यकता है तब कहना कि टैक्स न लगाओ बिल्कुल अनुचित और गलत है। हां, यह कहिये कि बड़े-बड़े सरमायेदारों, जिनमें विरोधी दल के सदस्य अधिक हैं उन पर पहले टैक्स लिया जाय।

श्री शम्भेश्वर प्रसाद (जिला—सीतापुर)—

हम तैयार हैं, लेकिन भाई हरीसिंह जी, हम दें और रामगोपाल गुप्त और रामरतन गुप्त का माफ किया जाय, आप उसका फैसला खुद कर दीजिये।

श्री हरीसिंह—

तो मैं कह रहा था कि जो बातें कही जाती हैं उनका कोई मतलब होना चाहिये। सरकार की कमियां हैं उनको अवश्य टोका कीजिये लेकिन जनहित में सरकार जो अच्छे काम करती है उनको भी तो कहिये। अब अगर टैक्स ही न लगाया जावे तो जो काम जनहित और उत्थान के सरकार करना चाहती है वह कैसे हो। आप इस तरह से जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव निकट है और यह चीज आपकी चलने वाली नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। श्री झारखंडे राय, आप दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं दो मिनट का सदुपयोग केवल एक विषय पर ही अपने को सीमित रखकर करूंगा। वह विषय है कि लगभग १२ सौ मार्क्सवादी पूरे देश में जेलों में बन्द हैं और हमारे प्रदेश में ८० के करीब ऐसे लोग हैं जिन पर बिना मुकदमा चलाये गये ही उन्हें बन्द रखा जा रहा है। उनकी हालत बहुत बुरी है। मैं चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी होतीं और हमारी बातें स्वयं सुनतीं लेकिन मुझे आशा है कि मेरी बात उन तक पहुंच जायगी उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको पारिवारिक भत्ता तक नहीं मिलता है और उनमें से बहुत से सख्त बीमार भी हैं। उनकी अवस्था गिर रही है। कहीं-कहीं कोई-कोई तो ७० वर्ष तक के हो चुके हैं।

मैं चाहता हूं कि डी० आई० आर० को समाप्त किया जाय, आपातकालीन स्थिति को जिसकी ताशकन्द समझौते के बाद आवश्यकता नहीं है समाप्त किया जाय और जो आपातकाल लागू होने पर सन्देह में गिरफ्तार किये गये हैं पूरे देश के अन्दर, और प्रदेश में भी, उनको रिहा किया जाय और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उनमें सबको बिना अपवाद के पारिवारिक भत्ता दिया जाय। उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ढ़ाई ढ़ाई और तीन तीन सौ रुपये मासिक पैदा करते थे आज उनको ३०, ३५ और ५० रुपये तक भत्ता दिया गया है। जो इस महंगाई के जमाने में नहीं के बराबर है। १३५ रुपये तक हाईयेस्ट पारिवारिक भत्ता है। ८० में मुश्किल से २० आदमियों को ही पारिवारिक भत्ता मिल रहा है। ऐसी कुत्सित भावना का व्यवहार नहीं होना चाहिये, मानवता के आधार पर उनके साथ व्यवहार होना चाहिये। बहुत से साथी जो उधर बैठे हुये हैं उनमें बहुत से हमारे साथ फतेहगढ़, आगरा, बरेली और वाराणसी जेल देवली नजरबन्द कैम्प में रह चुके हैं। जो सुविधायें अंग्रेजों के जमाने में हमको मिलती थीं आज स्वदेशी सरकार के जमाने में वे लोग उनसे भी वंचित हैं। वे पोलिटिकल लोग हैं, हमारे विचारों में उनमें मतभेद है यह सही है, रूलिंग पार्टी से विचारों से मतभेद है लेकिन तब भी उनके साथ अमानुषिक व्यवहार तो नहीं होना चाहिये। उनके साथ ऐसा अमानुषिक व्यवहार किया जाता है जो बन्द होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)--

अधिष्ठाता महोदय, यह सही है कि हर वर्ष अतिरिक्त अनुदान पेश होते रहे हैं। मगर अगर इन अनुदानों का सही उपयोग हो और जनता के हित में पैसे को खर्च किया जाय तो हम इससे भी अधिक अनुदानों की स्वीकृति दे सकते हैं और हमें कोई एतराज न होगा। पर ऐसा होता नहीं है। पैसे का बड़ा दुरुपयोग होता है। मैं आपके सामने सतर्कता आयोग के १९६४-६५ के प्रतिवेदन से यह सिद्ध करूंगा कि आज सरकार के हर विभाग में, भ्रष्टाचार व्याप्त है और जब तक वह दूर नहीं होगा प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता।

श्रीमन्, इस रिपोर्ट में दिया गया है कि इस सम्बन्ध में ३७० शिकायती पत्र आयोग को जांच के लिये भेजे गये जिनमें ५८ गुमनाम पत्र भी हैं। इनमें राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ जो केसेज भेजे गये हैं वे भिन्न-भिन्न विभागों के इस प्रकार हैं--राजस्व विभाग में १२, उद्योग में १४, चकबन्दी में ११, स्वायत्त शासन में २, सार्वजनिक निर्माण विभाग में १२, सिंचाई में ७, विद्युत् में ६, पशुपालन में ९, नागरिक सुरक्षा में १, नियोजन एवं सामुदायिक विकास में ८, खाद्य तथा रसद में १३, चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य में २१, शिक्षा में १५, पुलिस में ४, परिवहन में ६, पंचायतराज में १, राजकोष में १, सिंकी-कर में १२, स्थानीय निधिपरीक्षक में १, निबन्धन में ६, वन में ४, गन्ना तथा चीनी में ३, न्याय में १५, सहकारिता में ३, सूचना में २, श्रम में ४, आबकारी में १, नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग में १, सचिवालय में ४, कारागार में ४। इस तरह से २०८ राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ मामले गये और १६२ मामले इन्हीं सब विभागों के अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ गये। कुल ३७० मामले गये। इन आंकड़ों से, जो सरकारी हैं, यह सिद्ध होता है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार है। यह शिकायती पत्र तरह-तरह के भ्रष्टाचार एवं दुराचरण के सम्बन्ध में थे। आयोग ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने तथा कुछ कागजात मंगाने के लिये सरकार से स्वीकृति मांगी, मगर मेरी जानकारी यह है कि बीसों मामलों में सरकार ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया क्योंकि उनमें इस सरकार का कोई दायां नेत्र है, कोई बांया नेत्र है, सरकार सोचती है कि अगर उनके खिलाफ कोई बात साबित हुई तो उससे उसकी बड़ी बदनामी होगी।

मान्यवर, मैं कहता हूं कि जिस मकान में आप रहते हों, अगर वह स्वच्छ न होगा तो उससे न तो आप ही रह सकेंगे और न उसमें आप अपने मेहमानों को ही बिठा सकेंगे। इसी तरह से

[श्री लखपत राम शर्मा]

जब तक इन विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा, तब तक जनता के पैसे का दुरुपयोग होता रहेगा और प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अपने इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं चलेंगे, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन नहीं लेंगे, तब तक प्रदेश का भला नहीं होगा। लोगों को सी० आई० डी० में विश्वास है, मगर एक-एक इन्स्पेक्टर के पास १००-१००, २००-२०० केसेज पड़े रहते हैं। आप उस विभाग में ईमानदार आदमियों को रखिये और उनके पास सिफारिश न भेजिये, सिफारिश और पक्षपात को रोकिये, तभी प्रदेश का भला होगा। देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार में यू० पी० ही सरकारी आंकड़ों में आगे है।

श्री जयराम वर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, यह अतिरिक्त अनुदान सन् ६२-६३ के लिये धनराशि और प्रभूत विनियोग के लिये व्यवस्थित धनराशि से अधिक खर्चे के विनियमन के लिये लाया गया है। कुल अतिरिक्त खर्च इस साल का ५,४७,८३,४१५ रुपये है। माननीय सदस्यों ने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिनका इस साल और इस साल से अधिक व्यय से जिसके विनियमन के लिये मांग लाई गई है कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये उन सबके बारे में मेरे लिये कुछ कहना शायद ठीक नहीं होगा। यद्यपि यह धनराशि जिसकी विनियमन के लिये मांग की गई है एक बड़ी धनराशि अवश्य लगती है लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जो कि सचमुच वास्तविक खर्च नहीं है। इसमें से दो अनुदान ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य और ४९--सिंचाई के निर्माण-कार्यों में पूंजीगत लागत, के अन्तर्गत ४२९ लाख ६७ हजार रुपये का अधिक व्यय है। यह व्यय वास्तविक नहीं है बल्कि बजेटिंग के तरीके में परिवर्तन की वजह से ऐसा हुआ है। पहिले नेट बजेटिंग का तरीका था और ५९-६० से ग्रास बजेटिंग का तरीका शुरू किया गया है। उसकी वजह से यह धनराशि इस साल में खर्च के अतिरिक्त दिखाई पड़ती है। यद्यपि यह धनराशि सचमुच खर्च में है नहीं।

इसके अलावा अनुदान संख्या ११ में जिसकी अभी चर्चा की गई ११७ लाख ७२ हजार रुपये का खर्चा है वही सचमुच वास्तविक खर्चा है। उसमें ज्यादातर हुआ है। माननीय सदस्य जानते ही हैं जब चीन का आक्रमण इस देश में हुआ और देश के लिये काफी खतरा पैदा हो गया तो सुरक्षा कार्यों को एक बड़ी उच्च प्राथमिकता दी गई और सीमान्त सड़कों को जो युद्ध की दृष्टि से आवश्यक थीं तेजी से बढ़ाने के लिये जो साधन हमारे पास उपलब्ध थे वे सारे वहां पर केन्द्रित किये गये और इस बात का प्रयास किया गया कि यथाशक्ति सड़कें तेजी से बनाई जायं। उस साल वहां पर सड़कों के लिये २०५ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई थी लेकिन चूंकि जितने हमारे साधन उपलब्ध थे वे सारे केन्द्रित किये गये और सड़कों को तेजी से बढ़ाने का काम शुरू किया गया, उस साल खर्चा ३३० लाख रुपये का हुआ। इस तरह से १२५ लाख ७६ हजार रुपये का खर्चा ज्यादा हो गया। चूंकि वहां सीमान्त क्षेत्र का बड़ा दुरुह मार्ग है। जिन अधिकारियों के जिम्मे यह काम सौंपा गया था वह ठीक-ठीक उस समय तक जब कि द्वितीय अनुपूरक अनुदान सदन के सामने लाये गये, कितना रुपया उनको और चाहिये इसके बारे में कोई अनुमान नहीं दे सके और साल के बाद ही यह पता लग सका कि कितना उस साल ज्यादा खर्चा हो गया। इसलिये जो व्यय उस साल ज्यादा हो गया उस साल के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदानों के द्वारा उसकी व्यवस्था नहीं की गई और अतिरिक्त अनुदानों के द्वारा माननीय सदन के सामने स्वीकृति के लिये यह मांग पेश की गई। इसमें थोड़ा सा खर्चा और ग्रान्ट नं० १६ के अन्तर्गत है जिसमें कि ४२,०२४ रुपये का खर्च है। यह भी ६१-६२ का है।

यह महालेखाकार ने बुक एडजस्टमेंट के द्वारा ६२-६३ में किया। चूंकि समय के अन्दर खर्च की जानकारी नहीं हो सकी, साल के खत्म होने पर बाद में हुई, इसलिये उसकी अतिरिक्त अनुदान के जरिये स्वीकृति लेना जरूरी हो गया। ५ करोड़ ४७ लाख ८३ हजार में से ४ करोड़

२९ लाख के करीब का अधिक व्यय ऐसा है जो अवास्तविक था और वह महज बजट के तरीके में तब्दीली की वजह से सामने आया।

कुछ माननीय सदस्यों को यह शिकायत है कि इतनी देर से अतिरिक्त अनुदान सदन के सामने क्यों लाया गया। लेकिन उनको यह तो ज्ञात है ही कि पहले जो खर्चा होता है उसका आडिट होता है, उसके बाद आडिटर-जनरल जो भारत भर के हैं, उनके अधिकारियों द्वारा सभी विनियोग लेखों को कम्पाइल किया जाता है। उसके बाद वह लोक लेखा समिति के सामने जाता है। जब वह देख लेती है कि इसमें कोई रुपया वेस्ट नहीं किया गया है और जब उसकी सिफारिश हो जाती है कि माननीय सदन से इसकी स्वीकृति ली जाय, तब स्वीकृति के लिये माननीय सदन के सामने लाया जाता है। इसलिये देर हो जाती है। जितनी जल्दी माननीय सदस्य चाहते हैं कि हो जाय उतनी जल्दी करना सम्भव नहीं है।

(इस समय ३ बजकर ४९ मिनट पर, उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

कुछ माननीय सदस्यो को चारों तरफ भ्रष्टाचार ही दिखाई पड़ता है। अगर कोई एक विशेष रंग का चश्मा लगा ले, यदि कोई पीले रंग का चश्मा लगा ले तो उसे सारी दुनिया उसी रंग की दिखाई देने लगती है। लोगों की आंखों में जब पीलिया का रोग हो जाता है तो उन्हें संसार की हर चीज पीली दीखने लगती है। वास्तविकता से वे बहुत दूर हो जाते हैं। इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार बिलकुल नहीं है। भ्रष्टाचार है लेकिन जितना है अगर उसका बहुत ज्यादा प्रचार किया जाय तो उससे भ्रष्टाचार को रोकने या कम करने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, बल्कि जिन लोगों को आशा होती भी है कि हम भ्रष्टाचार को ठीक कर सकेंगे उनमें निराशा व्याप्त हो जायगी और इससे देश का हित होने वाला नहीं है, अहित होगा। भ्रष्टाचार का केवल प्रचार करने से काम चलनेवाला नहीं है। सबका सहयोग मिलने से ही उसे रोका जा सकता है। कायदे-कानूनों की कमियों को दूर किया जाय और सरकारी कर्मचारियों को सबको अच्छा बनाया जाय। यह सब के सहयोग से ही हो सकता है। केवल प्रचार करने से तो प्रदेश का नुकसान ही होगा। लाभ होने वाला नहीं है।

श्रीमान् जी, बहुत सी बातें ऐसी कही गई जिनके लिये मैंने पहले ही निवेदन किया कि इस अनुदान से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और न ६२-६३ से कोई ताल्लुक है। बहुत सी बातें दूसरे सालों के बारे में कही गईं जिनका कोई उल्लेख इस अतिरिक्त अनुदान में नहीं है। उनके लिये मेरा कुछ कहना शायद न तो सम्भव है और न उचित ही है। ऐसी बातें तो अकसर कह दी जाया करती हैं। क्या उनमें हो सकता है और क्या हम सहयोग दे सकते हैं, इस बात की तरफ ध्यान अच्छी तरह से नहीं दिया जा सकता। इसलिये वही चीजें बार-बार आती रहती हैं और माननीय सदस्यों को सन्तोष नहीं हो पाता है कि इसमें हमने क्या किया और क्या परिणाम निकला।

जहां तक लोक लेखा समिति की बात है, जिन बातों की तरफ वह ध्यान आकर्षित करती है, वित्त विभाग उनकी ओर और दूसरे विभागों का ध्यान दिलाता रहता है और इस बात की कोशिश करता है कि उस तरह की कमियां आगे न हों। लेकिन कभी कोई गलती नहीं होगी, यह कहना मुश्किल है। गलती हो ही जाती है। यह कि कोई गलती जान-बूझ कर की जाती है, गलती करने से कोई लाभ होगा, यह किसी की मंशा नहीं है।

श्री कमला सिंह यादव--

फाइनेन्स कमेटी के बारे में जरा बतला दीजिये।

श्री जयराम वर्मा--

६२-६३ के अतिरिक्त अनुदान के संबंध में उसका कहीं जिक्र नहीं है।

तो इन शब्दों के साथ में माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

१९६२-६३ के अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान---अनुदान संख्या ११---आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११---आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १,१७,७२,२४२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६---खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६---खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत ४३,१२४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम नहीं है और यह सब अवैधानिक काम हो रहा है। जब आपने अनुदानों की स्वीकृति के बारे में हां कहा तो उस समय सदन में कोरम नहीं था। दूसरी आइटम के समय भी कोरम नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष---

जब तक नोटिस नहीं लिया गया तब तक जो हो गया सो हो गया। जब तक कोरम का किसी तरफ से या चेयर की तरफ से एतराज न हो तब तक कोरम माना जायगा। अभी दो ही पास हुए हैं।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

अनुदान संख्या ३१---राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ७८,८२,३७४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९---सिंचाई निर्माण कार्योंपर पूंजीगत लागत

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ३,५०,८५, ५४४ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६

वित्त उपमंत्री (श्री जय राम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ की बढतियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

मैं, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ क्षण उपरान्त)

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश, विनियोग (१९६२-६३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ पर बिचार किया जाय।

श्रीमन्, माननीय सदन ने ६२–६३ की स्वीकृति धनराशियों से अधिक व्यय की जिन सेवाओं के लिये अभी स्वीकृति प्रदान की है यह धनराशि इन्हीं सेवाओं के लिये संहत निधि से निकाल कर खर्च की गयी विनियोग में लायी गयी समझी जायं, इसी के लिये यह विधेयक लाया गया है। चूंकि माननीय सदन ने बिचार करके अधिक व्यय को स्वीकार कर लिया है इसलिये माननीय सदन यह अधिकार प्रदान करेगा ही कि उतनी धनराशि ६२–६३ की संहत निधि से निकाल कर काम में लायी गयी समझी जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से आशा करता हूं कि वह स्वीकृति प्रदान करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ पर बिचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २,३ और अनुसूची

१९६२–६३ की कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से ५, ४७, ८३, ४१५ रुपये का दिया जाना

२—उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग, ५,४७,८३,४१५ रुपये (पांच करोड़ सैंतालीस लाख तिरासी हजार चार सौ पन्द्रह रुपया) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

विनियोग

३—इस अधिनियम के अधीन उत्तरप्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती — स्वीकृत भाग	बढ़ती — राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		०	रु०	रु०
	राजस्व व्यय—			
११	आयुक्त और जिला प्रशासन ..	१,१७,७२,२४२	..	१,१७,७२,२४२
१६	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	४३,१२४	..	४३,१२४
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	..	१३१	१३१
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	७८,८२,३७४	..	७८,८२,३७४
	योग, राजस्व व्यय ..	१,९६,९७,७४०	१३१	१,९६,९७,८७१
	पूंजी व्यय			
४९	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत	३,५०,८५,५४४	..	३,५०,८५,५४४
	योग, पूंजी व्यय ..	३,५०,८५,५४४	..	३,५०,८५,५४४
	बड़ा योग ..	५,४७,८३,२८४	१३१	५,४७,८३,४१५

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक का अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना १ शीर्षक तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६

३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिये राज्य की संहृत निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्राविशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६†

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राविंशियल स्माल काज कोर्टस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर बिचार किया जाय।

माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ अर्से पहले यह कानून कर दिया गया था कि जो खफीफा के मुकदमें हैं उनकी निगरानी बजाय इसके कि हाई कोर्ट में हो वह जिला जज के यहां हो सकती है लेकिन उस वक्त उसमें कोई म्याद मुकर्रर नहीं हुई थी। यह निगरानी तो अब भी वहां होती है लेकिन जिस तरह से कि सभी मुकदमों के लिये म्याद होती कि इतने दिन के अन्दर निगरानी हो जाय इसमें वह नहीं थी इसलिये यह जरुरत महसूस हुई कि कोई म्याद मुकर्रर की जायं। इसी महदूद और मकसूस गर्ज के लिये यह संशोधन विधेयक आपके सामने लाया गया है और इसके लिये जो म्याद इसमें मुकर्रर की गई है वह ३० दिन की है। कानून से वाकिफ सदस्य जानते होंगे कि अपील की भी म्याद ३० दिन की होती है और उसी तरह से निगरानी की भी म्याद ३० दिन की रखी गई है। इसी वास्ते यह विधेयक आपके सामने है इसके अलावा और कोई गर्ज इसकी नहीं है।

इसमें एक दफा और रखी गई है जिसमें हमने सोचा कि जब हम यह कानून बना रहे हैं तो मुमकिन है कि कुछ लोग ऐसे हों कि जिनके ३० दिन गुजर गये हों या अभी न गुजरे हों तो इस खयाल से कि अगर वह लोग भी निगरानी का इरादा रखते हों तो उनको भी हक रहेगा। दफा ३ में यह है कि अगर ६० दिन में डिग्री हुई है और उसमें निगरानी या अपील नहीं की गई है तो उनको भी ३० दिन का वक्त मिल जायगा कि वह कानून के पास होने के ३० दिन के अन्दर निगरानी कराना चाहें तो करा लें। किसी को कोई परेशानी या घबराहट नहीं होनी चाहिये कि अगर किसी ने अपील की म्याद न होने की वजह से अपील नहीं की है तो वह भी निगरानी चाहे तो करा सकते हैं। सिर्फ इतनी सी इसकी गर्ज थी और जो तरमीम इसमें पेश की गई है वह शायद किसी गलत फहमी की बिना पर की गई है। इसलिये मैं इसको सदन के सामने पेश करता हूं और उम्मीद है कि सदन इसे मंजूर करेगा।

श्री कृष्णा नन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कोर्ट खुद रिवीजन सुओमोटो करेगा या यह ३० दिन की मीयाद प्रार्थना पत्र निगरानी के लिये है?

---

†२८ मार्च, १९६६ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सैयद अली जहीर---

निगरानी चाहे कोर्ट खुद करे या प्रार्थना पत्र पर की जाय सब के लिये ३० दिन की मियाद रखी गई है। अदालत चाहे खुद अपने इल्म से करे या दरख्वास्त पर करे दोनों के लिये ३० दिन का प्राविजन है।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तव करता हूं कि प्रांविशियल स्माल काज कोर्ट स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

वैसे तो यह बहुत छोटा सा विधेयक है और जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि मियाद न रहने से जो कमी थी उसको पूरा करने के लिये यह बिल लाया है और इसका स्वागत भी हुआ है।

श्रीमन्, सरकार की यह आदत रही है कि जिस बात के लिये विशेष बात की मांग की गयी तो उसके लिये संशोधन ला दिया और फिर अगर दूसरी मांग हो गयी तो दूसरा संशोधन ला दिया। श्रीमन्, एक ही बात के लिये ३--३ बार एक ही साल में संशोधन कर देते हैं। हमारी विधान सभा में बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्हें दीवानी मुकदमों में काम करना पड़ता है तो उन्हें जो कठिनाई अनुभव होती है या अपनी प्रक्रिया चलाने में कठिनाई होती है उनको ठीक कराने का एक अवसर मिल जायगा यदि इस बिल को आप प्रवर समिति में भेज देंगे ताकि वहां पर इसमें पूर्णरूप से बिचार हो सके।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि यद्यपि इस सदन का यह निर्णय है कि जितने संशोधन विधेयक यहां पर रखे गये हैं वे अंग्रेजी का अनुवाद होकर हों। हमने जो संशोधन रखे हैं वे भी हिन्दी में ही रखे हैं लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे बिल भी रखे हैं जिनमें अंग्रेजी के नाम जो हैं उनको ज्यों का त्यों रखा है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार चाहे तो उन अंग्रेजी के नामों को भी हटा सकती है। लेकिन उधर से यह ही कहा जायगा कि चूंकि यह पुराना विधेयक है इसलिये इसमें नहीं बदला जा सकता है। हमारे इसी सदन में हमने एक कानून लाकर भूमि विधि विधेयक और उसमें चकबन्दी कानून और लैन्ड रिफार्म को ले लिया। इसमें हमने ४ कानूनों में संशोध न कर दिया। तो इस प्रकार सरकार ने जो इन शब्दों का प्रयोग किया है वह उचित नहीं है। जैसे धारा २ के अन्तर्गत इसमें व्यवस्था की गयी है उसी के अनुरुप हम अंग्रेजी के बिल में भी संशोधन कर सकते हैं और हम हिन्दी के रुप में भी ले सकते हैं परन्तु ऐसा नहीं किया है इसके संबंध में कई लोगों ने ९० दिन की मियाद बढ़ाने के लिये भी कहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या नाम भी बदल सकते हैं। ट्रान्सलेशन तो हो सकता है।

श्री रक्षपाल सिंह---

धारा २ में जितनी भाषा लिखी गयी है उसी के अनुसार इसका नाम भी बदल दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

पहले ऐक्ट का नाम तो नहीं बदला जा सकता है।

श्री रक्षपाल सिंह---

श्रीमन्, ऐसा हो सकता है। सन् १९५७ में यही कानून पास हुआ था प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स तो उसमें जो संशोधन करके इसमें किया गया है वह उचित नहीं है। चूंकि समय कम है और कई माननीय सदस्यों को इस पर अपने बिचार व्यक्त करने हैं मैं अधिक समय नहीं लेता हूं।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अभी जब माननीय रक्षपाल सिंह जी हिन्दी नामकरण के बारे में कह रहे थे तो श्रीमन् ने जो यह कहा कि नहीं हिन्दी का नामकरण नहीं हो सकता, मुझे आश्चर्य हुआ। श्रीमन् को याद होगा कि यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी डयूटी ऐक्ट जो अंग्रेजी में है उसका नाम हिन्दी में उत्तर प्रदेश विद्युत कर विधेयक रखा गया। बहुत सी मिसाल हैं, बहुत से ऐक्ट हैं जिनका अंग्रेजी में नाम था लेकिन हिन्दी में बिल्स आये हैं और पहले पहल भी जो मूल अधिनियम यहां आये हैं उसके बाद चाहे संशोधन के रुप में, चाहे किसी तरीके पर बराबर यह देखा गया कि हिन्दी का नामकरण हुआ है। इसलिये माननीय रक्षपाल सिंह जी का जो कहना है हिन्दी नाम दिया जाय, और जैसा कि डाक्टर रघुनाथ सिंह का संशोधन भी है कि इस विधेयक का नाम राज्य लघुवाद न्यायालय विधेयक रख दिया जाय तो ज्यादा सुन्दर होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

जिस ऐक्ट में संशोधन कर रहे हैं उसका नाम कैसे बदल जायगा ?

श्री कमला सिंह यादव---

अगर इसमें आप अमेंडमेन्ट कर सकते हैं तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं जो मूल अधिनियम है उसमें भी आप बदल सकते हैं क्योंकि किसी सेक्शन में संशोधन कर सकते हैं तो वह भी कर सकते हैं। लेकिन बगैर सरकार की राय के हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष---

मेजोरिटी का सवाल नहीं है। मूल अधिनियम में संशोधन करना तो उस ऐक्ट का संशोधन ही नहीं होगा जब तक आप उसका नाम नहीं रखेंगे।

श्री कमला सिंह यादव---

अगर स्वीकृति से हो जाय तो कोई बात नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट जिसको अब हम लघुवाद न्यायालय कहेंगे उसी से संबोधित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

उस ऐक्ट का नाम जब तक नहीं रखेंगे कि उसमें संशोधन कर दिया जाय तब तक कैसे होगा ?

श्री कमला सिंह यादव---

इसमें खामी है क्योंकि धारा २५ में खुद ही लघुवाद न्यायालय दिया है। लघुवाद न्यायालय के निर्णय के संबध में यह कानून बनाया जा रहा है। तो न्याय मंत्री का कर्तव्य था कि वह पहले ही इसको भी संशोधन कर दे। उस रुप में इस विधेयक का नाम राज्य लघुवाद न्यायालय विधेयक रखा जाता है। यह तो उनकी ड्यूटी है। अगर अब भी सुधार हो जाय तो कोई बात नहीं है।

[श्री कमलासिंह यादव]

जहां तक इस विधेयक का संबंध है माननीय मंत्री जी ने दो मिनट में उड़ा दिया कि बहुत छोटा विधेयक है और तीस दिन की मियाद का सवाल है। मुझे आश्चर्य हुआ जब न्याय मंत्री के मुह से ऐसे शब्द निकले। और फिर जब माननीय कृष्णानन्द राय ने जो स्पष्टीकरण पूछा मंत्री जी से तो उन्होंने कह दिया कि स्वतः का जो सवाल है सुओमोटो अगर कोर्ट चाहे तो ला को रिवाइज कर सकता है उसमें वह अमेन्डमेन्ट या आदेश दे सकता है।

श्री सैयद अली जहीर---

मैं जरा सफाई कर दूं। मुझ से गलती हो गई है उसको मैं तसलीम करता हूं। इसमें अल्फाज इस तरह से हैं अंग्रेजी में ---

"The District Judge for the purpose of satisfying himself that a decree or order made in any case decided by a Court of Small Cauisses was according to law, may on his own motion, or on the application of an aggrieved party, made within 30 days from the date of sudh decree or order...."

तीस दिन का टाइम है जब कोई आदमी दरख्वास्त दे निगरानी के लिये। खुद अदालत के लिये इसमें कोई टाइम नहीं है।

श्री कमला सिंह यादव---

श्रीमन्, जब कानून बनाया जा रहा हो और कानून के पंडित ऐसा इंटरप्रीटेशन दें तो क्या हालत होगी? हम सोचते थे कि मंत्री जी हिन्दी पढ़ेंगे तो हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि अब तक मंत्री जी को हिन्दी की जानकारी हुई या नहीं। अभी तो हम केरल वालों को कहते हैं कि हिन्दी पढ़ी। लेकिन न्याय मंत्री खुद ही अभी तक उसको पढ़ नहीं पाये ह। अगर हम इस विधेयक के अंग्रेजी और हिन्दी के वर्शन को पढ़ें तो ड्राफ्टिंग की इतनी जबरदस्त गलती पायेंगे जो क्षम्य नहीं है। अब इस सदन तथा प्रदेश की भाषा हिन्दी है किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि विधेयक पहले अंग्रेजी में बनाया जाता है और उसका लिटरल ट्रांसलेशन हिन्दी में किया जाता है जिससे उसके मानने में गलतफहमी हो जाती है। सेक्शन दो को पढ़ा जाय हिन्दी में दिया हुआ है "जिला जज अपना समाधान करे के लिए" और अंग्रेजी में है "तो सेटिसफाई हिमसेल्फ"। तो कितनी दोषपूर्ण हिन्दी में ट्रांसलेशन है। अक्सर देखा जाता है कि सेक्रेटेरिएट में जो ड्राफ्ट्समैन हैं वे इतनी क्लिष्ट हिन्दी में ट्रांसलेशन करते हैं कि अंग्रेजी का जब तक ऐक्ट न हो उसके समझने में कठिनाई होती है। लिहाजा मंत्री जी अपने विभाग में थोड़ा परिवर्तन करें और सिद्धांत यह होना चाहिए कि पहले विधेयक हिन्दी में बने और उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हो।

ड्राफ्टिंग ठीक न होने से भी बड़ी गड़बड़ी हो रही है और अदालतों से बराबर स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं। जब म्युसिसिपैलिटीज एण्ड टाउन एरिया ऐक्ट बना उसमें ड्राफ्टिंग की गलती थी जिसकी ओर मंत्री जी का ध्यान मैंने आकर्षित किया लेकिन जिद्द की वजह से उसे नहीं माना बाद में वही अमेंडमेंट उनको उन्हीं शब्दों में दूसरे रूप में लाना पड़ा। न जाने कितना रुपया पब्लिक का उस पर खर्च हुआ। जहां तक ड्राफ्टिंग का संबंध है इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है "इस राज्य में जिला जजों को लघुवाद न्यायालयों की डिक्रियों तथा आदेशों के संबंध में पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है। किन्तु तदर्थ प्रार्थना-पत्र देने के लिए कोई अवधि नियत नहीं की गई है। निश्चितता तथा कार्य प्रणाली की एकरूपता के हित में यह वांछनीय समझा गया है कि उस डिक्री या आदेश के जिसका पुनरीक्षण करना हो, दिनांक से तीस दिन की एक

निर्दिष्ट अवधि नियत की जाय। इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की धारा २५ को संशोधित करने का प्रस्ताव है।" इसका मतलब यह हुआ कि जो मूल अधिनियम है उसकी एक धारा का यहां संशोधन होने जा रहा है, सिर्फ धारा २५ का। लेकिन जब ऐक्ट को पढ़ा जाय तो जो कानून दिया गया है २५ को वही स्थान उसको मिलना चाहिए। लेकिन जो खण्ड ३ का न० (१) और (२) है उसको किस स्थान पर रखा गया है। यह तय है कि जिस वक्त यह विधेयक पास हो जायगा इस सदन द्वारा या ऊपर के सदन द्वारा तो यह समस्या उठ खड़ी होगी कि कानून मूल अधिनियम के अन्तर्गत जो धारा २५ है, उसको धारा जो संशोधित रूप में रखी गयी है वह तो ठीक है लेकिन खण्ड का (१) और (२) को इसके प्रोविजो के रूप में आना चाहिए था।

आज एक इंडिपेंडेंट धारा के रूप में इसकी ड्राफ्टिंग की गयी है और मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर कोई जबरदस्त भूल नहीं हो सकती। हांलांकि मैंने बहुत पहले ही अपना संशोधन रख दिया था और उसकी तरफ माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए था। अगर माननीय मंत्री जी को हमारा संशोधन मान्य नहीं है तो कम से कम सरकार की ओर से ऐसा संशोधन आता जिससे धारा २५ में ही खण्ड ३ की उपधारा (१) और (२) आ जाती और उसको धारा २५ का ही एक भाग मान लिया जाता। यह ड्राफ्टिंग की बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसमें कोई भी सुधार करने के पहले आप हम लोगों का संशोधन जिस रूप में है उसे मान लें और उसको आप अपने किसी आफिसर से जंचवा लें और दिखवा लें कि किस तरह से इसका निरूपण होगा। मैं मिसाल के तौर पर बतला दूं कि धारा २५ में कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर माननीय मंत्री जी ने भी जोर दिया है कि ३० दिन की मियाद हो, उसमें यह दिया गया है कि "जिला जज अपना यह समाधान करने के लिए कि लघुवाद न्यायालय द्वारा निर्णित किसी वाद में दी गयी डिक्री या दिया गया आदेश विधि के अनुसार था या नहीं, या स्वतः अथवा ऐसी डिक्री या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर क्षुब्ध पक्ष द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र पर उस वाद से सम्बद्ध अभिलेख मंगा सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

इसमें यह दिया गया है कि स्माल काजेज कोर्ट या न्यायालय द्वारा कोई निर्णय हो और वह गलत हो तो उस वक्त अदालत रेकार्ड मंगा कर फिर उसे देख कर उसमें कोई भी सुधार कर सकती है या अपने निर्णय में सुधार कर सकती है। इसका दूसरा रूप यह है कि यदि कोई क्षुब्ध पार्टी यह दरख्वास्त दे कि सही निर्णय नहीं हुआ है तो वह रेकार्ड मंगा कर देख सकती है और उसके ऊपर मुनासिब हुक्म दे सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

जरा समय का भी ध्यान रखें।

श्री कमलासिंह यादव—

कल का प्रोग्राम क्या है, वह भी जरा हम लोगों को बतला दें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह कठिन सा मालूम होता है कि ५ बजे से पहले समाप्त हो जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

कल भी तो यह चलेगा, इसलिए जल्दी क्या है।

श्री उपाध्यक्ष—

कल यह नहीं चलेगा, कल दूसरा काम है।

श्री कमला सिंह यादव—

मैं यह कह रहा था कि इस ड्राफ्टिंग की गलती की वहज से बाद में कोर्टस द्वारा स्ट्रक्चर्स पास होंगे उस वक्त हमलोगों को और लोग क्या समझेंगे, इसको आप सोच लें। ड्राफ्टिंग वाला तो कह सकता है कि जब मुहर लग गयी तो मुहर लगने के बाद हमारा क्या दोष है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कठिनाई है या जो बुराइयां हैं उनको सदन के सामने प्रस्तुत कर दूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि पांच बजे के बाद का कार्यक्रम कल के लिए रखना पड़ेगा क्योंकि कोरम की वजह से कहीं गड़बड़ न हो जाय। इस पर श्रीमन् विचार करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

अब इसके बारे में जो वाइड जुरिस्डिक्शन दिया गया है उसको लिमिट करने के लिए के लिए दो धाराएं हैं जो खण्ड ३ के (१) और (२) के रूप में यह रखी गयी हैं। ३(१) का जहां तक सवाल है, उसके अन्तर्गत यह दिया गया है कि अगर कल से यह विधेयक लागू हो जाय तो सात दिन पहले जो डिक्रीज स्मालकाज कोर्ट ने दी थी उनका ३० दिन के अन्दर रिवीजन कर सकते हैं इस धिेयक के अन्दर। दूसरी चीज यह है कि ऐसे मुकदमे या दरख्वास्तें जो अदालत के अन्दर विचाराधीन हैं उन पर इस विधेयक का कोई कुप्रभाव नहीं होगा। तो धारा २५ के अन्दर जो बातें दी गयी हैं उसको लिमिट करने के लिए खण्ड ३ के (१) और (२) ही हैं। इसलिए जिस रूप में इसकी ड्राफ्टिंग की गयी है यह बहुत ही गलत और अपूर्ण है। अगर इसका सही अनुवाद किया गया होता तो यह ज्यादा सुन्दर होता। इसको प्रतिबन्ध के रूप में लाना चाहिए था। कानून अब हिन्दी में बनाये जा रहे हैं जो बहुत साफ होने चाहिए ताकि अगर कोई साक्षर आदमी भी उसको पढ़े तो उसको भी ज्ञान हो जाय। लेकिन इतना टेक्निक है ला डिपार्टमेंट में कि मैं समझता हूं कि इन लोगों को एक भय हो गया है कि अगर इतनी सिंपिल हिन्दी में हम देंगे तो दूसरे लोग उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे। यह भी कहा जा सकता है कि अगर गांव के आदमी आसानी से समझ लेंगे तो फिर वकीलों की क्या जरूरत। लेकिन मेरी समझ से कानून बिल्कुल सिंपिल भाषा में होना चाहिए।

अब उच्च न्यायालयों में मुकदमों की तादाद कम करने के लिए जिस विधेयक का हम यहां संशोधन कर रहे हैं वह सन् ४९ में एक कमेटी मिसस्टर जस्टिस दास के चेयरमैनशिप में बनायी गई थी।

श्रीमन् १९४९ में जो कमेटी बनी थी उसने एक सजेशन यह दिया कि उच्च न्यायालय में जो एरियर्स बढ़े हुए हैं उनको कम करने का एक तरीका यह है कि उच्च न्यायालय को जो रिवीजन की पावर दी गयी है वह पावर डिस्ट्रिक्ट जेजज को दे दी जाय। इसको देखते हुए १९५७ में यह संशोधन किया गया, जो १८८७ का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राविन्शल स्माल काजेज कोर्ट्स एक्ट था उसकी धारा २५ में। एक शब्द का संशोधन हुआ कि हाई कोर्ट के स्थान पर डिस्ट्रिक्ट जज हमने रख दिया। यही परिवर्तन था। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज भी बहुत से मुकदमें हैं क्योंकि १ हजार से ५ हजार तक के केसेज हैं जो कि स्माल काज कोर्टस के अन्तर्गत आते हैं। पांच सौ और दो सौ के भी हैं। तो ऐसे मुकदमों में दिक्कत पड़ रही है कि जहां डिस्ट्रिक्ट जज स्माल काज कोर्ट भी हैं, हालांकि रेअर केसेज में हैं। ऐसी सूरत में जब कि स्माल काज का मुकदमा फैसला डिस्ट्रिक्ट जज के अन्डर में हो उसकी निगरानी उसी के पास कैसे होगी। मैं चाहूंगा कि इसका अवश्य जवाब दें। हालांकि जहां तक टिस्ट्रिक्ट जज का सवाल है और मुकदमों की कमी का सवाल है सिर्फ पावर ट्रांसफर कर देने से रोक नहीं हो सकती। यह देखना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट जज को जो आप पावर दे रहे हैं उनके यहां मुकदमे कितने हैं। अगर जिले की फाइल देखें हर डिस्ट्रिक्ट जज की तो उनकी फाइल इतनी हैवी है कि उनको अच्छी तरह से देखने का मौका नहीं मिलता। जितने क्रिमिनल

केसेज हैं उनसे फुरसत नहीं मिलती कि वह अपील के फैसले कर सकें। अभी जब यहां पर बजट पेश हो रहा था तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित किया था कि क्रिमिनल केसेज इतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

इन सब बातों का समय तो नहीं है। मीयाद के बारे में बिल है। जरा समय का खयाल रखिए।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं बहुत अदब करता हूं श्रीमन् के आदेश का। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। ५७ में जो संशोधन किया गया था उसमें यह दिया गया था कि जो हाई कोर्ट में एरियर्स हैं उनको कम कर दिया जाय। मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिर्फ पावर ट्रांसफर करने से केसेज में कमी नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्त जो बात चल रही है उस पर कहिए। आपने आध घंटा ले लिया।

श्री कमलासिंह यादव—

आध घंटा न देखिए यह देखिए कि कानून पास हो।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन प्रस्तुत प्रश्न मियाद का है। आप दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री कमला सिंह यादव—

माननीय मंत्री जी को चाहिए था कि नीचे से ही इसको रोक करें। मैजिस्ट्रेट के यहां अगर कोई केस ऐसा है जिसमें एवीडेंस न हो तो वह मुकदमे का फैसला कर दे, वह वहीं नीचे खत्म हो जाय। इस तरह से पब्लिक मनी सेव किया जा सकता है। तो इस तरीके का यदि कोई काम हो तो मैं समझता हूं कि जो हैवी फाइल का बोझ डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर है वह कम किया जा सकती है और संशोधन विधेयक का उन्हें फायदा हो सकता है। जहां तक मुकदमों की मियाद का संबंध है, उसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया बड़ी खूबी के साथ कि जिस वक्त यह विधेयक लागू हो जायगा उसके तीस दिन के अन्दर लोगों को अपने मुकदमें का रिवीजन फाइल करने का अधिकार होगा और वह कर सकते हैं। मैं इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी का ध्यान संविधान की धारा १४ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन इस विधेयक के जरिए मंत्री जी जनता के मूलभूत अधिकारों में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी जिस वक्त इसमें यह अंकुश लगा देते हैं कि इस विधेयक के लागू होने के सात दिन के पहले जिनका फैसला हुआ है उन्हीं पर तीस दिन के अन्दर रिवीजन हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो विधेयक में कोई लिमीटेशन नहीं है, तो इसमें इस प्रकार का प्रतिबन्ध क्यों रखा जा रहा है? यह फंडामेंटल राइट्स का सवाल है। क्योंकि हर आदमी को अधिकार है कि जब उसको कहीं भी फरियाद न हो तो उस वक्त की उस पावर देनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय यह कर दें कि हर आदमी अपने मुकदमें की निगरानी रख सकता है, चाहे उसकी अवधि तीस दिन के भीतर की ही रहे। लेकिन उसके लिए हर आदमी को अवसर अवश्य होना चाहिए।

जो दूसरी चीज यह है कि ३० दिन की मियाद अपील की है, इसलिए इसे रखना चाहिए। सिविल प्रोसीजर ऐक्ट बना हुआ है, रिवीजन ऐक्ट बना हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड के लिए ९० दिन की मियाद है। लेकिन इससे तो मंत्री जी ने चकबन्दी का कानून बना दिया है, जिसमें १५–२० दिन का समय दिया जाता है। इसलिये अगर सिविल प्रोसीजर कोड के अन्दर जो

[श्री कमला सिंह यादव]

९० दिन की मियाद है, वैसा ही इसमें भी कर दें, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी भलाई हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष —

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी से) आप पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे। वैसे भी आप तेज बोलते हैं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, जितनी प्रासंगिक बातें हैं, वही इस संबंध में कहूंगा और संक्षेप में कहूंगा। यह जो संशोधन विधेयक श्री रक्षपालसिंह जी ने और अन्य व्यक्तियों ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन इस प्रकार का है कि एक प्रवर समिति नियुक्त की जाए और उसके सुपुर्द इसे किया जाय, और उसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो। यदि यह होता तो मैं खड़ा नहीं होता। मैं माननीय मंत्री जी की नीयत पर कोई शंका नहीं करता। मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं। लेकिन दुःख यह है कि इतने विज्ञ होते हुए भी माननीय मंत्री जी ने इसके संबंध में अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। क्योंकि यदि उन्होंने स्माल काज कोर्टस का अध्ययन किया होता इसके अतिरिक्त भी कुछ बातों पर वह संशोधन लाए होत। इसमें जो रेगुलर मुकदमें होते हैं, उसमेंउनकी तरफ से बहुत सी तारीखे नहीं बढ़तीं और न इस प्रकार की सुनवाई होती है। बहुत शीघ्र ही मामलों का निपटारा हो जाता है, एक ही दो बार में। क्योंकि इसमें गरीब लोग होते हैं और वह जल्दी से ही जल्दी मामले को निपट जाने देना चाहते हैं। अधिकांश केसेज में ऐक्स पार्टी डिग्रियां हो जाया करती हैं। इसलिए बड़ा अच्छा किया कि जिला जज को जो अधिक दिया लेकिन उसने समय कोबाद नहीं कही। यद्यपि मैं उस राय से सहमत हूं जो माननीय कमलासिंह जी ने रखा है क्योंकि यह डिग्रियां अक्सर ऐक्स पार्टी हुआ करती है। मैं एक बात यहां आपके सामने रखता हूं कि अगर एकलाख रुपये का दावा हो और एकतरफा डिग्री हो जाय तो वह उसको रद्द कराने के लिए बिना रुपया दाखिल किए गए दरखवास्त दे सकता है और उसके उस मुकदमे की सुनवाई होगी और वह आर्डर एकतरफा डिग्रीवाला रद्द हो सकता है। लेकिन अगर २ सौ रुपये का मुकदमा सेट असाइड स्माल काजेज कोर्ट से होता है तो जब तक वह उतने रुपये की सिक्योरिटी न जमा कर दे तब तक उसके मुकदमें की सुनवाई हो नहीं सकती। मैं पूछता हूं इन समाजवाद के कर्णधारों से कि करोड़पति और लखपति तो रेगुलर सूट्स में बिना रुपया दाखिल किए हुए रद्द करने के लिए दरखास्त दे सकता है लेकिन स्माल काजेज कोर्ट में जहा का हाइयेस्ट वैलुएशन ५ सौ रुपये है वहां अगर एकतरफा डिग्री हो तो वह उसको बिना रुपया दाखिल कराए हुए रद्द नहीं करा सकता। इस पर आपको सोचना चाहिए था। मैं मंत्री जी की नीयत में पर शक नहीं करता लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालेंगे। मैं चाहता हूं कि आपका जवाब अखबारों में छपे ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि आपने गरीबों और धनियों के लिए क्या किया है। जितने प्रैक्टिसिंग लाइअर्स हैं वे पूछते हैं कि आपकी, आपके ड्राफ्टर्स की बुद्धि कहां चली गयी जिन्होंने इस मामले पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जहां पर आपने ३० दिन वाले मामले में यूनिफार्मिटी का ख्याल रखा वहां इस पर क्यों नहीं रखा।

एक दूसरी बात यह है कि आप सौभाग्य से ही कहिए लोअर कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लाइअर नहीं रहे थे और इसलिए आप उनकी तकलीफों को नहीं समझते। जिले की अदालत में वास्तव में यह है कि कहीं ढाई सौ रुपये का और कहीं ५ सौ रुपये का जुरिस्डिक्शन है और कहीं अमुक क्षेत्र के लिए और कहीं अमुक क्षेत्र के लए डिस्क्रीशन जुरिस्डिक्शन का है। दूसरे प्रदेशों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने देखा कि एक जज स्माल काजेज का अलग कर दिया जाता है और उसी को अधिकृत कर दिया जाता है कि चाहे १ रुपये का दावा हो और चाहे १ हजार का, उसको वही करता है और इसमें भ्रम नहीं होता। नहीं तो कितने आदमी जाकर गलत जगह दावा दायर कर देते हैं और बाद में वह बेकार हो जाता है। आपने इस पर भी क्यों नहीं विचार किया ?

आपने मेरे ऊपर समय को किलाबन्दी कर दी है इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं। तीसरी बात यह है कि सरकार की आदत है कि यह सरकार किसी कमीशन की रिपोर्ट पर विचार नहीं करती। ला कमीशन ने यह लिखा है कि यह सरकार व्यापारिक दृष्टि से न्याय देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना न्याय देती है उससे कहीं अधिक उसके लिए पैसा ले लेती है लिटीगेंट से। मैंने बजट के समय आंकड़ों को जोड़कर घटाकर और स्टाम्प को रख कर यह बताया था कि सरकार को ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस से इतनी बचत होती है। जब दुनिया भर की सरकारें फ्री न्याय देती हैं तब यह सरकार कामर्शल व्यू लेती है। चुनांचे उन्होंने सिफारिश की कि जो दावा दायर होता है जितनी कोर्ट फीस उस पर लेते हैं उतनी ही कोर्ट फीस आप उसकी अपील पर न लें। क्योंकि रेगुलर सूट्स में तो बार-बार पचासों पेशियां होती हैं। इसलिए उसमें कोर्ट फीस ज्यादा देना पड़ती है। लेकिन अपील में तो दो एक पेशी पड़ती है, उसमें कोर्टफीस को घटा देना चाहिए और इस संबंध में ला कमीशन की जो सिफारिश है उसको सरकार ने नहीं माना, उसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

मान्यवर, यह खफीफा में जो केसेज होते हैं वहां बहुत जल्दी किसी केस का फैसला हो जाता है। उसमें एक ही पेशी पड़ती है, उसी दिन बयान तहरीरी दाखिल होता है, उसी दिन ईशू फ्रेम हो जाते हैं और उसी दिन फैसला हो जाता है, अगर बहुत जरूरत हुई तो उसमें एक और तारीख पड़ जाती है। तो इस तरह के मुकदमों में भी आज वही कोर्टफीस देनी पड़ती है जो कि उन मुकदमों में देनी पड़ती है जिनमें कि पचासों तारीखें पड़ती हैं। आखिर इसका कोई तो मापदण्ड होना चाहिए। मैं समझता हूं अगर माननीय मंत्री जी ने कुछ भी अपनी बुद्धि लगायी होती तो यह ऐसा न होता।

मान्यवर, हमारे मंत्री जी जब किसी कानून का हवाला देते हैं तो उसे पहले अंग्रेजी में पढ़ कर समझते हैं। आज जो कानून बन रहे हैं वे अधिकांश हिन्दी में बन रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि मंत्रीजी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। मुझे विश्वास है कि जो भी कानून बनते हैं उसमें माननीय मंत्री भी की बुद्धि का प्रयोग नहीं होता, अगर ऐसा होता तो मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की गलती न होती। यह कितना उचित संशोधन है कि इसे एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जहां इस पर अच्छी तरह से विचार हो सके।

हाईकोर्ट के केसेज को कम करने के लिए १९५७ में एक संशोधन किया गया। उस समय इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया। आज जब विचार किया गया तो इसे फिर पंगु बना दिया गया। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी बिना इस बात का खयाल किए हुए कि यह विधान परिषद् से पास हो चुका है,इसे प्रवर समिति में भेजने के लिए राजी हो जायेंगे। मुझे विश्वास है जब वे वहां इस समिति के प्रेसीडेंट हो कर बैठेंगे तो मैं उन्हें इसके लिए मनवा लूंगा।

श्री रक्षपालसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कमलासिंह जी का तथा माननीय नेता विरोधी दल का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया और इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के जितने भी सम्भव महत्वपूर्ण तर्क थे वे दिये। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये तैयार हो जायेंगे जिससे कि वहां इस विधेयक पर अच्छी तरह विचार हो सकेगा और यह विधेयक एक अच्छा विधेयक बन सकेगा।

*श्री सैयद अली जहीर—

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो कानून का विभाग इतना लम्बा चौड़ा है कि अगर उसके पहलुओं के ऊपर, जब कभी मौका मिले, कुछ न कुछ बहस कर दी जाय, उसकी कुछ हदोइन्तिहा नहीं हो सकती। उसमें बहुत सी अच्छाइयां हैं। बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी खराबियां हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके दुरुस्त होने की जरूरत है। लेकिन कुछ जमाने से ढर्रा चला आता है उसी ढर्रे पर चल रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं। अब कुछ तर्जुमे की शिकायत की गई। मैं तस्लीम करता हूं कि मैं बिलकुल इसके ऊपर हावी नहीं हूं। जो तजुर्मा आया है आपके सामने? वह दफ्तर में हुआ, चाहे अच्छा था या बुरा हुआ वह आप के सामने पेश कर दिया गया। छोटी सी मिसाल है। अदालत खफीफा को मैंने तमाम जिन्दगी सुना था। लेकिन जब यह कानून मेरे सामने आया तो यह "लघुवाद" जो ईजाद किया गया है जिसके माने अदालत खफीफा के हैं अगर अदालत में जाकर पूछा जाय, जो मुवक्किल आते हैं उसमें कितने लघुवाद को समझते हैं या अभी भी खफीफा ही कहते हैं, इसका जवाब माननीय सदस्य दे सकते हैं। क्योंकि यह शब्द फैलेगा धीरे धीरे। इसी हालत में बैठे बैठे जिस जमाने में हिन्दी शब्द शुरू हुए बहुत सी बातें नई मालूम होती थीं और धीरे धीरे इस्तेमाल होते होते हम आदी हो जाते हैं। इसमें कोई बात घबराने की नहीं है। इसमें खराबियां भी हो सकती हैं, अच्छाइयां भी हो सकती हैं।

बहरहाल कोशिश की जा रही है। हमारे यहां एक पूरा विभाग खुला हुआ है और वह गौर किया करता है, बराबर तर्जुमा किया करता है। वहां एक आदमी नहीं दो तीन आदमी तर्जुमा ठीक करने की कोशिश करते हैं फिर भी खराबियां रह जाती हैं। यह रफ्ता रफ्ता ठीक हो जायेगा। इसके अलावा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। जहां तक प्रवर समिति के हवाले करने का सवाल है...

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरे भी प्वाइन्ट्स पर जवाब दीजियेगा।

श्री सैयद अली जहीर—

कौन से प्वाइंट्स?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे खेद है और महान् दुःख है कि मुझे इतनी देर सुनने के बाद आपने कह दिया कि कौन से प्वाइन्ट्स हैं। मैं महादुःखी हूं। अतः मैं सदन छोड़ कर दो मिनट के लिये बाहर जाता हूं।

(जनसंघ के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री सैयद अली जहीर—

मैंने सब से पहिले इसका जवाब अर्ज कर दिया। इस वक्त बहस का जो ताल्लुक है वह महदूद है कानून के ऊपर। अदालत खफीफा में जो खराबियां हैं, वहां पर जमानत क्यों ली जाती है उसकी यहां पर बहस नहीं है। माननीय सदस्य कोई तरमीम लाना चाहें तो ले आवें। हम तो महज तरमीम लाये हैं और उसी पर यहां बहस हो रही है। दूसरी तजवीज यह की गई कि दफा एक दो जो हैं उनको दफा दो के साथ ही शामिल कर दिया जाय। उसका जवाब मैं यह अर्ज करूंगा कि दफा दो जो है वह मुस्तकिल दफा है। दफा २५ बदल कर जो पुराना कानून है १८८७ स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट उसका जुज बन जायेगा। लेकिन दफा तीन जो है उसके क्लाज एक दो जो हैं वे वही हैं। इसी कानून में रहेंगे और उसमें जाकर शामिल नहीं होंगे। लेकिन दफा दो में शामिल कर देते तो दफा दो में भी शामिल हो जाते यह गैरजरूरी बात होती। जब तक यह मियाद का सवाल उठेगा तब तक जो मुकदमा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दायर हो चुका है या दायर होने वाला है साठ-तीस दिन के अन्दर उस वक्त अमल-दरामद होगा। मुस्तकिल दफा २५ रहेगी। इसलिये वह अलग रक्खी गई है उसका कोई सवाल नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह खंड अलग हो जायगा, मूल अधिनियम का पार्ट नहीं होगा तो क्या लिमिटेशन खत्म हो जायगी? साठ दिन की लिमिटेशन खत्म हो जायगी। यह जो कहा गया कि जो पेन्डिंग एप्लीकेशन्स हैं उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा तो क्या उसको भी अलग रक्खा जायेगा?

श्री सैयद अली जहीर---

यह अनलिमिटेड नहीं है। यह तो टाइम है। जब यह कानून बन जायगा उसके ६० दिन के अन्दर जो मुकदमे फैसल हुए हैं उनकी अपील ३० दिन के अन्दर हो सकेगी, उसके बाद अपील नहीं हो सकेगी, न दावा हो सकेगा। जो मुकदमे आलरेडी दायर हैं और ३० दिन से ज्यादा में दायर हुए हैं उनके लिये यह ऐतराज नहीं किया जा सकेगा कि वह ३० दिन के अन्दर दायर नहीं हुए इसलिये इनको खारिज होना चाहिये। दफा २५ में जो तरमीम है उसके जरिये से एक दफा को बदला जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अर्ज करता हूं कि इस कानून को इसी तरह से पास कर दिया जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, आपके ऐजेन्डे में ५ बजे से दूसरा आइटम है और माननीय मंत्री जी उससे अधिक बोल गये हैं। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

जब कोई आइटम चल रहा है तो एक आध मिनट अगर उसमें ज्यादा लग जाता है तो उसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

अब पहले मैं मूल प्रस्ताव को लिये लेता हूं। अगर वह पास हो जायगा तो अमेंडमेंट अस्वीकार हो गया ऐसा समझा जायगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त ---

अब इसको आज आप कैसे ले सकते हैं? आज तो ५ बजे से दूसरा आइटम है।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा तो इस पर कल को वोट ले ली जायगी।

बिजनौर जिले में होली के अवसर पर हुए साम्प्रदायिक दंगे के विषय पर नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)---

उपाध्यक्ष महोदय, होली के अवसर पर जिला बिजनौर के नगीना धामपुर और सेवहारा में जो घटनाएं घटीं वे वास्तव में एक स्वतंत्र देश, धर्मनिरक्षेप राज्य और लोकतंत्र के लिए एक कलंक हैं। उस दिन ऐसा लगता था कि मानो उत्तर प्रदेश में कोई शासन ही नहीं है और उपद्रवकारियों के जो भी जी में आये, कर सकते हैं। नगीना में उस दिन पुलिस को सूचना दे दी गई थी कि झगड़ा होने की आशंका है। जुलूस निकालने वाले जुलूस नहीं निकालना चाहते थे लेकिन थानेदार ने अपनी जिम्मेदारी ली और यह कहा कि जुलूस निकालो, मैं आप के साथ हूं, कोई घटना नहीं घट सकती। लेकिन पिछले वर्षों में ऐसे अवसरों पर

[श्री बसन्त सिंह]

पुलिस का जो प्रबंध किया जाता था, वह प्रबंध भी न किया जाकर साधारण सा प्रबन्ध किया गया, जबकि झगड़े की आशंका की सूचना पुलिस को पहले ही दे दी गयी थी। पिछले वर्षों में जुलस के आगे आगे पुलिस चलती थी, लेकिन इस वर्ष वैसा प्रबंध भी नहीं था। मसजिदों पर, जहां से ईंटें फेंके जाने के या झगड़े होने का अन्देशा होता था, पुलिस लगायी जाती थी इस बार वह भी नहीं लगायी गयी। लुहारी सराय की मसजिद के पास से शांत जुलूस पर ईंटें फेंकी गयीं। पुलिस वाले जुलूस को रोकने लगे और घटना स्थल से हटाने लगे। जुलूस की अगली टुकड़ी के साथ जो सहायक दरोगा, श्री शर्मा था, उसने भीड़ को हटाने और स्थिति पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, परन्तु स्थिति अधिक बिगड़ती देख कर वह एस० डी० एम० को बुलाने चला गया। जब एस० डी० एम० आये तो उनके ऊपर ईंटें फेंकी गयीं और वह भी वहां से हट कर टेलीफोन पर डी० एम० को खबर देने के लिये बैठ गया। जब वहां से पुलिस चली गयी, जुलूस वाले लोग सब चले गये, एस० डी० एम० भाग खड़ा हुआ तो वहां की स्थिति उपद्रवियों के पक्ष में हो गई और उन को लूटने और आग लगाने का और अच्छा मौका मिल गया। मैं उस दिन नगीने में ही था और मैंने वहां सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वहां की पुलिस ने मामूली नागरिक की समझ और साहस से भी यदि काम लिया होता तो ऐसी घटना वहां न हुयी होती। अगर वहां के एस० डी० एम० ने इस तरह की बुजदिली न दिखाई होती और अपने उत्तरदायित्व को उसने जरा भी महसूस किया होता तो वहां इस तरह से लाखों की सम्पत्ति स्वाहा न होती और ३ घंटे तक लगातार शहर में अराजकता की स्थिति न होती। मैंने वहां के उस दृश्य को देखा है और जिसने भी उस दृश्य को वहां देखा है उसके मस्तिष्क पर यही छाप पड़ी है कि यह सारा कांड पुलिस और एस० डी० एम० की लापरवाही से हुआ है।

जब बस स्टेशन का इन्चार्ज केवल बन्दूक चलाने की धौंस देकर एक मोहल्ले के लगभग ७००–८०० व्यक्तियों को उपद्रव में शामिल होने से रोक सकता है तो कौन सा कारण है कि पुलिस उन्हें नहीं रोक सकती थी? इस कांड के घट जाने के पश्चात् जिलाधीश श्री मित्तल और एस० पी० श्री माथुर ने जो काम किया उस की मैं प्रशंसा करूंगा। लेकिन जो नीचे के पुलिस के लोग वहां आज भी कुकृत्य कर रहे हैं वे अब भी निन्दनीय हैं और उसका सबूत यह है कि लूट के माल में से एक पैसे का भी माल आज तक बरामद नहीं किया गया है। वहां के नागरिकों को इस बात की शिकायत है कि जब वहां के कांग्रेस के प्रेसीडेंट तक ने कहा कि अगर पुलिस उनसे सहयोग करे तो बहुत कुछ माल वापस मिल सकता है और वे उसी सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हैं जिसने कि माल को लूटा है लेकिन इस पर भी पुलिस ने एक पैसे का कोई भी माल वहां से बरामद नहीं किया।

आज दोनों सम्प्रदाय के लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमें चलाये जा रहे हैं, लेकिन उन पुलिस कर्मचारियों और अफसरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई जिन की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के कारण यह सारी घटना घटी। जब सरकार जनता से कर लेती है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह अपने ऊपर जनता की सुरक्षा का भार भी ले और जब वह अपने इस सुरक्षा के उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करती और उसकी उत्तरदायित्वहीनता से जनता की क्षति होती है तो उस का कर्तव्य हो जाता है कि क्षतिग्रस्त जनता को वह ऐसी स्थिति में पूरा हरजाना दे। सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि सारी क्षति सरकार के अधिकारियों के अविवेकपूर्ण रवैये और लापरवाही से हुई है और इसलिये सरकार को हरजाना देना चाहिये। सरकार ने पीड़ितों की सहायता के लिए २५ हजार रुपया दिया है जब कि सरकारी अनुमान के ही अनुसार वहां ३ लाख की क्षति बताई जाती है हालांकि हमारे हिसाब से तो वह क्षति कई गुना अधिक है, लेकिन अगर ३ लाख भी मान लें तब भी सरकार को पूरी क्षतिपूर्ति वहां के पीड़ित नागरिकों की करना चाहिये क्योंकि उसी के गैरजिम्मेदार अधिकारियों के कारण यह क्षति हुई है और सरकार को उसे फौरन देना चाहिये। चाहे यह क्षति पूर्ति का धन वह अपने इन अनुत्तरदायी कर्मचारियों से पूरी कराये क्योंकि यह उन्ही की नगलीजेंस आफ ड्यूटी से हुआ है। और चाहे

उन लोगों से वसूल करे जिन्होंने माल लूटा है। इसके अलावा जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह कांड हुआ है उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, मैं चाहता हूं कि जो दोषी हैं, उन के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही की जाय ताकि भविष्य में ये लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने पद के कर्तव्यों का पालन कर सकें। अगर ऐसा न किया गया तो इस तरह की घटनायें प्रदेश व्यापी भी हो सकती हैं।

आज भी वहां पर पुलिस के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और एक लूट सी मचा रखी है। वहां यह स्थिति है कि निर्दोष लोगों को धमकाया जा रहा है, उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है और लोगों से कहा जाता है कि तुम्हारा भी चालान कर देंगे, पैसा देने वालों और वास्तविक अपराधियों का चालान नहीं किया जाता और जो पैसा नहीं देता उसको चालान करने का भय दिखाया जाता है। इस तरह की स्थिति दूर होनी चाहिये। अब मैं धामपुर की घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धामपुर में मुहल्ला बन्दूकचियान में जब जुलूस पहुंचा तो वहां पर उस पर ईंट और पत्थर फेंके गये और ताज्जुब है कि एक भी सिपाही उस जुलूस के साथ नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस वारसी दरोगा से कोई जवाबतलब किया गया है कि उसने ऐसे अवसर पर क्यों वहां किसी की ड्यूटी नहीं लगायी। जब उसे उपद्रव की सूचना दी गई तो उसने उत्तर दिया कि हमारे पास कोई पुलिस का इंतजाम नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वहां पुलिस का समुचित प्रबन्ध होता तो यह अप्रिय घटना न घटती। मालूम हुआ है कि वहां का एक थानेदार उस समय शराब पिये हुये नशे में पड़ा था। पुलिस का सहयोग न पाकर जब जुलूस वाले लौट आये तो दूसरे सम्प्रदाय वालों ने वहां के बागवानों के घरों में आग लगाना शुरू कर दिया। ये लोग मन्डी की ओर बढ़े परन्तु उस समय तक काफी लोग आ गये। अगर वहां पर उस वक्त वहां के नागरिक इकट्ठा न होते तो ये उपद्रवकारी और आगे बढ़ते और मंडी को फूंक देते। उसी समय वहां पर एक घटना यह घटी कि उपद्रवकारियों का एक आदमी जो आग लगा रहा था उसके कपड़ों में आग लग गई जो पहिले मिट्टी के तेल से भीग चुके थे जब वह तेल का कनस्तर लाया था। इससे वह मूर्छाग्रस्त हो गया और इससे उपद्रवकारियों का साहस भंग हो गया। जब थानेदार से कहा गया कि एक दूकान से माल लूटा जा रहा है। उसमें आग लगाई जा रही है तो उसने कहा कि देख लेंगे परन्तु उस ने कोई कार्यवाही नहीं की। आज वही थानेदार वहां लूट मचा रहा है। वह अपने दलालों के जरिये से लोगों को इत्तिला पहुंचाता है कि दारोगा जी से बात कर लो नहीं तुम्हारा चालान कर दिया जायेगा। इस प्रकार उन्हें भयभीत कर पैसा वसूल किया जाता है। वहां की जनता आतंकित है।

आज वहां पर एक महीने से पुलिस खुले आम लूट मचा रही है। वहां पर एक सहायक दारोगा श्री त्यागी हैं और एक दूसरे सज्जन श्री वारसी हैं जो खूब लूट मचा रहे हैं। मैं प्रदेशीय सरकार से जानना चाहता हूं कि इन दोनों आदमियों को वहां पर लूट मचाने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है। वहां पर सी० आई० डी० का एक श्री कौशिक है। वह सेंसर के बहाने से स्थानीय लोगों के गुप्त पत्रों को खोल लेता है। और फिर ब्लैक मेलिंग करता है। इसके इन काले कारनामों को जिन लोगों ने कई मास पूर्व उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी, उन्हें आज यह भयभीत और आतंकित कर रहा है पुलिस वहां पर इस प्रकार की उत्तरदायित्वहीनता से कार्य कर रही है। पहिले लूट और आगजनी उपद्रवी करते हैं और बाद में पुलिस लूटने लग जाती है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की चीज है और मैं कहना चाहता हूं कि धामपुर में कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो बिलकुल निर्दोष थे। जो लोग बाहर थे और बिजनेस के काम से कलकत्ता और दिल्ली गये हुए थे और उनके पास लिखित प्रमाण भी हैं कि वे उस दिन वहां पर गये हुए थे। श्री वारसी दारोगा ने उनके नाम भी रिपोर्ट्स में लिख दिये। आज उन्हें भयभीत किया जा रहा है। वहां पर इस प्रकार के अत्याचार किये जा रहे हैं। श्री वारसी साम्प्रदायिक मनोवृति का व्यक्ति है। यह झगड़ा इसी ने

[श्री बसन्तसिंह]

कराया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस थानेदार ने इतनी उत्तरदायित्वहीनता से कार्य किया उसे क्यों नहीं हटाया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सब कार्य में वहां की पुलिस की साजिश रही है। ऐसे मौकों पर पुलिस को छूट मिलती है कि वे सारे नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लूट सकें। अगर इस तरह की घटनायें न हों तो उनका पैसा नहीं बन सकता।

मैं कहता हूं कि पुलिस की इस डकैती को बन्द कीजिए और जिन लोगों की क्षति हुयी है उनको मुआवजा दीजिये। नगीना में सरकार ने जो साधारण सहायता दी है, उससे काम नहीं चलने वाला है। उससे पीड़ित लोग व्यापार नहीं कर सकते, अपनी दुकानों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उन्हें और अधिक सहायता देने की जरूरत है और यह सहायता जो उन्हें दी जाय, मैं तो यह कहूंगा कि पुलिस के कर्मचारियों से वसूल की जाय। उनको वेतन किस बात के लिए दिया जाता है यदि वे सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं। होता यह है कि जब चारों ओर शांति हो जाती है तो वे नागरिकों को जेल में बन्द करने की धमकी देने लगते हैं और जो उन्हें पैसे देता है, उसे वे छोड़ देते हैं। परन्तु जब घटना घटती है तो वे भाग खड़े होते हैं। आज की स्थिति में यह होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में यदि कहीं पर चोरी होती है, या कहीं पर डकैती पड़ती है तो उस की जिम्मेदारी पुलिस पर होनी चाहिए और जो क्षति होती है वह पुलिस के कर्मचारियों से वसूल की जानी चाहिए। इस प्रकार के आदेश होने चाहिए कि अगर किसी थाने के अन्तर्गत ऐसी घटना घटती है तो उस थाने के कर्मचारियों को स्पष्ट कह देना चाहिए कि जो भी क्षति होगी वह उनसे वसूल की जायगी। जो भी चोरी या डकैती होती है वह पुलिस की साजिश के बिना नहीं हो सकती है। उनके पास चोरों और डकैतों की लिस्टें रहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसकी जिम्मेदारी पुलिस पर है।

नगीना की घटना के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया था उसे सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ जब कि उन्होंने गलत बयानी की। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि उनके कर्मचारियों ने उन्हें गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि जिस समय घटना स्थल पर ईंटें चल रही थीं पुलिस ने १२ आदमियों को पकड़ा और जब पुलिस इन्हें पकड़ कर लौटी तो दो दूकानें जल रही थीं और उसी समय पता चला कि ६ दूकानें मस्जिद के नीचे जल रही हैं और एक मन्दिर के पास। मैं कहता हूं कि यह बयान शरारतपूर्ण है। इस तरह से तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को छिपा कर कहने से क्या लाभ है। वास्तविकता यह है कि ८०-८२ दूकानें लूटी और जलाई गई और लाखों की सम्पत्ति नष्ट हो गई। माननीय मन्त्री जी ने यह भी कहा कि उपद्रवकारियों को तत्काल पकड़ लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हें तत्काल पकड़ लिया गया तो फिर ये दूकानें कैसे जलीं। उन्होंने यह नहीं कहा कि वहां पर एक मन्दिर की मूर्तियों को तोड़ डाला गया। उनको ध्वस्त कर दिया गया जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सम्भवतः पहला उदाहरण है। मैं बतलाना चाहता हूं कि सरकार के कर्मचारी तथ्यों को छिपाते हैं, गलत बयानी करते हैं यह सब होने पर भी उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

वहां पर एक डी० एस० पी० श्री लैंडले हैं जो साम्प्रदायिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसी की साजिश की वजह से लाखों रुपए के लूटे गये माल में से एक पैसे का माल भी नहीं मिल सका। इस श्री लैंडले को तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं फिर भी उसको सरकार बिजनौर में क्यों रखे हुए है। चकबन्दी का जो एस० ओ० सी०, श्री के० भान था उसको उस विभाग से भ्रष्टाचार के कारण रिवर्ट किया गया था क्योंकि वह रिश्वत लेता था, आज बिजनौर में उसको एस० डी० एम० बना कर रखा गया है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को वहां क्यों रखा गया है? मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ऐसे अधिकारियों को दंडित नहीं किया जायगा जिनकी उत्तरदायित्वहीनता से यह उपद्रव हुआ तब तक प्रशासन सुचारुरूप से नहीं चल सकता। नगीने में स्थिति यह है कि नागरिक अपने

आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, एस० डी० एम० और पुलिस के होते हुए जब यह घटना हो सकती है, आग लगायी जा सकती है, लूटा जा सकता है, जलाया जा सकता है तो फिर वहां का जन-जीवन किस प्रकार से सुरक्षित रह सकता है।

में माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन की पुलिस क्या करती है। जवाब दिया गया कि जितना पुलिस फोर्स था सब लगा दिया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि जुलूस के साथ ५, ६ सिपाही ही नियुक्त किये गये थे, २२ सिपाही नहीं थे यदि २२ सिपाही ही नगीने में जलूस के साथ थे और कुछ ग्रामों में भी गये थे तो इन सब को जोड़कर जो संख्या आयेगी थाने में उतने कुल सिपाही भी नहीं थे। यह सरासर गलत बयानी है। वास्तव में जब तक भ्रष्ट अधिकारियों को दंड नहीं मिलेगा तब तक जनता की सुरक्षा नहीं हो सकती। मैं उन व्यक्तियों में हूं जो घटनाओं को अच्छे तरीके से आंकते हैं, मैं हर एक जांच के लिए तैयार हूं और जो कुछ भी मैंने यहां कहा है वह शत प्रतिशत ठीक है, एक अंश भी मैंने बढ़ाकर वर्णन नहीं किया है। केन्द्रीय सरकार के उपगृह मंत्री वहां घटना देखने के लिये आते हैं, मध्य प्रदेश के एक एम० पी० इस घटना को देखने के लिए आते हैं तो क्या कारण है जो प्रदेश की सरकार ने अपने किसी जिम्मेदार मन्त्री को वहां नहीं भेजा। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वे इस घटना को देख कर आये होते, जो बाजार जला पड़ा था उस को देखते तो फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वहां पर उन अधिकारियों को कुछ नहीं कहा जा रहा है और उन्होंने ठीक उसी प्रकार से लूट करना शुरू कर दी है जिस प्रकार से डकैती और चोरियों के केसेज में हुआ करते हैं। उन को चाहिये था कि जो लोग लुट गये हैं और जो बेरोजगार हो गये हैं उन को सान्त्वना देते बजाय इसके कि निर्दोष और प्रतिष्ठित नागरिकों को जलील करते। वास्तव में उन कर्मचारियों को दंडित किया जाना चाहिये जिनकी लापरवाही से यह कांड हुआ है ताकि प्रशासन ठीक हो और जन जीवन सुरक्षित रह सके।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---

श्रीमन्, मैं ५, ६ मिनट में उन बातों को कहना चाहता हूं जो आवश्यक हैं। बिजनौर जिले में आज और इससे पहले जो हालत थी उससे बिजनौर के लोग भलीभांति परिचित हैं। लेकिन सरकार के तरीके से, जो सरकार को चला रहे हैं उन के मन में वोट लेने की बात रही है। यदि यह बात न होती तो मैं बतलाऊं कि नगीने का झगड़ा कभी नहीं हो सकता था। पिछले एक वर्ष की बात है जब सारे देश में शांत वातावरण था तब नगीना के पास १० डाउन मेल गिराया गया था, कोई आदमी नहीं मरा और खेत में इंजिन जाकर गिरा था। इसी प्रकार पाकिस्तान के आक्रमण के समय नजीबाबाद के पास रेल से बोल्ट खोले गये थे। जो लोग सरकार को चला रहे हैं मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जानबूझ कर नगीना दंगे का षड्यंत्र किया गया। नगीना के लोग होली का जुलूस निकालना नहीं चाहते थे; वहां के दरोगा विजय वीर सिंह ने जो हमेशा मस्त रहता है कहा कि जुलूस निकालो। मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई झगड़ा नहीं होगा। जब मस्जिद के पास जुलूस आया तो ईंट पत्थर फिकने शुरू हो गये। उसके बाद जुलूस के सिपाही जिसका नाम मैं नहीं जानता जिनके दाढ़ी थी उसने कहा कि जितना चाहो लूट लो। सारी की सारी जिला पुलिस फोर्स धामपुर की दंगे में गयी हुई है। हिन्दुओं की दूकानों में आग लगाई गयी और तीन घंटे तक लूट पाट होती रही। सड़कों पर तिजोरियां डाल कर छेनी से तोड़ी गयीं और भैंसा गाड़ी पर उठा कर लें जाई गयीं। जब किसी कारखाने में हड़-ताल होती है, किसी मजदूर ने यदि कोई कंकड़ फेंका है तो हाउस में पुलिस मंत्री ने यह कहा कि पुलिस पर कंकड़ फेंके गये इसलिये गोली चलाई गयी, लेकिन जब थानेदार पर वहां पत्थर फेंके गये लेकिन गोली नहीं चलाई गयी। वहां गोली न चलकर अगर हवाई फायर भी होते तो दंगा नहीं होता। एक रोडवेज के कर्मचारी के पास जिसके पास बन्दूक का लाइसेन्स था छत पर खड़ा हो कर कहता रहा कि अगर एक भी दंगाई आगे बढ़ा तो शूट कर दूंगा और तीन हजार की भीड़ को वह रोके रहा। लेकिन वहां तो साजिश थी। पुलिस दंगा कराना चाहती थी और दंगा होने पर लोगों को लूटा जाय, इसलिये ऐसा हुआ।

[श्री श्रीराम]

वहां पर कांग्रेस के एम० एल० ए० गये । उन्होंने दंगे की बात को तोड़ मरोड़ कर रखा और सरकार से कहा गया कि किसी तरह से इस मामले को दूसरा रूप दिया जाय । जेल में दंगे करने वालों के पास सौ सौ रुपये सिगरेट लेकर गये, खाने का सामान ले कर गये । लोगों ने सोचा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा उससे दंगा बढ़ने का अन्देशा रहता है । आप देखते होंगे जब कोई कत्ल किसी जगह हो जाता है और उस मुकदमें में ठीक सबूत नहीं मिल पाता है तो बहुत से मुकदमें छूट जाते हैं और जिन के लोग मारे जाते हैं उसके बदले वे दूसरी तरह से लेते हैं। लोग कहते हैं कि हाकिम मरा भला हुक्म न मरे । तंग होने पर लोग फसाद करेंगे और जिले स्तर से फिर सारे सूबे में सिफिसाद हो सकते हैं । मेरा निवेदन है कि जिन्होंने दंगे किये हैं उन के खिलाफ जांच की जाय और उन पर सामूहिक जुर्माना किया जाय और उस के साथ सरकार को भी रुपया देना चाहिये उन लोगों को जिन का नुकसान हुआ है । वहां पर साधारण से साधारण आदमी को बड़ा नुकसान हुआ है और लगभग १५ लाख रुपये की हानि का अनुमान है । माननीय गृह मंत्री जी वहां पर जांच करायें और जिन्होंने दंगे की रोकथाम नहीं की उन्हें सजा दी जाय और वहां से हटाया जाय और क्षति पूर्ति की व्यवस्था की जाय।

*श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजनौर की घटना का प्रश्न है, माननीय बसन्तसिंह और माननीय श्रीराम जी ने स्पष्ट रूप से उसको सदन के सामने रखा । मेरे मन में उन सारी घटनाओं से तीन चार प्रश्न खड़े होते हैं और जो बहुत स्पष्ट हैं । पहला तो यह कि साम्प्रदायिक दंगा हुआ पुलिस की जानकारी में, सरकार की जानकारी में। सरकार से मेरा मतलब है स्थानीय अधिकारियों की जानकारी में यह बात थी कि दंगा होगा और उस जानकारी के बावजूद भी वहां दंगा हुआ । जिस समय दंगे ने भीषण रूप लिया पुलिस के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी लापता थे आखिर कहां थे आपके अधिकारी ? दूसरी चीज यह कि जनधन की क्षति हुई और तीसरी चीज यह जो कि मूल प्रश्न है वह सबके पीछे है कि क्या यह दंगा केवल दंगा मात्र है या किसी भारी भीषण रोग का प्रतीक है? यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्या सरकार और सरकार की पुलिस इस रोग से देश की सुरक्षा करने में दत्तचित्त है? क्या वह इस रोग के प्रति जागरुक है और क्या इस तरह से हमारे देश की वास्तविक सुरक्षा हो सकती है? ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं आपकी नीतियों को देखते हुये और आज जो सारे देश के चारों तरफ और देश के अन्दर परिस्थितियां खड़ी हैं उन परिस्थितियों के घटना चक्र को सामने रख कर देखें तो ये सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं । मैं एक एक प्रश्न को लेता हूं । मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी क्या कहेंगे, लेकिन शायद सरकार की ओर से यह कहा जायगा कि साम्प्रदायिक दंगेतो होते रहते हैं लेकिन यह इतिहास सिद्ध है कि इस देश में साम्प्रदायिक दंगे राजनीतिक स्वार्थ साधन के लिये अंग्रेजों ने कराये और मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि आज आप भी वह नीति अपना रहे हैं । आप की भयपूर्ण नीति है, चाहे वह इलेक्शन के वोटों की वजह से हो, चाहे जिस कारण से हो लेकिन इस सारे चक्र के लिये आज आप ही जिम्मेदार हैं और इस कलंक की टीका इस सरकार के ऊपर है ।

इसके लिये मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की ओर ले जाऊंगा । आज तक आपको शासन करते हुय करीब २० वर्ष हो गये लेकिन इस से आप के प्रति लोगों के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ । लोगों के मन में एक भाव यह उत्पन्न हुआ कि आप हमेशा वायलेंस और हत्या के प्रति झुके, आप ने उस का डट कर कभी सामना नहीं किया । यह विषयान्तर जरूर होगा लेकिन मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । कलकत्ता में किलिंग शुरू हुई तो आपने तुरन्त पाकिस्तान को मान लिया, आप भयभीत हो गये। केरल में अनाज कम किया गया, और जब दंगा हुआ और आपके खिलाफ जनरोष खड़ा हुआ तो आप तुरन्त झुक गये, बंगाल में भी यही हुआ। आपकी भयपूर्ण नीति के कारण ही काश्मीर के मामले में आपको पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पड़े । आपकी इस भयपूर्ण नीति के कारण ही यह दंगा हुआ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप के अन्दर सुरक्षा का कोई स्थान नहीं है । ये जो दंगे होते हैं इस का एक कारण यह भी है कि आपके अन्दर गुटबाजी है । इससे आप इन्कार नहीं कर सकते कि आपकी गुटबाजी की वजह से आफिसरों के अन्दर भी गुटबाजी की भावना अपने राजनीतिक स्वार्थ साधन के लिये है। सारे अधिकारियों के ऊपर इसका असर है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में प्रदेश का शासन चल नहीं सकता, यह असम्भव है । ये सारी चीजें यहां दीख पड़ती हैं उसका कारण यह घटना चक्र ही है । मैं सरकार से पूछता हूं कि आखिर आपके अधिकारी घटनास्थल से क्यों भाग गये ? जब घेरे पड़े और पत्थर पड़ने लगे तब आपके अधिकारी भाग गये, आखिर क्यों ? उसके मन में यह भय क्यों आ गया, यह लोभ क्यों संवरण करने लग गया कि मेरी जान बची रहे चाहे शहर, जिले या सूबे में आग लग जाय । इस भय के निर्माता आप हैं क्योंकि अधिकारी जानता है कि मैं यह करूंगा तो यह गुट नाराज हो जायगा और फिर कल कैसे मेरी क्या दशा होगी । आज इस भय से आपका अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। उसको भागने के लिये बहाना चाहिये और जिम्मेदारी से भागने के लिये वह नाना प्रकार के बहाने बनाता है।

दंगों का रूप चाहे कुछ भी हो, घातक है । और यह घातक इसलिये है कि अभी आपके प्रान्त में, मैं नाम तो भूल गया एक संस्था ने बड़े जोर से घोषणा की है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गयीं तो इलेक्शन में हम आपको वोट नहीं देंगे । यह पोलिटिकल ब्लैकमेल हो रहा है । और इलेक्शन के लालच में पोलीटिकल ब्लैकमेल के सामने झुकने से प्रान्त का सारा शान्त वातावरण नष्ट हो जायगा । आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि जब देश में चारों तरफ आग लगी है तो किसी तरह से, उल्टे सीधे, उत्तर प्रदेश में एक शान्ति का रूप है । परन्तु अगर आप पोलिटिकल ब्लैकमेल पर झुकने लगें और उनकी आकांक्षाओं को बढ़ाना शुरू किया तो निश्चय ही प्रदेश में गड़बड़ी शुरू होगी । वह दंगा यहां नहीं, उसका सूत्रपात कहीं दूर से हो रहा है और हर अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारणों से हो रहा है । और आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश और देश के अन्दर सब प्रकार का उत्पात कराने के लिये पाकिस्तान और चीन, दोनों प्रयत्नशील हैं । यह आपसे छिपी हुई बात नहीं है । भले ही सरकार स्वीकार न करे कि चीन के द्वारा शस्त्राशस्त्र भेज कर गड़बड़ी कराने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु यह सत्य है । उससे देश का विघटन होगा, देश की शक्ति का ह्रास होगा तो शत्रु को लाभ होगा । परन्तु क्या आप इसको भयभीत अधिकारियों द्वारा रोक सकते हैं ? आप पहले उनके अन्दमारेल खड़ा करें । उनकी पात्रता इससे आंकें कि जो उत्तरदायित्व उनको दिया गया है उसको वे सही ढंग से पूरा करते हैं या नहीं ।

आज दुःख का विषय है कि अधिकारी वर्ग की यह आदत हो गयी है कि सरकार को गलत रिपोर्ट दे । अभी कल ही माननीय अध्यक्ष ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया । जब आज मैं अपने गुट के स्वार्थ साधन के लिये अधिकारी से एक लाभ उठाऊंगा तो कल को वह चार लाभ उठायेगा, आप रोक नहीं सकते । आवश्यकता क्लीन और आनेस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन की है । अगर आप यह नहीं दे सकते तो आप इस्तीफा दे कर हट जाइये । खाली कुर्सी के मोह से आप इस प्रदेश को नष्ट न कीजिये । और यह क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन तभी आयेगा जब अधिकारियों का मोरेल खड़ा होगा और वह सरकार कर सकती है, हम और आप नहीं कर सकते । क्योंकि सरकार अगर निष्पक्ष होकर उनके कार्य की जांच करती है, अगर आपका अधिकारी भागा है, जो सही बात है, तो आप उसको सस्पेंड करिये । इन्क्वायरी कर के बरखवास्त करिये, कोई भय का विषय नहीं है । दोषी अधिकारी दंडित न हो । मैं तो एक ही उदाहरण दूंगा कि अगर अधिकारी गलती करता है और दंडित नहीं होता है तो किस प्रकार प्रशासन और देश की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा होता है । पिछले युद्ध में हम लाहौर और स्यालकोट क्यों नहीं ले पाये ? इसका कारण डेरा बाबा नानक पर जनरल का फेल्योर था । दुनिया के अन्य देशों ने ऊंचे ऊंचे अधिकारियों को प्राण दंड दिया है। युद्ध काल में फ्रान्स में जनरल बिलोटी को और इंगलैण्ड में ऐडमिरल बिंग को फार कावर्डिस इन फेस आफ एनिमी, प्राण दंड दिया गया। आप क्यों नहीं आदर्श उपस्थित

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

करते, क्यों नहीं आप ऐसे भगोड़े अधिकारियों को कठोर से कठोर दंड देते ? दंड देने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उधर से और इधर से पैरवी होती है और दोषी अधिकारी निकल जाता है । प्रशासन करने चले हो तो सारे गुट को, पार्टी को अलग रखो । अपना देश और प्रान्त रहेगा तो पार्टियां ,आती जाती रहेंगी । जिन भगोड़े अधिकारियों के कारण नगालैण्ड में यह भीषण स्थिति खड़ी हुई है उनको कठोर से कठोर दंड दो यदि आप चाहते हो कि प्रशासन में कड़ाई, शक्ति और सामर्थ्य आये । दंड नहीं दिया गया तो सब के मन में यही विचार खड़ा होगा कि गड़बड़ी करते चले छुट्टी मिलती जायगी । इस प्रकार सम्पूर्ण देश में गड़बड़ी हो जायगी।

तीसरी बात यह है कि धन क्षति हुई । धन क्षति का जिम्मेदार कौन है । आप कहते हैं कि लूट ले गये लूटने वाले । लूट हुई आपके अधिकारियों की अपात्रता और कार्डिस के कारण । इसलिए धन क्षति की पूर्ति आपका कर्तव्य है । स्वयं कहते हो कि हम वेलफेयर स्टेट हैं । जब वेलफेयर स्टेट हो तो उसके नागरिकों की धन क्षति की पूर्ति करो और इस मात्रा में पूर्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर तीन लाख की क्षति हुई और अधिकारी ने लिख दिया ३० हजार तो आप संतुष्ट हो गये । आप को स्वयं उसकी जानकारी होनी चाहिए । आपकी जानकारी के साधन और सूत्र बहुत हैं उनका प्रयोग करो । माननीय बसन्तसिंह जी ने बताया कि लोगों ने कहा कि हमारे साथ चले लूटा हुआ माल पकड़वा दें। पुलिस क्यों नहीं गयी ? इसमें यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या पुलिस भी " लूटे हुए माल में साझेदार थी ? एक बात सिद्धान्ततः सत्य है कि पुलिस प्रशासन का ऐसा अंग है जिसका २४ घंटे क्रिमिनल्स से संबंध रहता है । इस लिये आवश्यक है कि पुलिस के जो दोष हों यदि वे अन्यविषगों से कम हों तो उनका भी दंड कठोर होना चाहिये । इस विभाग को चलाने केलिये उत्तम अनुशासन होना चाहिये । एक दिन की गैर हाजिरी फ्रेंच लीव है । जिसके लिये आपके यहां डिग्रेडेशन है लेकिन आर्मी में वही डिजर्टेशन है और उसकी सजा प्राणदंड है । चूंकि पुलिस के सम्पर्क और संबंध क्रिमिनल्स से अधिकतम है इसलिये उसकी छाप से बचने की आवश्यकता है । इस लिये कड़ा अनुशासन और कठोर दंड हो ।

पुलिस डिबेट पर माननीय मंत्री ने कहा था कि जो सीतापुर का कांड था उसमें आपने इनक्वायरी बैठा दी है । मेरा नाम लेकर कहा था कि इससे अधिक और क्या हो सकता था। तो यदि मैं गृहमंत्री होता तो मैं निश्चित रूप से इससे अधिक ही करता । मैं उस अधिकारी को पहले सस्पेंड करता, ट्रांसफर करता तब जांच करता । क्योंकि अधिकारी अगर अपने स्थान पर ही मौजूद है और अपनी सत्ता के साथ मौजूद है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी पूरी होना और सही इंक्वायरी होना असम्भव हो जाएगा । मैं कहता हूं कि उस अधिकारी को वहां से हटाओ, उसे लाइन हाजिर करो, लखनऊ में लाइन हाजिर कर दो । तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, कह रहा था कि प्रशासन के इस अंग पर अधिक कठोरता, अनुशासन और दंड की व्यवस्था इसलिये होना चाहिये । यदि अधिकारी वहां उपस्थित है और सस्पेंड नहीं है तो मैं कहता हूं कि वहां पर निश्चित रूप से आफिसर्स ब्रादरहुड की बात चलती है । यह बिलकुल स्वाभाविक और व्यावहारिक बात ही है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है । जिसे देशी कहावत में कहते हैं, न तू कह मेरी और न मैं कहूं तेरी । यदि वह अधिकरी वहीं उपस्थित है तो कोई आवश्यक नहीं है कि आपको सही प्रमाण मिल सकें । प्रमाण छिपाये भी जा सकते हैं और बनाये भी जा सकते हैं । इसलिये जो आपकी ढुलमुल यकीनी की नीति है जिसका परिचय माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह कर दिया कि जो घटना होती है उसमें सिविल अधिकारियों की राय दूसरी है और जनता की राय दूसरी है, तो हम उसके बीच का रास्ता निकालते हैं । इस ढुलमुल यकीनी की नीति के कारण उनमें दुष्प्रवृत्ति पैदा हो गयी है और वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। उनके मन में यह भाव खड़ा हो गया है कि हमारे जो व्यूप्वायन्ट्स हैं और जनता के जो विचार हैं उनके बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा इसलिये वे चाहे जितनी मनगढ़न्त और असत्य रिपोर्ट दें । सरकार के लिये यह कितना अनुचित है कि वह यह कहे कि हम अपने अधिकारियों के व्यू प्वायन्ट्स को सामने रखकर एक रास्ता निकालने का प्रयत्न करेंगे । जब यह गति आपकी है तो अधिकारी

आपके अनुशासन में रह नहीं जायेंगे इसलिये मेरी मांग है कि जितने भी सम्बन्धित अधिकारी हैं उनका तुरन्त ही आप बिजनौर से तबादला करें और फिर इन्क्वायरी करवायें। और जो अधिकारी जिस मात्रा में अपराधी हों उन्हें उस मात्रा में दंड दिया जाए।

चौथी बात यह है कि आजकल की पृष्ठ भूमि में मैं कहता हूं कि यह घटनाएं केवल साम्प्रदायिक घटनाएं ही नहीं हैं। आज की सारी राजनीतिक पृष्ठभूमि को सामने रख लिया जाए तो यह साम्प्रदायिक दंगे नहीं हैं, भले ही इन पर रंग साम्प्रदायिकता का डाल दिया जाए। यह स्पष्ट संकेत है अराष्ट्रीय और पाकिस्तानी मनोवृत्ति का। यह देशद्रोहिता का स्पष्ट संकेत है। जो तत्व चाहते हैं कि देश और प्रदेश में आन्तरिक गड़बड़ी पैदा हो तो जो उनके मंसूबे हैं देश पर आक्रमण करने के, देश का हिस्सा हड़प लेने के और देश को दास बनाने के वे सारे मंसूबे पूरे हो सकें। आज हमारा दुर्भाग्य यह है कि देश के अन्दर प्रशासन के प्रति लोगों से फ्रिस्टेशन यानी नैराश्य खड़ा हो गया है। लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाओं की पूर्ति में आप असफल रहे, यहां तक की भूख की ज्वाला को भी आप उनकी शान्ति करने में असमर्थ रहे हैं, इस कारण एक आन्तरिक आग भड़क रही है और उस आग का कुछ लोग गलत लाभ उठाना चाहते हैं। अब इसके ऊपर यह सरकार जागरूक हो और जागकर इस सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से इसकी जांच कर, कार्यवाही करे। जो रिपोर्टस् आती हैं, मैं नाम नहीं लेता, माननीय गृह मंत्री जी स्वयं सोच लें, जिला अधिकारियों की रिपोर्ट आती है कि फलां व्यक्ति प्रो पाकिस्तानी और एंटी हिन्दुस्तान है, सदन में कहा जाता है, सी० आई० डी० इन्क्वायरी में बातें आती हैं लेकिन आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते यह तो आप जानें लेकिन आप सेन्ट्रल से इन्क्वायरी करा लें अगर वह कहते हैं कि यह गलत व्यक्ति है तो कितना ही पावरफुल बड़ा व्यक्ति हो उसको बन्द करें।

आये दिन घटनायें होती है कभी कोई ट्रांसमिटर पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि इसका रेडियसकम है वाकी टाकी है, ऋषिकेश वाला कहता है कि हम अपनी बीवी से इलाहाबाद में बात करते हैं लेकिन वही कभी २ सौ मील का रेडियस ले लेता है और आप उसको कम रेडिअस का कह कर छोड़ देते हों, क्यों? और लाइसेंस भी देते हो। दुनिया के अन्यान्य देशों में जासूसी के आरोप में पकड़ कर लोगों को छोड़ते नहीं हैं। या तो उसको प्राणदंड होता है और या दोनों देशों के जासूस पकड़ लिये गये तो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है लेकिन न उनको लाइसेंस दिया जाता है और न उनको छोड़ा जाता है। जब कभी ऐसे मसले उठते हैं तो सिम्पटम की ओर अवश्य ध्यान जाना चाहिये। लेकिन मैं देखता हूं कि चाहे सेन्टर हो चाहे प्रदेश, सब जगह लीपा-पोती होती है। देश की शान्ति और संरक्षण में जितना आपका हित है उतना ही हमारा भी है जितने आप जिम्मेदार हैं उतने ही हम भी उसके लिये जिम्मेदार हैं और जब आपस में बैठकर वार्तालाप करते हैं तो छिपाना क्या। अगर हम सारी बातों को जनता की आंखों से ओझल कर दें तो जनता इन घटनाओं से जागरूक कैसे होगी? वेसेन स्पाई केस इंगलैंड का है। वहां के मिनिस्टर तक को इस्तीफा दे देना पड़ता है उन्होंने उसको छिपाया नहीं। सारी चीजें अखबारों में छपीं लेकिन यहां छिपाओं छिपाओं "हरिओम् शान्तिः' हरिओम् शान्ति"। हमारा अपना बल है क्या? हमारी जनता उन्हीं को अगर हमने अवगत नहीं कराया तो हममें ताकत कहां से आयेगी? तो यह चारों प्रश्न मैंने इसलिये सदन के सम्मुख रखे कि जो यह छोटी छोटी घटनायें उठती है कभी यह पकड़ा गया है कभी वह, कभी दंगे हुये उनके ऊपर ध्यान दिया जाय।

अन्तिम बात यह है जो हमारे प्रदेश में बहुत देखने को मिल रही है और सब जगह एक बात अवश्य होती है कि लूट खसोट में पुलिस भी घुसी हुई है। जो हमारे रक्षक है जिन पर समाज का उत्तरदायित्व है जब वही बुभुक्षित दिखाई देते हैं और भक्षक बन जाते हैं तो क्या होगा। इनको कैसे रोकेंगे इनको रोकने के लिये कठोरता, दृढ़ता चाहिये, आप दृढ़ होइये, भयभीत न होइये, दृढ़ता से काम कीजिये। आपको अधिक वोट मिलेंगे यदि जनता को विश्वास हो जाय

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

कि आपने क्लीन और आनेस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन दिया है और इसके लिये चाहिये कि ईमानदारी से खड़े हो कर विवाद हो। मैं किसी की नीति पर आक्रमण नहीं करता लेकिन निश्चित रूप से कहता हैकि आपके दब्बूपन की नीति से प्रशासन ढीला होता जा रहा है। अगर किसी का तबादला होना चाहिये, समय आ गया है तो होना चाहिये। मैं रोज देखता हूं कि कैसे प्रशासन में ढिलाई आती है। एक ट्रांसफर हुआ, वह हाजिर हो गये, मेरा लड़का पढ़ता है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी बीवी बीमार है और इसलिये ट्रांसफर रोक दिया जाता है। क्यों रोका जाता है? अगर समय आ गया है तो जाना होगा। इसके लिये टी० ए०, डी० ए० मिलता है। बच्चों की पढ़ाई के लिये, बीवी की बीमारी के लिये और सुविधायें दें, लेकिन नियमों का पालन अवश्य होना चाहिये। आप नियमों का पालन नहीं कराते और उसका नतीजा यह होता है कि आपकी पुलिस क्रिमिनल्स में घुसी रहती है और स्वयं इस प्रकार की लूट-खसोट कराती है। जब आपकी जानकारी में यह सारी घटना आ गयी थी तो आपको कठोर से कठोर कदम उसको रोकने के लिये उठाना चाहिये था। किसी भी गड़बड़ी को शुरू से ही रोका जाना चाहिये, यह नहीं कि जब वह नासूर हो जाय, बहुत बढ जाय तब उसकी रोकथाम हो। मैं समझता हूं इन सारी बातों पर यह सदन विचार करे और कोई ऐसा कदम उठाये जिससे प्रदेश की शान्ति बनी रहे। पुलिस को यह जानकारी रहती है कि कौन बदमाश है, कौन क्या है। अगर उसे इसकी जानकारी नहीं रहती तो वह अयोग्य है। प्रशासन अयोग्य है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि यह जो डीप रुटेड मेलोडी है, इस ओर आप एक निश्चित नीति निर्धारित करें और प्रदेश की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठायें।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, बिजनौर की जिस साम्प्रदायिक घटना को लेकर यह सदन में विवाद हो रहा है, यह एक ऐसा गंभीर विषय है कि जिस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिये। किसी भी सभ्य समाज के लिए इससेबड़े कर और कोई कलंक की बात हो नहीं सकती कि उसके नागरिक धर्म के नाम पर पागल हो जायं, इन्सानियत को खो बैठें। यह इस देश के अन्दर बहुत सी साम्प्रदायिक घटनायें हुई। इसके लिये देश और समाज का मस्तिष्क नीचा हुआ है। जब भी ऐसी घटनायें हुई हैं समाज के समझदार लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की है।

मान्यवर, बिजनौर के अन्दर जो घटना हुई वह एक साधारण सी घटना थी। बाद में इस साम्प्रदायिक घटना का रूप बढ़ गया। बाद में उसका इतना विकराल रूप हो गया, अगर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने मुस्तैदी से काम किया होता तो ऐसी बात न होती। जब भी कोई ऐसा छोटा सा वाकया होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ पार्टियां भी हैं जो अपने स्वार्थ के लिये उसका प्रयोग करते हैं, उससे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और वह घटना एक साम्प्रदायिक रूप धारण कर लेती है। बिजनौर की घटना भी इसी प्रकार की घटना है। होली के अवसर पर बदकिस्मती बिजनौर जिले की है कि वहां अरसे से हिन्दू मुसलमानों की तनाव की स्थिति थी और इस बार भी थी और होली से पहिले यह मालूम था कि इस प्रकार की तनाव की स्थिति है। होली के एक दिन पहिले एक मुसलमान की दुकान जला दी गई। उस दुकान की रिपोर्ट थाने पर की गई। वहां का जो थानेदार था उसने कोई कार्यवाही नहीं की। थानेदार से जब रिपोर्ट की गई तो वह शराब पीकर बैठा था। अगर तत्काल उस दरोगा ने कोई कदम उठा लिया होता तो कोई बात न होती। स्थिति नियन्त्रित हो जाती। उसके बाद ही प्रतिक्रिया हुई और फिर हिन्दु मुसलमानों के मुहल्लों में ....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बसन्तसिंह---

यह दुर्घटना की बात जो कही गई है दूकान के बारे में यह बिलकुल गलत है। मुसलमानों में भी वहां कोई यह बात कह दें कि मुसलमान की दुकान जलाई गई तो मैं इस बात को चैलेन्ज करता हूं। यह बिलकुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपस में बात नहीं होनी चाहिये, आप कृपया बैठिये।

श्री चन्द्रजीत यादव---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दूकान को मैंने कहा---

श्री बसन्तसिंह---

माननीय सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---

दूकान फूंकी गई और उसकी रिपोर्ट हुई। उसकी प्रतिक्रियास्वरूप मुसलमानों के मुहल्लों में हिन्दुओं की दूकानें और हिन्दुओं के मुहल्लों में मुसलमानों की दुकानें फूंकी गईं। इस प्रकार की दूकानों को लूटने और जलाने की दुर्घटनायें हुई। स्थिति गंभीर हो गई। अगर दरोगा ने शरू में कार्यवाही की होती तो यह स्थिति बिगड़ती नहीं। अब मैं माननीय गृह मंत्री से कहूंगा कि जो अधिकारी मौके पर कार्यवाही नहीं करते हैं वे इस बात के भागी हैं। जो मैजिस्ट्रेट स्थिति को कन्ट्रोल नहीं कर पाये उनका तो स्थानातरण कर दिया गया, लेकिन दारोगा अभी तक वहां पर बने हुए हैं। मैं खुद अपने जिले को जानता हूं। हमारे जिले में इस प्रकार की अनेक घटनायें हुई। मैं जानता हूं कि वहां पर ऐसे तत्व मौजूद थे जो हिन्दू-मुसलमानों के दंगे का रूप देना चाहते थे। पर वहां के अधिकारियों ने ऐसी कार्यवाही की कि इस प्रकार की दुर्घटनायें नहीं होने दीं। ऐसी स्थिति में सरकार का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं के लिये जो सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार हों उनको कठोर दन्ड दे। क्योंकि उनकी छोटी सी लापरवाही के कारण या साजिश में या कमजोरी के कारण ये घटनाये होती हैं। इससे धन, जन का नुकसान होता है और देश पर कलंक का टीका लगता है।

मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि माननीय यादवेन्द्र दत्त को हर छोटी घटना में पूरे चीन के समर्थक और पाकिस्तान के समर्थक दिखाई देते हैं। यह इस देश को बर्बाद करने की प्रवृत्ति है। इन छोटी सी बातों को देखने के बाद हर मुसलमान को पाकिस्तानी बनाना, दूसरे आदमी को देशभक्त न समझना और देशभक्ति के ठेकेदार अपने को ही समझने लगना यह कोई बात समझ में नहीं आती है। मैं साफ करना चाहता हूं कि जहां पुलिस की लापरवाही इस बात के लिये जिम्मेदार है वहां देश के अन्दर राजनैतिक दल हैं और ऐसे लोग हैं जो साम्प्रदायिक विचारधारा को बढ़ाते हैं। संगठित रूप से और निश्चित रूप से जो देश का वातावरण क्षुब्ध करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जनसंघ हमारे देश के अन्दर एक ऐसा दल है जो सुनियोजित ढंग से और जानबूझ कर एक नीति के मातहत राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये देश का वातावरण बिगाड़ रहा है और बिजनौर के कांड़ के पीछे भी जनसंघ के दल का हाथ था जिन्होंने इस घटना को साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयत्न किया। अगर हम साम्प्रदायिक तत्वों से लड़ें, उनको उभरने न दें तो हमारे देश में इस प्रकार की दुखद घटनायें न हों। यह शासन की जिम्मेदारी तो है ही, साथ में हम लोगों की भी है। मुझे मालूम हुआ कि वहां बहुत से अधिकारी थे और सरकार ने कुछ कार्यवाही की भी है, लेकिन और सख्त कार्यवाही की जरूरत है। जिनका राजनैतिक नारा साम्प्रदायिकवाद का हो, जो नियोजित रूप से देश में हर छोटी घटना को इस प्रकार का रूप देना चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर सरकार मौन

[श्री चन्द्रजीत यादव]

धारण कर लेती है तो मालूम नहीं क्या हो जायगा, उनसे सरकार को सचेत रहना चाहिये। मैं यह भी नहीं कहता कि सरकार ऐसी घटना के समय मौन धारण करे, सरकार को अपना कर्त्तव्य करना चाहिये। शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी ज्यादातर सरकार की है। सरकार के कमजोरी दिखाने से काम चलने वाला नहीं है। साम्प्रदायिक तत्वों को दबाना होगा और समय से दबाना होगा। हमारे गृह मंत्री उस जिले से आते हैं जहां जनसंघ हर मौके पर इस तरह का प्रयास नियोजित ढंग से करता रहता है। हर राजनैतिक कार्यकर्त्ता का कर्त्तव्य है कि इन सारी बातों को गहराई से सोचे।

मुझे अफसोस है कि जन संघ के एक माननीय सदस्य ने गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी पुलिस ने वहां गोली नहीं चलाई। अगर गोली चलाई गई होती तो वे डिमान्ड करते कि एक जज की इनक्वायरी काफी नहीं है। ३ जजों कीइनक्वायरी कमेटी होनी चाहिये। राजनैतिक स्वार्थों के लिये इस तरह की मांग करना उचित नहीं है। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है कि वहां के अधिकारियों ने गोली नहीं चलाई। जब तक बात नियंत्रण के बिल-कुल बाहर न चली जाय, जब तक दूसरे सब साधन पुलिस इस्तेमाल न कर ले, चाहे वह अश्रु-गैस हो या लाठी-चार्ज या हवाई-फायर हो, तब तक गोली का चलाना उचित नहीं है। गोली आखिरी हथियार होना चाहिये। २११ आदमी वहां गिरफ्तार किये गये, ४ हिन्दू गिरफ्तार किये गये। क्या आप चाहते हैं कि वहां के मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाय या उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिप्रैशन जो हो सके वह किया जाय? शायद इससे आपको सन्तोष होता। इस प्रकार की मनोवृत्ति अच्छी नहीं है। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। छोटी सी घट-नाओं को बड़ा स्वरूप देने से हमारी राजनैतिक वैल्यूज खतरे में पड़ जावेगी, हमारी धर्म-निरपेक्षता खतरे में पड़ जायगी। इन बातों का राष्ट्रीय पैमाने पर प्रचार नहीं होना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय जगत इसका अपने ढंग से शोषण करता है, जिससे हमारा देश बदनाम होता है।

इसलिये मैं माननीय गृह-मंत्री जी के द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि आप ऐसे तत्वों के खिलाफ जो समाज में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं सख्त कार्यवाही करें। अभी पाकिस्तान का हमला हुआ था। हमें आंखें बन्द करके नहीं सोचना चाहिये। हमें इस बात का गर्व है कि उस समय हमारे देश ने एकता का परिचय दिया। हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब ने मिलकर उस आक्रमणकारी का मुकाबला किया। हमारी फौज में इन सभी वर्गों के जवान थे जिन्होंने सीना तानकर राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया। साम्प्रदायिक दलों को इस बात का दुख है कि जो राष्ट्रीय एकता हमने कायम की है उसे वे तोड़ नहीं पा रहे हैं। छोटे-छोटे मौकों का वे उसके लिये इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग इस घटना को साम्प्रदायिक रूप देकर बढ़ाना चाहते हैं आप उनके विरुद्ध कार्यवाही कीजिये ताकि इस तरह का प्रयास भविष्य में न हो।

मैं आशा करता हूं कि सरकार उचित कदम जल्द उठावेगी।

*श्री लक्ष्मीसिंह (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय जी, मुझे तो ऐसी जंच रही है कि सन् ४६-४७ में हिन्दू लीग और मुस्लिम लीग इन दोनों ने मिलकर जो कत्ले आम किया वह हमारे इलाके में, और बिजनौर के पश्चिमी इलाके में ही है, हुआ और वैसा कलकत्ते में भी नहीं हुआ। उसमें हूकुमत का हाथ था और, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रत्यक्ष यह जंच रहा है कि इन बातों में सरकार का हाथ रहता है क्योंकि सरकार नाजायज फायदा उठाना चाहती है। मुझे तो यह भय है कि आगरे में एक एम० एल० सी० और पुलिस के डिप्टी मिनिस्टर एलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पुलिस को दबाया जायगा और उसके द्वारा बहुतों को ऐंठा जायगा। पाकिस्तान के जो बनाने वाले थे उनको इस कांग्रेस सरकार ने जगह दी है। उनका सहारा लेकर ये वोट मांगते हैं और चुनाव लड़ते हैं।

(शोर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीन घंटे तक शहर को लूटा जाय मन्दिरों को लूटा जाय, उनकी मूर्तियों को लूटा जाय, यह बातें इस सरकार के राज्य में हो रही हैं। ये मुहम्मद गौरी की सन्तान हैं। मुझे कहना पड़ेगा। मैं समाजवादी पार्टी का मंत्री हूं। और उसके नाते सचाई को छिपाना नहीं चाहता हूं। एक बार धोखा हुआ, दो बार धोखा हुआ, १० बार धोखा हुआ, कहां तक हम ये बातें बर्दाश्त किये जावेंगे? यादव जी ने जो कहा है उनकी बात में कुछ सार है, लेकिन बिलकुल वैसी बात भी नहीं कि जन संघ बेकार है। आज का जन संघ मुस्लिम लीग से अच्छा है, आज का जन संघ नवाब छतारी से अच्छा है, आज का जन संघ फजलुलहक से अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विषय के ऊपर भी तो कुछ कहिये। घटना पर कुछ कहें।

श्री लखीसिंह---

कानपुर में आर्य समाज के जलूस पर हमला, धामपुर में आर्य समाज के जलूस पर हमला, सोहारा की लूटपाट करना, नगीनों की लूट करना खुलेआम यह सब बातें हो रही हैं। तो श्रीमन्, मैंने तो पहले ही कहा था कि गृह-मंत्री महोदय जरा ध्यान देने की कृपा करें, आप भी सिंह हैं और हम भी सिंह हैं, सिंह। सिंहों का यह काम नहीं है कि वह अराजकता को बढ़ने दें, लेकिन आपकी पुलिस मथुरा से मेरठ तक अराजकता को बढ़ा रही है और यहां खड़े होकर उसकी तारीफ करते हैं और हम दो दो लाख जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सच्ची रिपोर्ट को सही नहीं मानते, उनकी प्रार्थना पर, उनके कहने पर, उसकी सही जांच के लिये किसी उच्च अधिकारी को न भेज कर उसकी शिकायत उसी को भेज देते हैं। आपकी इस तारीफ का ही फल है कि देश में एक नहीं ऐसी अनेक बगावतें होने की संभावना हो रही है, वे चुनाव जून के अन्दर होने की संभावना हो रही है, अगर आप इसी प्रकार से ढीले बने रहे। गृह मंत्री को तो तगड़ा बनना चाहिये। इतनी बड़ी भारी बात हो गयी आपने क्यों गोली नहीं चलायी? ३-३ शहरों में लूट पाट होती रही और पुलिस कान में तेल डालकर थाने में सोती रही। इसका यही मतलब था कि पुलिस गुन्डों से मिली हुई थी। मैं यह नहीं कहता कि मुसलमानों में ही गुन्डे होते हैं, हिन्दुओं में भी होते हैं, डबल गुन्डे होते हैं। सन् ४६-४७ में हिन्दू गुन्डे हिन्दुओं की लड़कियों को ही भगा कर ले गये और वह पड़ी मुसलमानों के सिर और उधर मुसलमान गुन्डे मुसलमानों की लड़कियों को भगा कर ले गये और वह पड़ी हिन्दुओं के सिर।

श्री उपाध्यक्ष---

आप पुरानी बातों का जिक्र न कीजिये।

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, इसको प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

उनको मना कर दिया है। लखीसिंह जी, जो प्रस्ताव सदन के सामने, है उसी पर बोलिये।

श्री लखी सिंह---

मैं कहता हूं कि यह बिजनौर के शोले, अगर आपने तत्काल इन्तजाम नहीं किया तो ५४ जिलों में छिटकेंगे। यह पाकिस्तान के एजेन्ट पाकिस्तान के भक्त लोगी मुसलमान, मैं यह नहीं कहता कि सब मुसलमान ऐसे हैं, लेकिन ऐसे लोग उपद्रव करा कर रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

जो विषय इस वक्त सदन के सामने विचाराधीन है उसी पर बोलिये।

श्री लखीसिंह---

मंत्री जी जरा नींद में रहते है, उनको जरा आलस सा आया रहता है। सिंहों को कभी आलस नहीं आना चाहिये। फौरन सावधान हो जाना चाहिये। अगर आप ने इसको न रोका तो एक तरफ तो पाकिस्तान फिर हमारी तरफ नजर उठाने लगा है। आज के ही अखबार में मैंने पढ़ा है कि है हमारे सिपाहियों को पीटने लगा है और उधर चीन भी फिर अपनी तैयारी करने लगा है। अगर आप ने इस अराजकता पर काबू न पाया तो यहां गृह युद्ध होगा। यह चीज यहां गुन्डे और यह गुन्डे पुलिस वाले करायेंगे, यह गुन्डों से मिले रहते हैं, यानी थानेदार डकैती कराते हैं, यही कत्ल कराते हैं, यही चोरी कराते हैं और उसमें उनका भी हिस्सा रहता है। इस लूट में पुलिस बिजनौर की शामिल है, जनता की खुले आम तिजोरी लूटी गई है और लूट जानकर कराई गई है। इन शब्दों के साथ में मांग करता हूं कि इस पूरे कांड की जांच कराई जाय।

श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने माननीय बसंत सिंह जी तथा अन्य नेताओं के भाषण को सुना। एक बहुत छोटी सी घटना हो गई और उसको इतना बढ़ा दिया गया है। वास्तव में वह कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं था वैसे तो हिन्दू मुसलमानों का मामला थोड़ा बहुत पहले से नगीने में चलता था लेकिन वास्तविकता यह थी कि होली से एक दिन पहले वहां एक छोटी सी दूकान लूट ली गई और जब वह लोग रिपोर्ट करने गये तो चूंकि होली का एक ऐसा त्योहार होता है दरोगा जी शायद कुछ थोड़ा पिये पड़े होंगे, वह नहीं लिखी गई। लेकिन यह बात सत्य है कि वहां अगले दिन जो झगड़ा हुआ उसमें जैसा कि श्री चन्द्र जीत यादव ने कहा कि वहां मुसलमानों के मुहल्लों में कुछ हिन्दुओं की दुकानें और हिन्दुओं के मुहल्लों में कुछ मुसलमानों की दुकानें लूटी गईं और जलाई गईं लेकिन इन सारी घटनाओं में कोई आदमी न घायल हुआ और न जला। फिर उसके बाद वहां एक शांति पूर्ण वातावरण कायम हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने परिस्थिति को सम्हाला और अब वहां पूरी शांति स्थापित हो गई है। शांति और मेल की वहां अब स्थिति यह है कि राम नवमी के अवसर पर मुसलमानों ने हिन्दुओं के लिये पान-शर्बत का प्रबन्ध किया और उसी तरह से बकरीद के अवसर पर हिन्दुओं की तरफ से इन्तजाम किया गया। धामपुर में भी हवन सभा का जलूस हिन्दू और मुसलमानों ने मिलकर निकाला। सब जगह शांति के लिये सभायें स्थापित हो गई हैं और अब कोई ऐसा वातावरण वहां नहीं रह गया है। यह सही है कि उस वक्त प्रारम्भ में पुलिस वालों की थोड़ी बहुत लापरवाही हुई लेकिन अब पूरी कोशिश से मामला शांत हो चुका है। मुझे दुख है कि कुछ दलों की तरफ से इस मामले को इस तरह से रंग दिया जा रहा है, हमारी कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि किसी चीज को कोई राजनैतिक रंग नहीं देना चाहती और मेरी प्रार्थना है कि ऐसे मामलों में कोई रंग देना उचित नहीं है। मेरी यही प्रार्थना है कि जो शांति की स्थापना वहां हो चुकी है उसी को मजबूत बनाने की सब मिलकर कोशिश करें। वहां जो शांति कमेटियां बनी हैं उन पर सबने दस्तखत किये हैं कोई झगड़ा नहीं रह गया है। वहां अब मैं चाहता हूं कि बिजनौर में पूर्ण शांति का प्रयास सरकार की तरफ से भी होना चाहिये और पुलिस को भी सतर्कता निबरत चाहिये।

श्री ऊदल---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नगीने की घटना की जो चर्चा यह हो रही है उसको सुन कर हम सभी लोगों को महान अफसोस हुआ है। अभी माननीय दुबे जी के भाषण को बड़े गौर से मैंने सुना। सौभाग्य से मुझे उनके भाषणों को ऐसे मौकों पर सुनने का दस साल से मौका मिलता रहा है। यह घटना ऐसी है जैसा कि माननीय दुबे जी ने कहा और माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा कि इसका पाकिस्तान या चीन से कोई मतलब नहीं है। इतना मेरा नम्र

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

निवेदन दुबे जी से है कि आप छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर अगर सुरक्षा के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान और चीन के मामलों से जोड़ देंगे तो मैं समझता हूं कि देश के जो मूलभूत सिद्धान्त हैं, जिनका जिक्र हम हमेशा से करते आये हैं, और जिनकी संविधान के अन्दर हमने शपथ ली है, उनके प्रति हम बहुत बड़ा विश्वासघात करेंगे; क्योंकि संविधान के मातहत और मूलभूत सिद्धान्तों हिंदू-मुसलमान हों, सिख हों ना इसाई हों और चाहे वे हिन्दू हों। सबको समानता का अधिकार हम देते हैं। अगर हम यह सोचें कि जितने भी यहां पर मुसलमान हैं, वे देशभक्त नहीं हैं, वे पाकिस्तानी हैं तो हमारे जो मूल भूत सिद्धान्त हैं, वह हमारे प्रतिकूल होगा और उनके साथ कुठाराघात होगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी छोटी घटनाओं को वृहद् रूप न देने से देश की आन्तरिक सुरक्षा में आप बहुत सहायता करेंगे और देश की सुरक्षा, इसकी अखंडता और इसकी धर्मनिरपेक्ष राज्य होने में मदद करेंगे। यहां पर सब को जीने का अधिकार आपने प्रदान किया है।

माननीय बसन्त सिंह जी ने जो दूकान लूटने की घटना का जिक्र किया है वह सही है। वहां पर दूकान लूट ली गयी थी। यह सही है कि इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब दूकान के लूट लेने की सूचना थाने पर की गयी थी तो थानेदार ने उस पर क्यों कार्यवाही नहीं की ? अगर उचित समय से रिपोर्ट हो जाने पर तुरन्त थानेदार ऐक्शन ले लेता तो मैं समझता हूं कि यह जो कुछ हुआ है वह न होता। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस थानेदार की वजह से इस छोटी सी घटना, मामूली सी घटना के कारण वहां पर उपद्रव हुए हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। यों तो हजारों वारदातें, डकैतियां, बल्वे हुआ करती हैं। जो आपस में लूटपाट कर लेते हैं। हिन्दू और मुसलमानों में आपस में बल्वे हो जाते हैं, लेकिन वहां पर उस छोटी सी घटना का नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों दूकानें लूट ली गयीं, और बल्वा होने का अन्देशा पैदा हो गया। तो अगर वहां का थानेदार तत्परता से काम करता तो यह सब बात न होती। मैं तो पुनः यही अज करूंगा कि उस थानेदार के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये जिसकी गैरजिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया और हो सकता था कि यह कान्ड इतने पर ही समाप्त न हो जाता। तो यह बहुत जरूरी है कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

अन्त में मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन अधिकारियों ने ठीक से कदम नहीं उठाया उनके खिलाफ भी मजबूती से कदम उठाने की जरूरत है ताकि देश की शान्ति व्यवस्था भंग न होने पावे। मुझे यह कहने में भी हिचक नहीं है कि माननीय दुबे जी जो इस प्रकार का साम्प्रदायिक रंग दे देते हैं वह अच्छा नहीं है। कहीं कहीं पर सुनने में भी आता है कि पानीपत में क्या हुआ। वहां पर ऐसे बड़े लोगों को जिन्दा जला दिया गया है। सब लोग जानते हैं कि बस्तर में क्या हुआ। इसको भी आप जानते हैं कि हमारे पास मऊ में भी ऐसी घटनायें होती हैं। मैं माननीय दुबे जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे आक्षेप से डरते हैं तो जिस प्रकार वे देश की सुरक्षा की बात सोचते हैं, उसी प्रकार उन्हें देश की आन्तरिक सुरक्षा पर भी सोचना चाहिये। इस धर्मनिर्पेक्ष राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिये कि किसी को न रहने दें। मैं समझता हूं कि आपको सही आलोचना करनी चाहिए और मुझे हिचक नहीं यह कहने में कि आप का जो दूसरा हिस्सा आर० एस० एस० है वह दिन रात इस तरह की कार्यवाही करता है। लोगों को उत्तेजित करता है और सांप्रदायिकता का जहर फैलाता है और जो धर्मनिरपेक्षता के, प्रजातंत्र के सिद्धातों के साथ कुठाराघात करता है। इसको रोकना चाहिए। और मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह रोक सकते नहीं क्योंकि उनकी राजनीति उसी को लेकर आज जिन्दा है। इसलिए शासन को मजबूती से आन्तरिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए ऐसे लोगों पर प्रतिबन्ध लगाने की जरूरत है जो धर्मनिरपेक्षता पर हमला करते हैं और दूसरे लोगों को, जिनको देश के अन्दर रहने का अधिकार है, उनको रहने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना चाहिए।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं और कुछ निवेदन करने के पहले आपके सम्मुख केवल दो, तीन बातें रख दूंगा। जो भी माननीय सदस्य बोले सबने कहा कि गृह मंत्री रोकें, दंगा फसाद न होने पावे। बिलकुल सही बात कही है। मगर इनमें रोकने की क्षमता नहीं है। जिस सदन के ये सदस्य हैं वहां के सदस्य को जब यह नहीं रोक सकते हैं भारत विरोधी प्रचार करने के लिए तो दूसरी जगह कैसे यह रोक पायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

कौंसिल में रोकने का इनका काम नहीं है, बल्कि प्रेसीडेंट का काम है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

इनकी कौंसिल के सदस्य श्री फरीदी ने क्या लिखा है उसमें से थोड़ा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

"मुस्लिम्स आफ इंडिया हैड लिव्ड अन्डर ए वेरी ग्रेट मेंटल, फिजिकल एण्ड इकोनामिक स्ट्रेन फार दी लास्ट १९ इयर्स। इंडिपेंडेंस टु इंडिया हैज अनफारचुनेटली ब्राट मिजरी टु दी इंडियन मुस्लिम्स।"

यह डाक्टर फरीदी कहते हैं। जब ऐसे लोगों के खिलाफ यह कुछ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, तब दंगा करने वालों के खिलाफ गृह मंत्री क्या कर पायेंगे ? हम मान ही नहीं सकते हैं कि यह कुछ कर पायेंगे। माननीय ऊदल ने बड़े जोर से कहा कि जनसंघ दंगा कराता है, माननीय सत्यवीर ने कह दिया और माननीय चन्द्रजीत यादव ने, जो चन्द ही दिनों में उधर तशरीफ ले जाने वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि जनसंघ ने दंगा करा दिया। माननीय चन्द्रजीत यादव कहते हैं कि दूकान फूंकी गई, माननीय सत्यवीर जी कहते हैं कि लूट ली गई। ऊदल जी उसकी सफाई देते हैं कि हां साहब, लूट ली गई। दूकान लूटी गयी होली के पहले दंगा होता है होली पर। दूकान किस की लूटी गयी उन्हीं की बात मान लूं, जो कि सफेद झूठ है, कि एक दूकान लूटी गयी तो होली पर दंगा करने की क्या जरूरत थी ? उन्हीं के शब्दों में बहुत छोटी घटना थी, एक मामूली सी दूकान लूट ली गयी, शहरों में पता नहीं कितने आदमियों में दंगे फिसाद होते रहते हैं, लूट मार होती रहती है लेकिन हर जगह दंगे क्यों नहीं हो जाते। फिर होली पर वहां सांप्रदायिक दंगा क्यों हुआ ? सत्यवीर जी के शब्दों में पुलिस ने बड़ी कड़ाई की और उसका परिणाम यह हुआ कि राम नौमी पर शरबत पिलाया गया और जब ढिलाई पुलिस ने की तो होली पर दंगा किया गया। जैसा राजा साहब ने कहा जब तक पुलिस का दण्ड कड़ा नहीं किया जायगा तब तक आप यह समझिए कि शांति रहेगी तो कतई नहीं रहेगी।

कम्युनिस्टों के यहां तो एक नया प्रचार चला है। कांग्रेस के बाहर रह कर कुछ नहीं कर सकते, कांग्रेस में घुसो और अन्दर जा कर गड़बड़ करो। इसी के आधार पर इसी मई के महीने में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इलाहाबाद में ऐलान करने वाले हैं कि चन्द्र जीत यादव कांग्रेस में मिल गए और इस प्रकार मिल कर जो देशभक्त हैं भी उनको भी यह भ्रष्ट करेंगे (व्यवधान) मैं आपको यहां बहुत दिनों रहा हूं। लेकिन जब से पाकिस्तान आपने बनाया, देश का बंटवारा किया कुर्सियों के लालच में तो फिर किसी को भी आपके साथ रहने की इच्छा नहीं हो सकती। साधारण सी घटना बताई जाती है। नागा लोग कितने हैं ? ३०० नागा हैं। २५ साल हो गए सुलह करते हुए। कितने आदमी थे मिजो वाले ? सब मुसलमानों को पाकिस्तानी नहीं कहा जा सकता। माननीय चन्द्रजीत यादव अपने यहां के आदमियों को ला कर गैलरी में बिठा देंगे और ऐसा दिखलायेंगे मानो सबको पाकिस्तानी कहा जाता है। अब्दुल हमीद को कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता। लेकिन नगीना में स्पष्ट शब्दों में देखिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि दिल्ली के गृह मंत्री के सामने क्या बयान हुआ है ? कांग्रेस के नगीना के अध्यक्ष जो थे उनका बयान उठा कर देखिए। जिस समय पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था नगीना के पास ही फिश प्लेट्स हटाते हुए आदमी पकड़े गए। पंजाबियान मुहल्ले में गगीना के पास मिलीटरी ने ट्रांसमिटर पकड़ा पाकिस्तान को खबर देते हुए। क्या ये देशभक्त बैठे हुए हैं ? अगर आप सबको देशभक्त बना देंगे तो आप देश के साथ वही करने वाले हैं जो आपने देश को बटवारा करते समय किया था १८ साल पहले। वह गद्दारी थी उसे आप दुरुस्त कर नहीं सकते और उसके लिए एक ही रास्ता है जिस रास्ते से आपने रामनौमी पर शबंत पिलाया। जब दृढ़ता के साथ सोचकर आप चलेंगे तभी देश की रक्षा हो सकेगी। यह बहुत आसान है कह देना कि ये सांप्रदायिक होकर दंगा कराना चाहते हैं। आप सोचें और देखें कि हम दंगा करायेंगे किस लिए ? क्या हम चीन और पाकिस्तान का हाथ मजबूत करने के लिए दंगा करायेंगे ? यह कहिए कि हमारे जवानों में पहले ही अयूब मियां के घुड़ने टिका दिए नहीं तो यहां पर लड़ाई के बीच में बड़े भारी दंगे हुए होते। अयूब मियां ने कहा था कि दिल्ली में चलकर हम टहलते हुए पहुंच कर वहीं चाय मियेंगे। अगर १० मील भी आगे चले आये होते तब मैं पूछता कि देशभक्त कौन है। यहां स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जिले के कलेक्टर ने लिखकर भेजा, मगर जो पोलैंड का पाल्सन प्रोडक्ट २४ घंटे उनके पास ही बैठे रहते हैं उन्होंने उनको ऐसा पाठ पढ़ाया कि इसे जनसंघ द्वारा कराया गया दंगा समझा जाने लगा। यह जनसंघ के अखबारों में नहीं बल्कि कांग्रेस के अखबारों में छपा है जिसे आप उस जिले के एम० एल० ए० को बुलाकर उनसे पूछ सकते हैं कि असलियत क्या है। ये श्री ऊदल और श्री चन्द्रजीत जनसंघ को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जो कम्युनिस्ट खुद देशद्रोही हैं वे जनसंघ को देशद्रोही संस्था कहें।

कम्यूनिस्ट पार्टी का ५८ लाइन का एक प्रस्ताव था जब कि चीन ने हमारे देश पर हमला किया था। उसमें यह था कि सीमा पर होने वाली घटना को स्थानीय विवाद समझना चाहिए। ये श्री चन्द्रजीत के शब्द हैं जबकि वे कम्युनिस्ट पार्टी में थे। और आज ये इतना बदल गये। उनका ही कहना था कि सीमा पर चीन के साथ होने वाली घटना को संघर्ष का रूप धारण नहीं करने देना चाहिए। क्या बात कही, इसलिए मैं माननीय गृहमंत्री से कहना चाहता हूं कि जो पुलिस का दारोगा वहां था उसको अच्छी तरह से सैक करें और दूसरे जिन अधिकारियों ने स्थिति का सही ढंग से मुकाबला किया और सांप्रदायिक रूप उसे नहीं लेना दिया उनको तरक्की दें। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। श्री सत्यवीर जी के हाथ जोड़ने से तो होली के दिन दंगा हो गया और होली के दिन दूकान लूट गयी, आखिर क्यों लूटी, फिर उसको आपने क्यों नहीं रोका ? माननीय गृह मंत्री को चाहिए कि वे कड़ाई के साथ डील करें, किसी के कहने सुनने में न आकर सत्यता का पता लगावें। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार ही जो तथाकथित दूकान लूटी गयी वह क्यों लूटी गयी। आज यहां लोग आस्तीनें चढ़ा कर शेरवानी झाड़ कर अपनी बात कहना चाहते हैं और जिनका सिर से पैर तक गद्दारी से भरा पड़ा है वे भी जनसंघ को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे अपराधियों के साथ कड़ाई के साथ डील करें।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के किसी हिस्से में कोई ऐसी घटना हो जाय कि आपस में कुछ अकलियतें लड़ जायं तो मैं समझता हूं कि यह हमारे और हमारे शासन के लिए शर्म की बात होती है। यह मैं नहीं कह सकता हूं कि इस तरह की घटनाओं के पीछे किस का हाथ है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जहां दैवी अकलियतें हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मुझे धामपुर नगीने के कुछ लोग मिले। वहां जो घटना हुई, उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानदास यादवेंदु]

जो धार्मिक ठेस पहुंची, और बातें हुई उन्होंने मुझे एक लिखित रिप्रेजेंटेशन जो साइक्लोस्टाइल्ड था, दिया और जिनका सामान लूटा था वे रो रहे थे। और वहां पर दो रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कम्पेन्सेट करने की बात हुई। इधर के लोग भी कुछ कह सकते हैं, उधर के लोग भी कुछ कह सकते हैं कि जनसंघ का हाथ है क्योंकि जनसंघ इस देश की पुरानी रूढ़ियों को लेकर चलती है। लेकिन इसके पीछे कौन है इस ओर मैंने रत्ती भर नहीं सोचा।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम उस एरिया में रहते हैं और उस क्लास को बिलांग करते हैं जिन्होंने आकर आरोप लगाया कि उनको लूटा गया। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि यह धीरे-धीरे एक नासूर सा हो सकता है। जब दो रुपये वाली बात हुई उस वक्त हाफिजजी ने मेजारिटी लोगों के कहने से यह कहा कि एक पैसा मत दो। वह सठिया गए हैं। इस कांग्रेस राज्य में ६० वर्ष के पुराने बुड्ढे इस देश की धर्म निरपेक्षता की रक्षा नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्री यहां बैठे हैं। उन्होंने जा कर देखा कि किस की गलती है। इस कांग्रेस ने १९ वर्षों में जितनी सांप्रदायिकता बढ़ाई उतनी किसी पार्टी ने नहीं बढ़ाई। देश की सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस है जिसके हाथ में देश का शासन है। जिस वक्त टिकटों का बटवारा करते हैं उस वक्त यही कांग्रेसी लोग कहते हैं कि यहां पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं इसलिए मुसलमान को खड़ा करो, यहां ब्राह्मण को खड़ा करो। यह सब जातिवाद को जन्म इस कांग्रेस ने १९ वर्षों में दिया है। इसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। और यही हाफिज इब्राहीम जिस वक्त मुरादाबाद में मुसलमानों के साथ कुछ घटना हुई तो कहने लगे कि मैं नहीं जानता क्या हुआ। इस कांग्रेस के दामन में बड़े-बड़े लोगी बैठे हुये हैं, बडे-बडे पाकिस्तान के एजेन्ट पलते हैं। इस कांग्रेस की छत्रछाया में देश के अन्दर भारी विष्फोट हो रहा है। इस कांग्रेस की छत्रछाया में देश की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा हो रहा है। मुझे आप कहने दीजिये। यह कांग्रेस के लोगों की और मंत्रिमंडल के लोगों की जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने प्रदेश और देश में धर्म निरपेक्ष राज्य कायम किया होता तो कोई भी फिरकापरस्त पार्टी पनप नहीं सकती थी। सभी लोग प्रेम भाव से एक साथ रहते और फिरकापरस्त जैसी चीज पनप नहीं सकती थी। ६० वर्ष तक हिन्दू और मुसलमानों के साथ रहने के प्रयास के बावजूद पाकिस्तान बना। लाखों माताएं, बहनें, नर-नारी बेघरबार और कत्ल हुए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइए। (व्यवधान) आप बैठ जाइए।

(श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी से) आप तीन मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। मुझे भ्रम हो गया था कि साढ़े सात बजे तक चलेगा इसलिये मैं खड़ा नहीं हुआ। माननीय चन्द्रजीत यादव ने कुछ ऐसा सैद्धांतिक प्रश्न रख दिया जिससे बोलने के लिए मैं बाध्य हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अवसरों पर जब कि अधिकारियों को दोषी ठहराया जाता है तो मंत्री अधिकारियों की सारी करनी अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, यह गलत है। हमें दुख हुआ। अगर हिन्दू ने दोष किया, गलती की, तो हिन्दू को सजा देनी चाहिए मुसलमान ने गलती की तो मुसलमान को सजा देनी चाहिए। लेकिन होली कौन सा मुसलमानों का त्यौहार है। हिन्दू मोहर्रम में शामिल होते हैं। अगर होली में जरा सा रंग पड़ गया तो क्या बरदाश्त नहीं कर सकते हैं?

कांग्रेस और कम्युनिस्ट भाई इसमें मछलियों का शिकार खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह कहते हैं कि सारे मुसलमान पाकिस्तानी हैं। मैं नहीं कहता कि राष्ट्रीय मुसलमान नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन यह सारा वोट लेने का खेल है। चन्द्रजीत यादव चले गए। मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया उससे सुलह किसने की ? कम्युनिस्टों ने किया। (व्यवधान) साहस रखिए सुनने का। मैं गृह मंत्री जी की व्यक्तिगत रूप में आलोचना नहीं करना चाहता। दूसरी बात कहता हूं—"बायस पालिय अति अनुरागा होहि निरामिष कबहुं कि कागा"। हमें आये हैं राष्ट्रीय मूल्यों का पाठ पढ़ाने जिन्होंने जीवन भर अराष्ट्रीय तत्वों को साथ रखकर अपनी विचाराधारा रखी। चूंकि जनसंघ राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, कम्यूनिस्ट पार्टी और जनसंघ पोल्स अपार्ट है, इसीलिए जनसंघ को बरदास्त नहीं कर सकते। राष्ट्र हमारा सर्वस्व है। इस मुसलमान को अपने में शरीक मानते हैं, जितने राष्ट्रीय हैं उनको हम गले से लगाते हैं, और आगे बढ़कर राष्ट्रीय विचाराधारा को सामने रखते हैं। हमें वह राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाते हैं। इस वक्त बंगाल में क्या कर रहे हैं ? जब चीन ने भारत पर हमला किया तो कम्युनिस्ट पार्टी के अन्तर्गत दो पक्ष, वाम पक्ष और दाहिना पक्ष था। अगर चीन के हमदर्द वहां बैठे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। (व्यवधान) मैंने उनका नाम नहीं लिया, चीन का नाम लिया है। हो सकता है कि कम्युनिस्ट ऐसे भी हों जो देशभक्त हों लेकिन उनकी विचार-धारा का आधार क्या है, उनके सोचने का आधार क्या है ? एक कांग्रेसी को १८ आदमियों ने मार डाला, यह बात उनकी समझ मै नहीं आयी।

तो मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी के विरुद्ध कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। हर पार्टी के अलग-अलग सिद्धांत हैं, उन्हें मिलकर रहना चाहिए केवल सैद्धांतिक बातों मै ही मतभेद होना चाहिए। वह हमें पाठ पढ़ाने आए हैं, जिसका पता नहीं कि वह चन्द दिनों में कहां लुढ़क कर जायेंगे। इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जब बात आई है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब जब हिन्दुओं ने गल्ती की हैं हमने उनका साथ नहीं दिया है और मैंने उनको बुरी तरह से डांटा है। यह मुझे जनसंघ का पाठ मिला है। मेरा तो यह निश्चित मत है कि यदि दंगा करने से किसी का फायदा हो सकता है तो वह केवल अराष्ट्रीय तत्वों का ही फायदा हो सकता है। लेकिन इस से हम मुसलमान के खिलाफ कुछ न करें, कुछ न कहें और उसे मनमानी करने दें कि वे हमें वोट नहीं देंगे, तो इससे बढ़कर गलत नीति सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती है। इस प्रकार की नीति आपको छोड़नी होगी। यदि सिद्ध हो जाए कि हिन्दू ने अपराध किया है, तो उन्हें दण्ड दिया जाय, लेकिन यदि सिद्ध हो जाय मुस्लिम लोगों ने किया है तो उनको दण्ड दिया जाय और वहां पर उन पर कल गाकर उन्हें कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री हरगोविंदसिंह)—

मान्यवर, मैं सर्वप्रथम यह अपराध स्वीकार करना चाहता हूं कि यदि इस प्रान्त में कोई दंगा हुआ, चाहे वह सांप्रदायिक हो या और किसी कारण से हो, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर अवश्य है। मैं उससे इन्कार नहीं करना चाहता और इन्कार करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात उसके साथ मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने यह आरोप लाया उन्होंने शायद अपने को इस आरोप से मुक्त कर लिया है। मैं समझता हूं यह है उनकी गलती। जनतंत्र में, कम-से-कम इस प्रकार के जनतंत्र में जिसको कि हमने अपने संविधान के द्वारा स्वीकार किया है, उसमें केवल इतना ही कह कर मुक्ति प्राप्त कर लेना कि सरकार की जिम्मे-दारी है, यह मैं समझता हूं कि पूर्णतया सत्य नहीं है। इसमें सबकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए कि एक दुखद घटना वहां हुई उसके लिए हमें अफसोस है और मैं समझता हूं कि उन सभी माननीय सदस्यों को जो इस भवन के सदस्य हैंया मेंबर हैं, सभी को इस बात का दुख है कि ऐसी घटना हुई। हमें तो इस बात का संतोष था कि जब सांप्रदायिक घटनाएं उग्ररूप से हमारे प्रांत के चारों ओर हो रहीं थी। उस समय अपेक्षाकृत हम एक शांति का अनुभव कर रहे थे। छोटी-छोटी घटनाएं और उस श्रेणी में इसको भी रख देता हूं कि एक छोटी मोटी घटना यह जो हो गयी होली के दिन। तो इसका कोई बड़ा वृहद् रूप नहीं है और न देना चाहिए और जो लोग इसको बड़ा वृहद और विशाल रूप देते हैं उनसे मैं नम्रतापूर्वक यह अनुरोध करूंगा कि शायद वे इस देश में इस तरह शांति स्थापना के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध नहीं होंगे।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

यह एक छोटी घटना है, उसका साम्प्रदायिक रूप हो गया, इसलिए एक जांच कमेटी भी बैठा दी गई और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो उस जांच कमेटी के नियमों के प्रतिकूल जाए। अच्छा तो यह रहता कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां व्यक्त किए वह जांच समिति के सामने जाते और अपने विचारों को रखते क्योंकि यह सब जितनी बातें हैं उनके विचाराधीन है और वे उस पर अपनी रिपोर्ट देंगे। इतना मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं किसी से हिम्मत की भिक्षा नहीं मांगता और न उसके लिए किसी से शिक्षा ही चाहता हूं। मेरे दोस्त मुझसे कहा करते है और मैं उसमें गलती भी कर जाता हूं लेकिन मैं यहां उनको विश्वास दिलाता हूं कि जांच के द्वारा कोई भी पुलिस अधिकारी दोषी पाया जायगा तो आपको कहने की जरूरत नहीं होगी और आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार कठोरता से उनके साथ व्यवहार किया जायगा। जैसा मैंने कहा, जांच का काम वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया है बल्कि एक दूसरे जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जांच केवल इसलिए दी कि जिसमें वे निष्पक्ष रूप से जांच कर सकें और हमको उसकी रिपोर्ट मिल सके। अगर कोई दोषी पाया जायगा तो जरूर बड़ी कार्य वाही उसके साथ की जायगी। हां, शायद बहुत से माननीय सदस्य बोलते हुए यह भूल गए कि वे एक संसदीय प्रणाली के अन्दर हैं और उसमें रूल आफ ला को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। जब तक रूल आफ ला नहीं रहेगा तब तक यह प्रणाली चल ही नहीं सकती। यहां जो आजकल वातारवरण पैदा हो रहा है, अभी एक आर्टिकिल भी निकाला गया, उसकी एक किताब भी निकल गयी है और यह किताब भी मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन उस पर टिप्पणी पढ़ी है। संसदीय प्रणाली को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, जो प्रवृत्तियां पैदा हो रही है कि किसी आदमी के ऊपर कोई आरोप आ जाय तो उसको फौरन मुअत्तल कर दिया जाय, फौरन उसको सजा दी जाय, यह प्रजातत्र प्रणाली में असंभव सी बात है। यह रूल आफ ला से ही हो सकता है और उसके लिए जो नियम बने है उसके अन्दर स चलकर ही किसी को सजा दी जा सकती है। यहां इस प्रणाली में माना यह जाता है कि चाहे हजारों अपराधी रिहा हो जायं, उनके प्रति दोष साबित न हो उनको कोई सजा न दी जाय लेकिन इसकी परवाह कानून नहीं करता, कानून इस बात की परवाह करता है कि एक निर्दोष आदमी को सजा न मिल जाय। तो यह रूल आफ ला है। हम किसी पुलिस स्टेट में नहीं है, हम प्रजातंत्र में है। आप जिस प्रणाली को मानते हैं उसमें आपको कितने दिन लगेंगे, आवेंगे भी या नहीं यह तो भविष्य ही जानता है लेकिन यहां तो जिस प्रणाली को हमने स्वीकार किया है और जिसके अन्तर्गत यह राज्य चल रहा है इसमें कोई शक नहीं है और जितने विचार वान हैं सब कहते हैं कि डिमोक्रेसी वीकेस्ट फार्म आफ गवर्नमेंट है। इससे कोई और कमजोर शासन पद्धति नहीं हो सकती। तो बगैर सिद्ध हुए किसी को सजा देना कड़ाई का दुरुपयोग होगा और शासन का दुरुपयोग होगा। इसलिये मैं उस रिपोर्ट का इन्तजार करूंगा जो कि कमेटी जांच कर ने के बाद देगी। जो कमेटी बिठाई गयी है उसकी रिपोर्ट आने पर ही कोई कायवाही मैं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

१३ अप्रैल, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न सं० ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०९ पर)

परिशिष्ट 'क'

१—सुबेहा से हैदरगढ़ सड़क:—क्षेत्र समिति हैदरगढ़ ने दिनांक ३-११-६५ के प्रस्ताव के द्वारा इस सड़क को दो भागों में (१) हैदरगढ़ से इस्माईलपुर तथा (२) चौबीसी से सुबेहा इस्माईलपुर होते हुये योजनान्तर्गत लेने का निश्चय किया है।

२—हैदरगढ़ से महराजगंज सड़क:—यह सड़क हैदरगढ़ ब्लाक में हैदरगढ़ से रोली तक ४ मील पड़ती है तथा शेष (१-४ मील) मार्ग त्रिवेदीगंज ब्लाक में है। क्षेत्र समिति, हैदरगढ़ से रोली तक सड़क को योजनान्तर्गत लेने का उपरोक्त प्रस्ताव द्वारा निश्चय किया है। क्षेत्र समिति त्रिवेदीगंज ने इस सड़क को योजनान्तर्गत लेने की कोई प्रस्तावना नहीं की है।

३—मेलकल से बूढ़ा खजुरो सड़क (दादा हसुवापुर श्रमदान मार्ग):—यह सड़क त्रिवेदीगंज ब्लाक में स्थित है क्षेत्र समिति त्रिवेदीगंज ने इस सड़क को दिनांक १४-११-६५ के प्रस्ताव संख्या २ द्वारा मकनपुर-गूढ़ा मार्ग के नाम से योजनांर्गत लेने का निश्चय किया है। चूंकि यह सभी सड़कें योजनान्तर्गत स्वीकृत ब्लाकों में नहीं पड़ीं, इसलिये इस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट "ख"

पत्र संख्या ८२/भूदान-२१-७-६५

[देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८ पीछे पृष्ठ....पर]

सेवा में,

माननीय सामुदायिक विकास मंत्री,

उत्तर प्रदेश सरकार,

लखनऊ।

विषय:—बाराबंकी जिले में हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज विकास खंड को सुबेहा-हैदरगढ़ से महराजगंज और भेलकल से गूढ़ा खजुरो (बाबा हसवापुर श्रमदान मार्ग) को सड़कों को जनशक्ति योजना में शामिल कर पक्का बनाने की व्यवस्था हेतु।

महोदय,

इस पत्र द्वारा आपका ध्यान बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तथा त्रिवेदीगंज विकास खण्ड जो कि, पूर्वी जिलों की भांति, जिले के सब से पिछड़े हुये क्षेत्र हैं श्रमशक्ति योजना के अन्तर्गत शामिल कर सुबेहा से हैदरगढ़, हैदरगढ़ महराजगंज, तथा भेलवल से गूढ़ा खजुरो (बाबा हसवापुर श्रमदान मार्ग) को शामिल करने की ओर दिलाना चाहता हूं।

इन मार्गों को मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या ५८९ आर० एम० पी० (५) आ० एन० पी० (६)।६५, दिनांक ६ मार्च, १९६५ को अधीक्षण अभियन्ता अल्पसिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को यह सुझाव दिया है कि उक्त सड़कें जनशक्ति योजना के अन्तगत लेने के लिये उपयुक्त है।

इसके अतिरिक्त विधान सभा में भी विगत २८-४-६५ के तारांकित प्रश्न संख्या २२-२३ के अन्तर्गत अनुपूरक प्रश्नों के सन्दर्भ में श्रीमान् जी ने हैदरगढ़ से सुबेहा मार्ग के सम्बन्ध में आश्वासन दिया है कि यह सड़क सरकार के विचाराधीन है और सहानुभूति है।

उक्त सड़कों को इस योजना में शामिल करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी को भी दिनांक ८ मई, १९६५, को २६ विधायकों की ओर से १ पत्र लिखा गया था जिसके उत्तर में उन्होंने अपने पत्र संख्या सी०/२२६५/सी० एम० दिनांक ११ मई, १९६५, को यह सूचित किया था कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मेलवल से गूढ़ा खजुरो (बाबा हसनापुर श्रमदान मार्ग) के सम्बन्ध में जिला नियोजन अधिकारी,बाराबंकी, ने अपने पत्र संख्या २६४०/बीस ८६, दिनांक ४ सितम्बर १९६२ को सार्वजनिक निर्माण विभाग बाराबंकी के इंजीनियर को लिखकर सर्वेक्षण कराया था, जिसका सर्वे ओवरसियर हैदरगढ़ ने किया और इसकी रिपोर्ट उक्त इंजीनियर को दिनांक २९-१-१९६४ को मय पूरे मार्ग का नक्शा तथा अनुमानित लागत तैयार कर भेज दिया है। यह मार्ग बिना शासकीय सहायता के १८ मील श्रमदान द्वारा बनाया गया है ऐसी दशा में इस मार्ग को इस योजना में शामिल कर इसके निर्माण कराने तथा रखरखाव की अत्यन्त आवश्यकता है।

हैदरगढ़ से महराजगंज मार्ग भी एक ऐसा मार्ग है जो दो जिलों को जोड़ता है और आर्थिक महत्व भी रखता है। कार्तिक पूर्णिमा और शिवरात्रि को लाखों यात्री इस मार्ग से होकर डलमऊ (रायबरेली) गंगा नदी पर स्नान करने पैदल कांवरें कंधों पर लाद कर जाते हैं और वहां से जल भर कर लोधेश्वर, औसानेश्वर महादेव पर चढ़ाते हैं। मार्ग पर काफी बड़े-बड़े गड्ढे हैं बरसात में पानी भर जाता है यात्रियों को बड़ी यातनाएं सहकर रास्ता तय करना पड़ता है। ब्लोर महराजगंज, लाही ऐसे बाजारों को हैदरगढ़ कस्बे से यह मार्ग जोड़ता है गोमती नदी पर पुल बन जाने से इस मार्ग का रायबरेली जिले से जुड़ना काफी महत्व रखता है। इससे लोगों को कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा यातायात से साधन जुटाने में सुविधा होगी।

यह क्षेत्र पूर्वी जिलों की भांति काफी पिछड़ा है यहां कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिससे लोग रोजी कमा सकें फलस्वरूप वहां की जनशक्ति का उपयोग करके तथा उन्हें रोजी देने की दृष्टि से इन मार्गों को जनशक्ति योजना में शामिल करना अत्यन्त आवश्यक है यह क्षेत्र ऐसा है जहां इस योजना के अनुरूप बड़ी संख्या में श्रमिक मिल सकते हैं। इससे लोगों को रोजी मिलेगी, यातायात की सुविधा होगी और पिछड़े क्षेत्र को बड़ी सड़क से जोड़ा जा सकेगा तथा क्षेत्र की जनता में समृद्धि लाई जा सकेगी।

अतः इस पत्र द्वारा आशा है कि आप उक्त मार्गों को जनशक्ति योजना में शामिल कर क्षेत्र के उत्थान में भागीदार होंगे।

कष्ट के लिये धन्यवाद!

आपका विश्वासपात्र,
राम किशोर त्रिपाठी,
सदस्य, विधान सभा,
१२४ ए, दारुलशफा, लखनऊ।

प्रतिलिपि---(१) श्री बंशीधर पांडेय, सभा सचिव, सामुदायिक विकास तथा संयोजक, जनशक्ति उपयोग योजना समिति।

(२) श्री रामनगीना सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, अल्प सिंचाई, उत्तर प्रदेश।

(३) श्री खन्ना साहब, उप सचिव, अल्प सिंचाई, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३० (४) के तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१६ पर।)

जालौन जिले में नहरें नहीं हैं, वहां पर वर्ष १९६५ में वितरित तकावी तथा खेतों पर बने कुओं की ब्लाकवार सूची।

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	कुओं की संख्या जिनके लिये तकावी दी गई	तकावी जो दी गई	कुएं जो खेतों पर बने
१	२	३	४	५
१	एट	५८	६५,८५०	४
२	कठोंत	२६	२९,३००	२
३	इदौरा	११	१९,९५०	३
४	उकोर	६५	७०,२१०	..
५	रामपुरा	३४	२८,८००	४
६	नदीगांव	३२	३१,६५०	५
७	जालौन	३८	३८,०००	४
८	माधोगढ़	७८	७८,०००	५
९	महेवा	२०	३७,७००	१५
	योग ..	३६२	३,९०,४६०	४२

मत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३७ पर।)

सूची

जिला गोंडा

क्रम-संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	खुलने की तिथि	ग्राम सभा की संख्या	वर्तमान स्टेज
१	इन्थिया थोक ..	२४-१-५४	९८	पोस्ट स्टेज २
२	झांझरी ..	१-७-५७	९४	स्टेज २
३	कटरा बाजार ..	१-४-५८	८६	स्टेज २
४	रूपई वीह ..	१-४-५९	११९	स्टेज १
५	पंडरी कृपाल ..	१-४-६२	७९	स्टेज १
६	हरधर मऊ ..	१-१०-६२	४०	स्टेज १
७	मझाना (धानेपुर)	१-१०-६०	६६	स्टेज १
८	अतरौला ..	२-१०-५६	७७	स्टेज २
९	मनकापुर ..	२६-१-५५	९८	स्टेज २
१०	सिरोदत्तगंज (चमरूपुर)	१-४-६०	७९	स्टेज १
११	छपिया (हथियागढ़)	१-४-५८	११४	स्टेज २
१२	भावनजोत (बारीघाट)	१-१०-५८	९१	स्टेज २
१३	रेहरा बाजार ..	१-४-६०	८९	स्टेज १
१४	नेन्दाज बुजुर्ग ..	१-४-६१	४६	स्टेज १
१५	बलरामपुर ..	२-१०-५६	१२५	स्टेज २ १ १/२ यूनिट
१६	हइयासत घरवा ..	१-७-५७	१२०	स्टेज २ १ १/२ यूनिट
१७	पछपरवा ..	१-१०-६१	१०७	स्टेज १
१८	गोंसरी ..	१-१०-६२	१२४	स्टेज १
१९	तुलसीपुर ..	१-१०-६२	१०७	स्टेज १ १ १/२ यूनिट
२०	तरबगंज ..	१-७-५७	५९	स्टेज २
२१	पारसपुर ..	२-१०-५५	८३	स्टेज २
२२	नगवा ..	१-१०-५९	६८	स्टेट १
२३	करनैलगंज ..	१-४-६२	८२	स्टेज १.
२४	वजीरगंज ..	१-४-६१	८५	स्टेज १
२५	नवाबगंज ..	१-१०-६१	८४	स्टेज १
	कुल संख्या ..		२,२६०	

नम्बर २५

यूनिट २६ १/२

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३८ पर।)

पंचायती राज साधन समिति की कर सम्बन्धी सिफारिशें

(१) पंचायतों को जो अधिकार गृह-कर लगाने का पहले प्राप्त था उसे उन्हें फिर दिया जाय।

(२) गांव सभाओं के ६ पैसे प्रति रुपया के मौजूदा भूमि कर को अनिवार्य कर दिया जाय और उन्हें यह कर १० पैसे प्रति रुपये तक बढ़ाने का अधिकार हो।

(३) गांव सभाओं को यह भी अधिकार हो कि वे विकास कर लगा सकें।

(४) जिला परिषदों को सरकमस्टान्सेज एवं प्रापर्टी टैक्स के स्थान पर वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय व सेवायोजन, (प्रोफेशन्स, ट्रेड्स, कालिंगस्, ऐण्ड इम्प्लायमेन्ट्स) पर कर लगाने का अधिकार दिया जाय।

(५) जिला परिषदों को २५ पैसे प्रति रुपया लगान व मालगुजारी पर शिक्षा कर लगाने का अधिकार दिया जाय।

पी० एस० बू० पी०—ए० पी० ४३ एल० ए०—१९६६—८६२।